लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 14—गुरुवार, 29 नवम्बर, 1973/अग्रहायण 8, 1895 (शक)

No. 14—*Thursday, November* 29, 1973/*Agrahayana* 8, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
262	अभ्रक की खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mica Mines	1–4
263	शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता	Doles to Educated Unemployed	4–7
264	कलकत्ता आयात-कर्त्ता, निर्यात-कर्त्ता तथा क्लीयरिंग एजेंट कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Calcutta Importers Exporters and Clearing Agents Employees Union	7–11
265	गुट निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा एक सामान्य पश्चिम एशिया नीति का निर्धारण	Common West Asia Policy by Non-Aligned Countries . .	11–15
268	नए कोयला-धुलाई कारखाने	New Coal Washeries	16–17
269	कोरस इंडिया लिमिटेड के अस्थाई कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान	Break in services of Temporary employees of Kores India Ltd.	17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
266	इंडियन माइनिंग एसोसिएशन, कलकत्ता के बेरोजगार श्रमिक	Unemployed workers of Indian Mining Association, Calcutta	17–18
267	ब्रिटेन से भारतियों को स्वदेश भेजना	Deportation of Indians from U.K.	18
270	इस्पात का निर्यात	Steel Exports .	18–19
271	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Indian Oxygen Limited, Delhi . .	19
272	पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं संबंधी समिति	Committee on problems of refugees from East Pakistan .	19
273	जामनगर सिटी और इंडियन एयरलाइंस के हवाई अड्डा विश्राम कक्ष को मिलाने वाली सड़क	Road connecting Jamnagar City and Indian Air Lines Airport Lounge	20

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
274	बंगाल चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाना	Covering of Employees of Bengal Chamber of Commerce and Industry under E. P. F. Act, 1952	20–21
275	आंध्र प्रदेश में भारतीय वायु सेना के एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident of IAF Plane in Andhra Pradesh . . .	21
276	खेतीहर मजदूरों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना	ESI Scheme for Agricultural Labour	21
277	भारत के अमरीका तथा पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ संबंधों पर पश्चिम एशियाई युद्ध का प्रभाव	Impact of West Asia War on India's Relations with USA and West European countries	22
278	बिहार के फतवाह में प्रस्तावित ट्रेक्टर कारखाने के स्थान का बदला जाना	Shifting of Site of proposed Tractor Factory at Fatwah in Bihar	22
279	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए औद्योगिक गैसें	Industrial Gases for Public Sector Steel Plants . . .	22–23
280	कनाडा के एक प्रतिनिधि मंडल का भारत का दौरा	Visit by a Canadian Delegation	23
281	श्रीनगर के निकट भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	IAF Plane crash near Srinagar	24
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2603	त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग कार्यालय के लिए भवन तथा स्टाफ क्वार्टर	Office Building and Staff Quarters for RPFC Office, Trivandrum	24
2604	केरल में खनिज निक्षेपों की खुदाई	Mining of Mineral Deposits in Kerala	24
2605	भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in Bhilai Steel Plant	25
2606	जबलपुर आयुध कारखाने में असैनिक कर्मचारियों की संख्या	Civil Employees in Jabalpur Ordnance Factory . .	25
2607	भिलाई इस्पात संयंत्रों में इस्पात पिंडों का उत्पादन	Production of Steel Ingots in Bhilai Steel Plant . . .	26
2608	मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबे की खुदाई	Copper Mining in Balaghat District of Madhya Pradesh .	26
2609	क्षेत्रीय खनन विभागों द्वारा मध्य प्रदेश का सर्वेक्षण	Survey of M.P. by its Regional Mining Departments . .	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2610	ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को कम मजूरी	Low Wages of Brick Kiln Workers	26–27
2611	नये वायुयान वाहक	New Aircraft Carriers .	27
2612	मनीआर्डरों द्वारा पेंशन का भुगतान	Payment of Pensions by Money Orders	27
2613	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात विकास कार्यक्रम	Steel Development Programme in Fifth Five Year Plan .	27–28
2614	विजय नगर, विशाखापटनम तथा सलेम इस्पात संयंत्रों में गैस संयंत्र लगाना	Erection of Gas Plants for Vijayanagar, Visakhapatnam and Salem Steel Plants . .	28
2615	रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी	Payment of HRA and CCA to Employees of Defence Installation	28–29
2616	रक्षा कर्मचारियों के लिए स्वीकृत तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें	Third Pay Commission's Recommendations accepted for the Defence Personnel . .	29
2617	सी० एस० डी० (1) में डी० जी० एम० (प्रशासन) की नियुक्ति	Appointment of DGM (Administration) in CSD (I) . .	29–30
2618	बेरोजगार युवकों को कोयले की बिक्री	Selling of Coal to Unemployed Youth	30
2619	हरियाणा में भारतीय वायु सेना के दो विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जांच	Enquiry into crash of two IAF Planes in Haryana . .	30
2620	सिंथैटिक पैट्रोलियम प्लांट की स्थापना के लिए दामोदर घाटी में कोयले के संसाधनों का पाया जाना	Location of Coal Resources in Damodar Valley for Setting up of a Synthetic Petroleum Plant	31
2621	बड़ौदा की औद्योगिक बस्ती में शीशे की बोतलें और कन्टेनर बनाने के लिए स्वचालित मशीनों का निर्माण	Development of Automatic Machines to manufacture glass bottles and containers in Industrial Estate, Baroda .	31–32
2622	गाजियाबाद में भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा राडार उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Radar by Bharat Electronics Equipment, Ghaziabad	32
2623	लघु इस्पात संयंत्रों के लिये इस्पात स्क्रैप का आयात	Import of Steel Scrap to feed mini-Steel Plants . .	32–33
2624	दरीबा तांबा निक्षेप परियोजना	Dariba Copper Deposit Project	33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2625	मास्को में विश्व शांति कांग्रेस	World Peace Congress at Moscow	33–34
2626	रक्षा/गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों को सनिक स्कूलों में उपलब्ध वजीफा	Stipends available in Sainik Schools for Children of Employees of Defence/Home Ministries	34
2627	जोधपुर मिलिटरी मेस, नई दिल्ली में माडल स्कूल	Model School in Jodhpur Military Mess, New Delhi	34
2628	त्रुटिपूर्ण वितरण के कारण राजधानी में इंधन की कमी	Shortage of Fuel in the Capital due to Faulty Distribution	34
2629	पांचवीं योजना में कारों के उत्पादन के लिए पूंजीनिवेश में प्राथमिकता	Investment priorities for production of Cars in Fifth Plan	35
2630	गैर-पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for non-journalists	35
2631	जाम्बिया को भारी क्रेनों की सप्लाई के लिये ठेका	Contract for supply of Heavy Cranes to Zambia	35
2632	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कार्यालय को जामनगर हाउस से साउथ एक्स्टैन्शन में ले जाना	Shifting of Office of DGS&D Department from Jamnagar House to South Extension Area	36
2633	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा इलैक्ट्रिक लैम्प बनाने वाली मशीनरी का निर्माण	Manufacture of Electric Lamp making Machinery by HMT	36
2634	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हैवी इलैक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि	Increase in Wages of Workers of BHEL and HEL	37
2635	विद्युत की कमी का एल्यूमीनियम उद्योग पर कुप्रभाव	Aluminium Industry hit by Power Shortage	37
2636	भारत-नेपाल सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना	Promoting Indo-Nepal Cultural Relations	37
2637	बीमारी से मरे पाकिस्तानी युद्धबंदी	Death of Pak. P.O.Ws. due to Sickness	37–38
2638	भारत में उद्योग शुरू करने के लिए विदेशी पूंजीपतियों को निमंत्रण	Invitation to Foreign Capitalists to start Industries in India	38
2639	सैनिकों को घटिया खाद्य पदार्थों की सप्लाई	Supply of Inferior quality of Food Stuffs to Soldiers	38
2640	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि	Increase in Growth of Employment in Public and Private Sectors	39

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2641	अफगान नेताओं को भारत आने का निमंत्रण	Invitation to Afghan Leaders to visit India	39–40
2642	जर्मन जनवादी गणराज्य और भारत के बीच हुये करार के फलस्वरूप प्रस्तावित संयुक्त उद्यम	Joint Ventures proposed consequent in protocol signed between India and GDR	40
2643	विदेशों से आये आव्रजकों को अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बसाना	Rehabilitation of Repatriates from Foreign Countries in Andaman and Nicobar Islands	40–41
2644	आल इंडिया इंडियन आक्सीजन एंड एसिटीलीन एम्पलाईज़ फेडरेशन	Memorandum by All India Indian Oxygen and Acetylene Employees Federation . .	41
2645	इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन तथा इंडियन टी एसोसिएशन, कलकत्ता पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को लागू किया जाना	Coverage of Indian Jute Mills Association and Indian Tea Association, Calcutta under EPF Act	41–42
2646	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन के कारण फालतू हुए कर्मचारी	Employees rendered Surplus due to Amendment of EPF Act	42
2647	फैक्टरियों में गंभीर दुर्घटनाओं के मामले	Incidence of serious Accidents in Factories . . .	42–43
2648	जामनगर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवास बस्ती का प्रस्ताव	Housing colony for ex-servicemen in Jamnagar . .	43
2649	बंगला देश में गुजरात राज्य के बंदी बनाये गये युद्ध बन्दी	P.O.W's belonging to Gujarat State arrested in Bangladesh .	43
2650	सामरिक महत्व के उद्योग के रूप में इंडियन आक्सीजन लिमिटेड	Indian Oxygen limited as a Strategic Industry . .	43–44
2651	पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग में किये गये समझौते का उल्लंघन	Violation of agreement in Jute Industry in West Bengal .	44
2652	औद्योगिक विवाद के समय के दौरान मजदूर की मृत्यु पर मुआवजा	Compensation to workman on death during pendency of Industrial dispute . . .	44
2653	बंद पड़ी कोयला खानों को पुन: खोलने की योजना	Scheme to Re-open closed coal Mines	44–45
2654	अरब-इसरायल युद्ध पर विचार-विमर्श करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव	Proposal for a Non-aligned conference to discuss Arab-Israel War	45

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2655	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़ताल	Strikes in Public Undertaking	45
2656	सिंध से आये शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना	Schemes for Rehabilitation of Refugees from Sindh . .	46
2657	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, डंडेली में हड़ताल	Strike in West Coast Paper Mill, Dandeli	46
2658	विशाखापत्तनम, सलेम और हास्पेट इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत	Likely saving of Foreign Exchange on Production of Steel at Vizag, Salem and Hospet	46–47
2659	विशाखापत्तनम और विजयनगर इस्पात कारखानों की बढ़ी हुई क्षमता	Increased Capacity of Visakhapatnam and Vijayanagar Steel Plants . . .	47
2660	लौह अयस्क की जांच संबंधी सुविधाओं के लिये विशेषज्ञ दल	Expert Group for Iron Testing Facilities	47
2661	कारों और स्कूटरों के उत्पादन में कटौती	Cut in production of cars and scooters	47–48
2662	इस्पात का वितरण	Distribution of Steel	48–50
2663	रक्षा उद्देश्यों के लिए सप्लाई किये जाने वाले इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के उत्पाद	Indian Oxygen Ltd. products supplied for Defence Purposes	50–51
2664	चीनी उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण	Revision of Wages in Sugar Industry	51
2665	भिलाई और राउरकेला संयंत्रों से कच्चे लोहे तथा तैयार इस्पात की ढुलाई	Movement of Pig Iron and Finished Steel from Bhilai and Rourkela Plants . . .	51–52
2666	कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय त्रिवन्द्रम का असंतोषजनक कार्य	Malfunctioning of EPF Office, Trivandrum . . .	52
2667	भारत-अरब मैत्री संबंधों को बढ़ाने के लिए बातचीत	Negotiation to promote Indo-Arab Friendly Relations .	52–53
2668	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेत सरकार के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही	Decisive Steps by UN against White Minority Government in South Africa . . .	53
2670	भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Bhartiya Pratiraksha Mazdur Sangh .	54
2671	पाकिस्तान द्वारा पाक अधिकृत छंब क्षेत्र में मीनारों का निर्माण	Towers constructed by Pakistan in Pak. occupied Chhamb Area	54

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2672	भारी उद्योग के उत्पादों का निर्यात	Export of Heavy Industry Products	54
2673	भारी उद्योग मंत्रालय में कर्मचारी	Employees in the Ministry of Heavy Industry	54
2674	रक्षा मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या	Strength of Defence Ministry	55
2675	कच्चे लोहे की कमी के कारण केरल इंजीनियरिंग एककों का प्रभावित होना	Kerala Engineering Units hit by shortage of Pig Iron	55
2676	केरल राज्य में ट्रेक्टरों की मांग	Requirement of Tractors in Kerala State	55
2677	केरल तापीय बिजली घर को कोयले की आवश्यकता	Coal Requirement of Kerala Thermal Power Stations	55
2678	केरल में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी न करना	Non-Payment of 8.33 per cent bonus by Public Sector Industries in Kerala	56
2679	केरल में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in Kerala	56
2680	पश्चिम बंगाल में पटसन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Jute Workers in West Bengal	56
2682	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के लिये औद्योगिक गैसों का उत्पादन	Manufacture of Industrial Gases by Indian Oxygen Limited for I.I.S. Co.	56–57
2683	भारत में इस्पात बनाने में गैसीय कमी तकनीकी का प्रयोग	Steel Plant in India on Gaseous Reduction Technology	57
2684	भारतीय विदेश सेवा और इससे इतर सेवा के अधिकारियों द्वारा राजदूत/उच्चायुक्त के पदों पर होना	Posts of Ambassadors/High Commissioners held by IFS and Non-IFS personnel	57
2686	पंजाब को इस्पात का नियतन	Allocation of Steel to Punjab	57–58
2687	कच्चे लोहे की कमी.	Shortage of Pig Iron	58
2688	पांचवीं योजना में भारी मशीनों के निर्माण के संयंत्र के लिये नियत की गई धनराशि	Allocation made for plant to manufacture Heavy Machinery in Fifth Plan	58
2689	इस्पात की स्थानापन्न धातुओं का पता लगाने संबंधी समिति	Committee on finding substitutes for Steel	59

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2690	पश्चिम बंगाल और बिहार के तापीय बिजलीघरों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई	Supply of sub-standard coal to Thermal Power Stations in West Bengal and Bihar .	59
2691	कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by EPF Employees .	59–60
2692	आल इंडिया प्राविडेंट फंड स्टाफ फैडरेशन को मान्यता देना	Recognition to All India Provident Fund Staff Federation	60–61
2693	दनैया नाला योजना, पटना	Danaiya Nallah Scheme, Patna	61
2694	इस्पात संयंत्रों के पास 'फिनिश्ड स्टील' का स्टाक	Stock of finished Steel with Steel Plants	61
2695	नेवेली लिग्नाइट परियोजना में बिजली का उत्पादन	Production of Electricity in Neyveli Lignite Project . .	61–62
2696	बड़े ढलाईघरों को बढ़े हुये दर पर कच्चे लोहे की कथित बिक्री	Alleged Sale of Pig Iron to Big Foundries on a Premium .	62
2697	मारुति लिमिटेड को इस्पात के लिये जारी किये गये परमिट	Permits issued for Steel to Maruti Ltd. . . .	62–63
2698	बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य के पूरा होने का समय	Completion Schedule of Bokaro Steel Project . . .	63–64
2699	संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर	Employment Growth Rate in Organised Sector . . .	64–65
2700	अल्जीयर्स गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में बनाई गई आर्थिक नीति	Economic strategy evolved at Algiers Non-Aligned Meet	65–66
2701	खेतड़ी कापर काम्पलेक्स, राजस्थान द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Khetri Copper Complex, Rajasthan . .	66
2702	तांबे की आवश्यकता और उपलब्धता	Requirement and Availability of Copper	67–69
2703	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान का भू-सर्वेक्षण	Geological Survey of Rajasthan during Fifth Five Year Plan .	69
2704	बिहार में गिरिडीह की सिंघो माइका माइनिंग कम्पनी में तालाबंदी	Lock out in Singho Mica Mining Company of Giridh in Bihar	69–70
2705	खनिज उपयोग नीति	Mineral Utilisation Policy	70
2706	रक्षा कर्मचारियों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of Pay Commission's Recommendations in respect of Defence Employees	70

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2707 मिग विमानों का निर्माण	Production of MIGs . .	71
2708 कानपुर में एवरो 748 विमान का उत्पादन	Production of Avro 748 at Kanpur	71
2710 वर्ष 1973 में हड़तालें और तालाबंदियां	Strikes and Lock outs in 1973	71–72
2712 हरियाणा में भारी उद्योग की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in Haryana	72
2713 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा कदाचार	Malpractices by Regional Commissioners of Employees Provident Fund Organisation .	72
2714 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिये बिहार के अस्पतालों और भोजनालयों का सर्वेक्षण	Survey of Hospitals and Messes in Bihar for covering them under EPF Act . . .	72–73
2715 रक्षा सेवाओं के लिये खनिज तेल	Crude Oil for Defence	73
2716 राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of National Labour Commission . . .	73–74
2717 इन्डोनेशिया के लिये सेना का प्रतिनिधि मंडल	Army Delegation to Indonesia .	74
2718 इस्पात की मांग और पूर्ति	Demand and supply of Steel .	74–75
2719 भारत का प्रतिरक्षा व्यय	Defence expenditure of India	75
2720 राज्यों और केन्द्र के श्रम मंत्रियों की बैठक	Meeting of Labour Ministers of States and Centre . .	75–76
2721 मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई को पुन: खोलना	Reopening of Meckenzies Limted, Bombay . . .	76
2722 केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना	Fixation of minimum wages of workers in industries in private Sector, Central and State Government undertakings .	76–77
2723 माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की विविधीकरण योजना	Diversification scheme of mining and allied Machinery Corporation	77–78
2724 मै० बाटा शू कम्पनी (प्राइवेट) लि० द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के संचालन में अनियमितताएं	Irregularities in administration of E.P.F. by M/s. Bata Shoe Company (Private) Limited .	78

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2725	वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आये प्रवासी हिन्दू	Hindu migrants from Pakistan during 1971 War . .	78
2726	श्रेणी वार इस्पात का उत्पादन और आयात	Production and import of Steel Categorywise . . .	78–79
2727	मलंजखंड तांबा खान के कार्य में प्रगति	Progress made at Malanjkhand copper Mines . . .	79
2728	टिस्को द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Tisco	79–80
2729	चीनी उद्योग में कर्मचारी और उन्हें दिया जाने वाला प्रतिधारणा भत्ता	Workers in sugar industry and retaining allowance paid to them	80
2730	हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल द्वारा हाई करेंट रेक्टीफायर उपकरण का निर्माण	Manufacture of High Current Rectifier Equipment by Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal	80
2731	झांसी में तांबे के निक्षेप	Copper Deposits in Jhansi	80–81
2732	करनाल के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल के छात्रों को दी जाने वाली खुराक	Diet given to Boys of Sainik School Kunjpura, Karnal, Haryana	81
2733	औद्योगिक दुर्घटनाओं में वृद्धि	Rise in Industrial Accidents	81–82
2734	मैसूर आयरन एंड स्टील प्लांट लिमिटेड के विरुद्ध जांच	Inquiry against Mysore Iron and Steel Plant Ltd. . .	82
2735	बंगाल के खाड़ी में अमरीकी मछुओं जहाजों की गतिविधियां	Activities of American Trawlers in Bay of Bengal . .	82
2736	ताम्रअयस्क और धातु की उत्पादन समय सूची	Production Schedules of Copper Ore and Metal . . .	82
2737	चुने हुए स्थानों पर कोयला-भंडार स्थापित करना	Coal Dumps at Selected Locations	83
2738	दिसंबर, 1972 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी	Increase in Unemployment during Quarter Ending December, 1972 . .	83
2739	चाय बागान एवं पटसन श्रमिकों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notices by Tea Garden and Jute Workers .	84
2740	सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम एवं अन्य बातों की पुनरीक्षा के लिये समिति	Committee to Review Courses and other Matters in Respect of Sainik Schools . . .	84
2741	सैनिक स्कूल, कुंजपुरा (हरियाणा) में भोजन के लिये मंजूर की गई धनराशि	Amount sanctioned for diet in Sainik School Kunjpura (Haryana) . .	84

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2742	खेतड़ी पट्टी के समानान्तर सल्फाइड पट्टी का पाया जाना	Sulphide Belt parallel to Khetri Belt	85
2743	पश्चिम एशियाई युद्ध के प्रति भारत का दृष्टिकोण	Indian Attitude towards West Asian War	85
2744	अरब-इजरायल युद्ध में प्रयुक्त तकनीकी युद्ध नीति और हथियारों के बारे में अध्ययन	Study of Technique, Strategy and Weapons used in Arab-Israel War	85
2745	रक्षा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Defence undertakings .	86
2746	त्रिपुरा में तुईसिन्द्रय स्थान पर सैनिक विमानों के उतरने के लिये पट्टी	Military Aircraft Landing Ground Tuisindrai in Tripura	86
2747	भारतीय इस्पात निर्माताओं और विदेशों में इस्पात निर्माताओं के लिये स्वीकृत औसत मूल्य	Average prices Allowed to Indian Steel Producers compared to Steel makers abroad	86
2748	पांचवीं योजना के दौरान इस्पात संयंत्रों के लिये अपेक्षित उच्च श्रेणी का मैंगनीज अयस्क	High Grade Manganese Ore required by Steel Plants during Fifth Plan . .	86–87
2749	कोयला उद्योग के लिये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण	IBRD Loan for Coal Industry	87–88
2750	कोयला खान कम्पनियों/खान मालिकों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकायें	Coal Mining Companies/Mines owners petitions before Supreme Court . .	88
2751	उच्चतम न्यायालय में कोयला खानों के अधिग्रहण का मामला	Case of Take over of Coal Mines before Supreme Court . .	88–89
2752	कालिन्दी परियोजना के लिये जेनेरेटर	Generators for Kalinadi Project	89
2753	सुपर अलाय के लिये विदेशी प्रौद्योगिकी	Foreign Technology for Super Alloy	89
2754	उड़ीसा में जयपुर रोड पर स्थित फेरोक्रीम संयंत्र का बंद किया जाना	Closure of Ferrochrome Plant at Jaipur Road, Orissa. .	89
2755	नेपाली सीमा-शुल्क सिपाहियों का भारतीय सीमा में बलपूर्वक प्रवेश	Intrusion by Nepalese customs sepoys into Indian Territory	90
2756	रक्षा मंत्रालय की इच्छापुर राइफल फैक्टरी से गुम हुई बन्दूकें एवं राइफलें	Disappearance of guns and rifles from Rifle Factory, Ichapore	90

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2757	शरावती जल विद्युत परियोजना के नवें एवं दसवें एककों को समय पर डिलीवर करने के बारे में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल की असफलता	Failure of Bharat Heavy Electricals Bhopal to deliver Ninth and Tenth Units of Sharavathi Hydro Electric Projects on Schedule	90–91
2758	अस्पतालों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाने संबंधी अधिसूचना	Notification covering Hospitals under EPF Act, 1952 . .	91
2759	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उपसमिति का अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन ढांचे के बारे में प्रतिवेदन	Report of Sub-Committee of E.P.F.O. on Pay structure of Officers and Staff . . .	91
2760	पटना की पटनेश्वरी बेकरी, हनुमान बिस्कुट फैक्टरी तथा हौजरी फैक्टरी को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाना	Coverage of Patneswari Bakery, Hanuman Biscuit Factory and Hosiery Factory in Patna under E.P.F. Act, 1952 . .	92
2761	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के यात्रा भत्ते के बिल	T.A. Bills of Regional Provident Fund Commissioners . .	92
2762	बेरोजगार संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिये गठित अंतर्मंत्रालयीय दल	Inter-Ministrial Group to Study recommendations of expert committee on unemployment	92
2763	वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान उड़ीसा में कोयले की मांग	Demand of Coal in Orissa during 1972-73 and 1973-74 .	93
2764	सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों में भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा कार्मिकों (सिक्योरिटी पर्सोनल) के रूप में नियुक्त करने की योजना	Scheme to employ ex-servicemen as security personnel in industrial units in Public Sector	93
2765	श्री अमृतनगर सलेक्टेड कोलियरी, रानी गंज कोयला क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार देना	Employment of workers in Shri Amritnagar selected Colliery, Raniganj Coal Belt . .	93–94
2766	'टिस्को' और 'इस्को' द्वारा नियंत्रित कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of TISCO and IISCO controlled coal mines	94
2767	श्रमिकों के काम के घंटों में कमी करने के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश	Recommendations of National Commission on labour for reduction of working hours of labourers	94–95

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2768	ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबंध में ढील दिया जाना	Relaxation of ban on import of tractors	95
2769	अलौह धातुओं के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कार्यवाही	Steps to increase indigenous production of non-ferrous metals	95
2770	भूतपूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from former East Pakistan in Andaman and Nicobar Islands .	95–96
2771	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of coal since takeover of coal mines .	96–97
2772	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा भारत हैवी इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पदों का भरा जाना	Filling up reserved posts for Scheduled Castes candidates by HAL and BEL . .	97
2773	रक्षा उपक्रमों द्वारा प्रशिक्षित अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Scheduled Castes/Scheduled Tribes trained by Defence undertakings . .	97–98
2774	सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Defence undertakings	98
2775	"अंक्टाड" के पुनर्गठन के लिये अलजीयर्स सम्मेलन की मांग	Algiers Conference call for restructuring of UNCTAD .	98
2776	गुजरात सरकार प्रशिक्षण केन्द्र में युद्ध विधवाओं को प्रशिक्षण	Training to War widows at Gujarat Government Training Centre	98–99
2777	गुजरात के भड़ौच जिले में बाढ़ग्रस्त भूमिहीन श्रमिकों को सहायता	Help to landless Flood-hit labourers in Broach District of Gujarat	99
2778	मारुति लिमिटेड	Maruti Ltd. . . .	99–100
2779	निर्माताओं से मोटर गाड़ियों के नीचे के ढांचे (चैसी) प्राप्त करने के मामले में परिवहन उपक्रमों को पेश आनेवाली कठिनाइयां	Difficulty experienced by Transport Undertakings in obtaining chassis from Manufacturers	100–101
2780	इजराइल के साथ युद्ध में अरब देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता	Aid to Arab countries by India during War with Israel . .	101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2781	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हिन्द मजदूर सभा कार्मिक संघ से विलय	Merger of INTUC and HMS Trade Unions . . .	101
2782	खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने की नवीनतम तकनीक का अपनाया जाना	Adoption of latest technique in survey to locate Mineral Resources	101–102
2783	इस्पात के उत्पादन में गिरावट	Decline in production of Steel	102
2784	बोनस समीक्षा समिति का प्रतिवेदन	Report of Bonus Review Committee	102–103
2785	भारत को रूसी गेहूँ देने के प्रस्ताव पर कुछ अमरीकी सेनेटरों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian propaganda by some U.S. Senators over Soviet wheat offer to India .	103
2786	खेतड़ी परियोजना के कार्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित करना	Shifting of office of Khetri Project to Calcutta . . .	103
2787	कपड़ा उद्योग में सात दिवसीय सप्ताह संबंधी योजना की प्रगति	Progress of scheme of seven day week in Textile Industry .	103–104
2788	खानों में सुरक्षा के बारे में तीसरे सम्मेलन की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of recommendations of Third Conference on Safety in Mines . .	104
2789	एल्यूमीनियम उद्योगों का विस्तार	Expansion of Aluminium Industries	104–105
2790	पाकिस्तान के साथ छुटपुट लड़ाई की घटनाओं में मारे गये रक्षा कर्मचारी	Defence personnel killed in clashes with Pakistan . .	105
2791	भारत की सशस्त्र सेनाओं को सशक्त बनाने के लिये कार्यवाही	Steps to strengthen Army Forces of India	105
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
राजस्थान और अन्य उत्तरी राज्यों में टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में दी गई कथित चेतावनी—		Reported warning issued re : locust invasion in Rajasthan and other Northern States—	
	श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	105–107
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	106–108
हरियाणा में हरिजनों की गिरफ्तारी के बारे में		Re : Arrest of Harijans in Haryana	108
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers laid on the Table	108–109

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	110
नियम 377 के अंतर्गत मामला—	Matter under Rule 377—	
राजनीतिक कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार	Alleged maltreatment of political prisoners . . .	110
विशेषाधिकार समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re: Sixth Report of Committee of Privileges . .	110–114
रानीगंज में साम्यवादी दल मार्क्सवादी के दो कार्यकर्ताओं की मृत्यु के बारे में	Re : Death of two C.P.M. workers in Raniganj . . .	114–115, 116
भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Indian Railways (Second Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	114–115, 116–117
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	117
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	117
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	118
श्री चन्दूलाल चन्द्रकार	Shri Chandulal Chandrakar	118
स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji .	118
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya .	118
डा० कैलास	Dr. Kailas .	118–119
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury .	119
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari .	119
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	120
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	120
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman .	120
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai .	120–121
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi .	121
खंड 2, 3 और 1—	Clauses 2, 3 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	122–124
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	122, 124–125

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	122, 125
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के बारे में चर्चा—	Discussion Re. Reorganisation of ICAR—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	125–126
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	126
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	127
श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya	127
श्री बी० व्ही० नायक	Shri B. V. Naik	127
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	127–128
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	128–130
26 नवम्बर 1973 को रानीगंज में सी० आई० टी० यू० के दो कार्यकर्ताओं की मृत्यू के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Death of two CITU workers in Raniganj on 26-11-73—	
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	130–131

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 29 नवम्बर, 1973/8 अग्रहायण, 1895 (शक)
Thursday, November 29, 1973/Agrahayana 8, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के [मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Nationalisation of Mica Mines

***262. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Steel & Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are considering to nationalise mica mines;

(b) whether Government are aware that the mica mines are being destroyed by their owners after the nationalisation of coal mines; and

(c) whether Government are considering to constitute an Expert Committee to investigate into the matter?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) अभ्रक खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

Shri Shankar Dayal Singh : Since the Nationalisation of Coal Mines it is being demanded that Mica Mines should also be nationalised. Owners of Mica Mines are destroying Mica Mines due to the fear of nationalisation. Mica is a commodity whose 80 per cent production is exported. We had exported mica worth 18 crores of rupees during 1971-72. Keeping this in view why the Government is not nationalising Mica Mines like Coal Mines?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : अभ्रक उद्योग की समस्या कोयला उद्योग से भिन्न है । इस समय 50 व्यक्तियों तक कर्मचारियों वाली खानें 443 हैं और 250 व्यक्तियों से अधिक कर्मचारीयों वाली खाने केवल 3 है । अतः अभ्रक उद्योग छोटी खानों के माध्यम से बहुत ही विकेन्द्रीकृत आधार पर चल रहा है ।

जहां तक निर्यात का संबंध हैं, मैं समझता हूँ कि अभ्रक उद्योग का भाग्य हमारी अभ्रक निर्यात क्षमता के साथ संबंध्द है और आवश्यकता इस बात की है कि खानों के सरकारी करण के स्थान पर

निर्यात को प्रोत्साहन देने और अभ्रक के निर्माण के लिये दीर्घावधि नीति बनाने हेतु इस आयोग की समस्याओं पर विचार किया जाये।

Shri Shankar Dayal Singh: Coal Mine workers are getting 8 to 10 rupees a day whereas Mica Mine workers are getting nearly three rupees per day. Keeping this in view and also with a view to provide benefit of socialism to these workers will an expert committee be appointed with regard to nationalisation of Mica Mines?

श्री टी० ए० पाई : अभ्रक उद्योग में अक्टूबर 1971 में न्यूनतम वेतन 2.31 रुपये से 3.5 रुपये तक था। यदि अभ्रक खानों के मजदूरों को भी अन्य खनन उद्योगों के मजदूरों के समान मजदूरी देना अन्ततः उद्योग के लाभ पर निर्भर करता है। वास्तव में, बहुत-सी खानें बन्द हो रही हैं क्योंकि मालिक खनन कार्य को अलाभप्रद पाते हैं और यदि उन्हें सरकार अपने अधिकार में लेती है तो भी स्थिति में परिवर्तन होने वाला नहीं है। इस बात को देखते हुए कि उत्पादित अभ्रक का 80 प्रतिशत भाग, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया है, निर्यात होता है और यदि हमारे निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप अभ्रक उद्योग की स्थिति में सुधार हो जाये तो श्रमिकों की कार्यकारण की परिस्थितियों को सुधारना हमारे लिये संभव हो सकेगा।

श्री शंकर दयाल सिंह : क्या इस संबंध में किसी विशेषज्ञ समिति के नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

श्री टी० ए० पाई : अब जबकि अभ्रक खानों का पट्टा राज्य सरकारों द्वारा दिया जा रहा है और केन्द्र ने अभी तक इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि हम अपने मंत्रालय में इस बात का हर संभव प्रयास करेंगे कि अभ्रक निर्यात के विकास के लिये दीर्घावधि नीति बनाने की समस्या की ओर ध्यान दिये जाये।

श्री रानेन सेन : सामरिक उद्योगों में और सैनिक प्रयोजनों के लिये अभ्रक के महत्व को देखते हुए इस बात को देखते हुए कि समाचारपत्रों में खनन मालिकों द्वारा अभ्रक खानों की बरबादी अथवा अनुपयोगी ढंग से कार्यकरण के समाचार प्रकाशित हुए हैं क्या सरकार ने यह आवश्यक समझा है जब मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार इस पर विचार करेगी—अभ्रक उद्योग, जिससे हमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, की स्थिति की जांच के लिये समिति की नियुक्ति की जाय?

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकर दयाल सिंह ने भी यही प्रश्न पूछा था और उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री रानेन सेन : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में अभी अभी यह कहा है कि सरकार किसी प्रकार की जांच समिति का गठन करने के प्रश्न पर विचार करेगी। मैंने कहा कि इन रिपोर्टों को देखते हुए, जो कि बंगाल और बिहार में प्रायः समाचारपत्रों में प्रकाशित हो रही हैं, सरकार सारे मामले की जांच क्यों नहीं करती ? जहां तक मैं जानता हूं बिहार सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को कुछ अभ्यावेदन दिये है।

श्री टी० ए० पाई : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं उन आरोपों की जांच के लिये, जो कि मुझे प्राप्त हुए हैं, किसी जांच समिति का गठन नहीं कर रहा। खान मालिकों द्वारा खानें चलाये जाने के संबंध में और उनकी बरबादी के संबंध में प्रायः आरोप लगाये जाते हैं और समय-समय पर इस सब के बारे में जांच की गई है और हमने पाया है कि उनका कोई औचित्य नहीं। मैंने यह संकेत दिया था कि निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से इस उद्योग की ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है और इस कारण हम दीर्घावधि निर्यात की नीति तैयार करेंगे जिससे इस उद्योग में स्थिरता लाई जा सके।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकारी मत में कुछ असंगति है क्योंकि सरकार ने संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अधिकार में लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई तो सरकार इन

अभ्रक खानों को अपने अधिकार में लेने में हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? इसका क्या कारण है? विशेष रूप से जबकि, जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है, यह उद्योग निर्यात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ?

श्री टी० ए० पाई : इस संबंध में कोई असंगति नहीं है। मैंने यह कहा था कि बहुत-सी खानों में, जब खनन करना अलाभप्रद हो जाता है, तो वे बन्द कर दी जाती हैं। भूमिगत खनन और गहरा खनन करना बहुत मुश्किल होता है। अतः कठिनाइयां तो इस उद्योग में स्वयं विद्यमान हैं। यदि इन्हें सरकारी नियंत्रण में लेने से स्थिति में सुधार होता हो तो मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं यह अनुभव करता हूं कि इस उद्योग की समस्याओं की ओर इस उद्योग की स्थिरता के लिये अपेक्षित सहायता की दृष्टि से देखना होगा और इसी समस्या पर ध्यान दिय जाने की आवश्यकता है और मैं निश्चित रूप से आवश्यक उपाय करूंगा।

श्री हरि किशोर सिंह : बीमार कपड़ा मिलों के बारे में यह हुआ कि सरकार ने उन मिलों को अपने अधिकार में ले लिया। अतः मैं जानना चाहता हूं कि अभ्रक खानों के मामले में भी उसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नही की जा सकती ?

श्री टी० ए० पाई : बीमार कपड़ा मिलों में बहुत बडी संख्या में मजदूर काम करते थे। 1968 के आंकड़ों के अनुसार, 518 खानों में से 443 खानों में प्रतिदिन औसतन 50 व्यक्ति काम करते हैं, 68 खानों में प्रति दिन औसतन 51 से 150 व्यक्ति काम करते हैं, 4 खानों में प्रतिदिन औसतन 151 से 250 व्यक्ति काम करत ह और 3 खानों में 250 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। जब तक कि माननीय सदस्य का आरोप यह न हो कि सारा अभ्रक उद्योग ही बीमार है और इसे सरकारी अधिकार में लिया जाना चाहिये तब तक वे कपड़ा मिलों से इन खानों की तुलना नहीं कर सकते। यह तुलना संगत प्रतीत नहीं होती।

श्री के० मालन्ना : कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात कुल उत्पादन क्या है और क्या उत्पादन में कमी हुई है अथवा वृद्धि? यदि हानि हुई है तो उसके क्या कारण है ?

श्री टी० ए० पाई : हम अभ्रक पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री के० मालन्ना : मैंने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अभ्रक उद्योग के उत्पादन के संबंध में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय समझते हैं तो उत्तर दे दें। मैं तो समझ नहीं सका हूँ।

श्री के० मालन्ना : मेरा प्रश्न कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात देश में अभ्रक उद्योग के उत्पादन के संबंध में है। क्योंकि प्रश्न विशष रूप से अभ्रक उद्योग के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुख्य प्रश्न के संबंध में नहीं पूछा। कुल उत्पादन के संबंध में जांच का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न इसके राष्ट्रीयकरण संबंधी सरकारी प्रस्ताव के बारे में है।

श्री के० मालन्ना : मैं कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अभ्रक उद्योग का उत्पादन जानना चाहता हूं। यदि उत्पादन में कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री टी० ए० पाई : उन्होंने संकेत दिया है कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उत्पादन में कमी हुई है और अभ्रक उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका उत्पादन भी कम हो जायेगा। मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं। अब अभ्रक उद्योग के उत्पादन के बारे में, 1965 में 32,100 टन उत्पादन हुआ और 1973 में 18,263 टन। किमतों में वृद्धि हो गई है अतः हमें निर्यात के लिये अधिक मूल्य प्राप्त होगा।

श्री समर गुह : अभ्रक उत्पादन के संबंध में भारत का विश्व की मण्डियों में एकाधिकार है। स्वयं मंत्रालय के अनुसार देश का भविष्य अभ्रक के निरन्तर निर्यात से सम्बध्द है। क्या विदेशी उद्योगपति (कम्यूनिस्ट देशों सहित) खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अभ्रक खरीदने के स्थान पर सीधे बड़े-बड़े खान मालिकों से खरीदते हैं जिसके परिणामस्वरूप छोटे खान मालिक कष्ट में है और उनकी खानों के बन्द होने का यही कारण है? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अभ्रक का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से करने का सोच रही है न कि सीधे उद्योगपतियों के माध्यम से ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप इस बारे में अलग प्रश्न पूछ सकते है ।

वह उत्तर देने के लिये तैयार हैं। मैंने यह देखना है कि क्या यह प्रश्न संबद्ध भी है अथवा नहीं। यदि आप इसके लिये पृथक सूचना दे, तो अधिक अच्छा होगा।

श्री समर गुह : मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपना प्रश्न मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के कारण किया है। मंत्री महोदय कहते हैं कि भविष्य लगातार निर्यात करने पर निर्भर करता है। अत: मेरा अनुपूरक प्रश्न इसी से उत्पन्न हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप खड़े रहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री टी० ए० पाई : जहां तक छोटी अभ्रक खानों का संबंध है, जो कुछ भी वे उत्पादन करते है, एम० एम० टी० सी को उसे निर्यात करने का निदेश मिला हुआ है। सोवियत संघ को निर्यात किया जाता है और इसके अतिरिक्त हम मुख्य रूप से इसका निर्यात अमरीका, फ्रांस और जर्मनी को करते हैं। इस समय अभ्रक का निर्यात 50 देशों को किया जाता है। और हम अभ्रक की किस्म के कारण अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसमें बेहतर निर्माण तथा बेहतर ढंग से परिष्करण करके सुधार किया जाना चाहिये। परीष्कृत अभ्रक का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के विचार से हम इस उद्योग का पुनर्गठन करने का प्रयास कर रहे हैं।

Dr. Laxminarain Pandeya : The Hon'ble Minister has just stated that the production of mica has decreased during the last few years. I want to know whether it is a fact that many mica mines have been leased out in Madhya Pradesh and Rajasthan for 20 years, but the mine owners have not been producing mica out of them; if so, whether Government would terminate their leases and produce mica themselves out of these mines, so that the production of mica may be increased?

श्री टी० ए० पाई : जैसा कि मैंने पहले बताया है, उत्पादन में कमी हुई हैं क्योंकि निर्यात की सम्भावनाओं का पता नहीं लगाया गया है। यदि इन पट्टों के द्वारा पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अभ्रक उपयोग लाभकारी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। जब तक हम समूची बात के बारे में पुनर्विचार नहीं कर लेते, तब तक मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है न कि अभ्रक काल। इसमें 20 मिनट लग गये हैं। यह एक सरल-सा प्रश्न है।

Doles to Educated unemployed

***263. Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to grant Daily Allowance to the educated unemployed persons till they get employment;

(b) whether Government have also under consideration a scheme to provide part-time jobs to these people in Government, semi-Government and Centrally-aided offices, factories and institutions;

(c) whether overtime work in all these places will be stopped and these people will be absorbed there; and if so, the outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) No such proposals or schemes are under consideration of Government.

Shri Dhan Shah Pradhan : The Government should have liberally considered the question of giving some relief to educated unemployed persons, so that they may be able to earn their livelihood. It is requested that the Hon'ble Minister has evaded this question by stating that no such question is under the consideration of the Government. I want to know the reason for the same. Are the educated unemployed persons not granted any allowance in foreign countries? If we do not give them any relief should they die by taking poison?

Mr. Speaker : The Hon'ble member should not make a public speech. He should put a question only.

Shri Dhan Shah Pradhan : I want to know as to why this proposal is not under the consideration of the Government?

Shri Balgovind Verma : At present the economic condition is not so good that we may give them relief. The Hon'ble member has mentioned about the foreign countries. Their economy is very much developed. The unemployment there is very fractional, so, there, such relief is given by way of granting allowance or insurance or old-age pension. At present we are not able to do it. Some members want that unemployment allowance should be granted to educated unempolyed persons. Some members say that overtime should be stopped. If we stop overtime, we would have to appoint fresh persons to complete work. If we appoint them for a few days and then we discharge them from service, they would have great frustration. Then, some financial difficulties would also arise, because inflation has been increasing. If we grant the allowance, then it would further increase. We should hope that as soon as our financial condition improves, we would do this.

Shri Dhan Shah Pradhan : What would they eat now? This is my question. Do the Government not want to utilize their valuable time and energy?

Shri Balgovind Verma : This Government belong to you and the poeple. The Government is worried about them. But the question as to what would they eat, is very complicated. As the God has given them hands, they can do any work themselves.

Shri Dhan Shah Pradhan : Mr. Speaker, Sir, still (b) and (c) parts of my question remain unanswered, I have so far asked about part (a) only.

Mr. Speaker : Please sit down. You have asked two supplementaries. Supplimentaries cannot be put regarding Parts (b) and (c) in this way.

Shri Dhan Shah Pradhan : Mr. Speaker, Sir, the number of educated unemploye persons in India is 50 lakhs. The Hon'ble minister should give assurance to the House that when he would give the allowance to the educated unemployed persons.

Mr. Speaker : The question should not be asked piece meal. It should not continue like this.

Shri Balgovind Verma : We can not give assurance that unemployment allowanec would be given to those persons. We are not in a position to do so.

The Government are trying their best to provide employment to maximum number of persons through their five year Plans.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठे रहिये। मैं आप के इस प्रश्न को अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप हर समय एसे खड़े न हों।

श्री ए० एस० कस्तुरे : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए तथा विभिन्न मंत्रालयों में अभी तक न भरे गये अनेक आरक्षित पदों की संख्या को भी देखते हुए क्या सरकार इन न भरे गये आरक्षित पदों के भरे जाने तक इन व्यक्तियों को दैनिक भत्ता देने के प्रस्ताव पर विचार करगी ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : हम एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं बरत सकते। निश्चय ही हम इन शिक्षित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हम ने विभिन्न स्थानों पर केन्द्र खोले हैं। इनमें से एक केन्द्र दिल्ली में भी खोला गया है। हम इन केन्द्रों के द्वारा परीक्षा में बैठने तथा नौकरी ढूंढने के हेतु मार्गदर्शन करने के लिये उन्हें आवश्यक शिक्षा दे रहे हैं।

Shri M. C. Daga : First, Second and Third Pay Commission as well as Hon'ble Finance Minister have repeatedly announced that overtime allowance should be discouraged. So, please let me know whether he has made any assessment as to how much they are spending annually on overtime allowance and how many educated unemployed persons can be employed by stopping the overtime allowance?

Shri Balgovind Verma : Sir, it is under the consideration of the Government as to how much overtime should be allowed by us. So far Government have not taken any decision in this regard. The Government have decided in regard to the Third Pay Commission of labour that there should be *status quo* in regard to the overtime allowance being paid at present. The *status quo* should remain in this regard in non-industrial institutes as well as Industrial establishments till the decision is taken by the Government.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that the Government had formulated any crash programme for providing jobs to unemployed persons? I want to know the number of persons benefited under this programme and the amount incurred thereon. Is it also a fact that this crash programme has crashed?

Shri Balgovind Verma : It is a fact that crash programme was started here during the last year. Last year we had earmarked Rs. 50 crores for this, which has not been spent fully during the year. About Rs. 33 crores have been spent. This amount was to be spent by the State Governments and they could not fully utilize it. We have not got exact figures but employment has been provided to a substantial number of people under this crash programme.

Shri Shyamnandan Mishra : To how many?

Shri Balgovind Verma : We have not got the figures at present. We will provide these figures to him.

Shri Ram Singh Bhai Verma : The hon. Minister has stated that the main features of the labour policy are to raise productivity and create more employment, but instead of creating more employment the money is paid in the form of overtime allowance. Is it not against the labour policy?

Shri Balgovind Verma : It is paid in view of the excess work. We thought that those who are already in service should be given a chance to work for extra hours so that the work could be finished early. Moreover, the Pay Commission has recommended the abolition of overtime allowance instead of cash payment the overtime work will be compensated in the

form of leave. If the working hours are more than 48 hours per week, the excess hours will be counted in the over-time. The Government has yet to take a decision on it.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : पंचवर्षीय योजनाओं को देखने पर ज्ञात होता है कि उनकी उपलब्धि केवल निर्धनता तथा बेरोज़गारी का विकास है । क्या सरकार पांचवीं योजना में निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिये समुचित धन की व्यवस्था करेगी ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : आर्थिक विकास को नया रूप दिया जा रहा है। पांचवीं योजना में हम कई ऐसे काम करेंगे जिन्हें कि हम हाथ में ले चुके हैं । वर्ष 1972-73 के दौरान हमने राज्यों के लिये 26 करोड़ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 0.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस आशा से की कि इतना ही धन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भी मिलाया जाएगा जिससे 3.70 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकेंग ।

इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष उपाय भी किये गए हैं और इसके लिये 100 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं । वर्ष 1973-74 में राज्य मंत्रालयों को अपनी अपनी योजनाएं तैयार करने को कहा गया था । उन्होंने कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं और योजना आयोग ने उन्हें स्वीकृति दी है । वे अपनी योजनाएं प्रारम्भ करने जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप...

अध्यक्ष महोदय : आप कहिए कि हम समुचित धन जुटा रहे हैं । लम्बा भाषण न दीजिए।

कलकत्ता आयात-कर्त्ता, निर्यात-कर्त्ता तथा क्लीयरिंग एजेन्ट कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

*264. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता आयात-कर्ता, निर्यात-कर्त्ता तथा क्लियरिंग एजेंट कर्मचारी संघ ने 23 नवम्बर, 1973 से निरंतर हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के नोटिस में किन मामलों को उठाया गया है;

(ग) क्या संबंधित आयात-कर्त्ता तथा निर्यात-कर्त्ता फर्मों के प्रबन्धकों का सम्मेलन बुलाकर कर्मचारियों की वैध मांगों को पूरा करने के लिये नौवहन मंत्रालय के साथ इस मामले पर चर्चा की गई है; यदि हां, तो ऐसे प्रयास के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार संघ द्वारा उठाए गए मामलों का उचित हल निकाल कर हड़ताल को टालने के लिय जिसकी धमकी दी गई है कोई कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) हड़ताल का नोटिस 20 मांगों से संबंधित था । एक विवरण जिसमें इन मांगों की सूची दी गई है, सदन के मेज पर रखा गया है ।

(ग) और (घ) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया क्योंकि व सीधे संबंधित नहीं थे । तथापि, 16, 20 और 22 नवम्बर, 1973 को सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता द्वारा समझौता कार्यवाहियां की गई थीं । इसके फलस्वरूप, बीस नियोजकों के साथ अलग-अलग समझौते किए गए थे और कुछ और नियोजकों द्वारा समझोते किए जाने की सद्भावना है। इसलिये, यूनियन ने पन्द्रह दिनों के लिये हड़ताल स्थगित कर दी है ।

विवरण

1. **वेतन मान :**

लिपिकीय कर्मचारी-वर्ग

(क) पर्यवेक्षक : 325-25-425-25-525-30-705 रु०

(ख) लिपिक : वरिष्ठ—300-20-400—25-500—30-680 रु०
(लेखा, आशुलिपिक, टाइपिस्ट, पत्तन कष्टम, गोदाम आदि, आदि)

(ग) लिपिक : कनिष्ठ—200-10-250—15-340—20-440 रु०
(लेखा, आशुलिपिक, टाइपिस्ट, पत्तन, कष्टम गोदाम आदि, आदि)

उप-कर्मचारी

(क) चपरासी और मजदूर—120-8-200—10-240—15-300 रु०

(ख) कूपर और दर्बान—130-8-210-10-260-15-320 रु०

(ग) कार चालक और लारी चालक—150-10-200-12-260-18-332 रु०

1-4-1973 से समस्त कर्मचारी वर्ग और उप-कर्मचारी-वर्ग के वेतन उनके संशोधित वतन-मानों में फिट कर दिए जाने चाहिएं; सेवा के प्रत्येक पांच वर्षों या उससे कम के लिय एक फिटमेंट और अधिकतम 3 फिटमेंट तक देनी चाहिएं ।

2. **महंगाई भत्ता** : समस्त कर्मचारी-वर्ग और उप-कर्मचारी-वर्ग को बैंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के क्रमश: मध्यम वर्ग और श्रमजीवी वर्ग संबंधी सूचकांकों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये ।

3. **टिफिन भत्ता :** प्रत्येक श्रमिक को यह 45 रुपये प्रति माह अथवा 2 रुपए प्रति-कार्य दिन की दर से दिया जाना चाहिए ।

4. **मकान किराया :** मकान किराये की बाबत प्रत्येक श्रमिकों को 15 प्रतिशत मज़दूरी दी जानी चाहिए ।

5. **नैमित्तिक मजदूर :** सभी नैमित्तिक मज़दूरों (दिहाड़ी पर काम करने वाले) को तात्कालिक प्रभाव से स्थायी बनाया जाए और उन्हें 1, उप-कर्मचारी-वर्ग (क) में दर्शाए गए वेतनमान में फिट किया जाना चाहिये और ऊपर 2 में दिखाया गया महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये ।

6. **समयोपरि भत्ता :** सामान्य कार्य घंटों के बाद करने के लिये यह सभी को सामान्य मज़दूरी (मूल और महंगाई भत्ते) की दुगुनी दर से दिया जाना चाहिये ।

7. **छुट्टी सम्बन्धी सुविधाएं :** (क) प्रत्येक श्रमिक को 30 दिन की विशेषाधिकार छुट्टी (जो ज्यादा से ज्यादा 180 दिन तक जमा हो सकती है) पूरे वेतन सहित दी जानी चाहिए ।

(ख) प्रत्येक श्रमिक को प्रति वर्ष (न जमा होने वाली) 15 आकस्मिक छुट्टियां दी जाएं ।

(ग) प्रति वर्ष 15 दिनों की बिमारी छुट्टी पूर्ण वेतन के साथ और 15 दिनों की आधे वेतन के साथ, जो 120 दिनों तक पूर्ण वेतन के साथ और 120 दिनों तक अर्ध वेतन के साथ जमा हो सकती है, दी जाय ।

8. **कार्य के घंटे** : कार्य दिनों में 1 घंटे के अवकाश के साथ 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक और शनिवारों को 10 बजे पुर्वाहन से 1 बजे अपराहन तक ।

9. **छुट्टियां** : हरेक वर्ष परक्राम्य लिखित अधिनियम एन्० आई० एक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियां दी जायें ।

10. **ग्रेच्युटी** : इसका भुगतान सेवा के प्रत्येक पूर्ण एक महीने की मजूरी की दर पर (मूल महंगाई भत्ता, जो आखिर में लिया गया हो) वर्ष या उसके भाग, के लिए 20 महीनों की अधिकतम मजूरी की शर्त पर, किया जाय ।

11. **भविष्य निधि** : मजूरी में प्रतिशत की दर से कटौति की जाये और उतनी ही राशि नियोजक द्वारा श्रमिकों के भविष्य निधि में अंशदान के रूप में दी जाय ।

12. **चिकित्सीय लाभ** : कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के आश्रित सदस्यों के लिये भी कम्पनी के खर्च पर चिकित्सीय देखरेख की व्यवस्था की जाये ।

13. **वर्दियां** : उप-कर्मचारी-वर्ग को नीचे दर्शाय गए तरीके से वर्दियां दी जायें :

(क) **ग्रीष्म** : प्रत्येक वर्ष एक जोड़ा बूट और एक जोड़ा जुराबों के साथ दो पतलूनें और पूरे बाजू की दो कमीजें दी जायें ।

(ख) **जाड़ा** : प्रत्येक दूसरे वर्ष एक गर्म पेंट और एक गर्म कोट दिया जाय ।

(ग) **वर्षा ऋतु** : सभी उप-कर्मचारियों और बाह्य कर्मचारियों को एक छाता या बरसाती दी जाय ।

14. **पदोन्नति** : पदोन्नति के लिये पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था की जाने चाहिये और वरिष्ठ और योग्य उम्मीदवारों के लिये निम्न से उच्च पदों पर पदोन्नति के मार्गों का सृजन किया जाय । वरिष्ठता और दक्षता के आधार पर 25 प्रतिशत वर्तमान श्रेणी 2 के लिपिकीय कर्मचारियों को श्रेणी-1 में पदोन्नति किया जाये ।

15. **भर्ती** : नई भर्ती के लिये कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाये विकलांग कर्मचारियों के पत्रों और आश्रितों को उनको योग्यतानुसार काम दिये जायें ।

16. **पदनाम** : सामान्य रूप में कर्मचारियों के पदनाम और विशेषरूप से बाह्य कर्मचारियों के पदनाम नीचे बताये गए तरीके से बदले जायें :—

वर्तमान पदनाम	इस प्रकार से बदला जाये
जेट्टी सरकार	पत्तन आयुक्तों का सहायक ।
कस्टम सरकार	कस्टम्स सहायक ।

17. **लाइसेंस की बदली** : कस्टम या पत्तन आयुक्तों से लाइसेंस के हस्तान्तरण के मामले में, पहले के नियोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिये और लाइसेंस का हस्तान्तरण बाद के नियोजक के नियुक्ति पत्र के आधार पर किया जाना चाहिए ।

18. **सेवानिवृत्त व्यक्ति** : सेवा निवृत्त व्यक्तियों की सेवाओं को तुरन्त समाप्त किया जाये और उनके स्थान पर बेरोजगार युवक व्यक्तियों को भर्ती किया जाना चाहिये ।

19. **धुलाई भत्ता :** प्रत्येक उप-कर्मचारी को 10 रुपए प्रति माह दिया जाना चाहिये ।

20. आयात-कर्त्ताओं-निर्यात-कर्त्ताओं और निकासी तथा अग्रेषण अभिकर्त्ताओं द्वारा नियोजित मजदूरों का नियमितिकरण ।

श्री समर गुह : सरकार सदा हम पर ही हडतालें कराने का दोष लगाती है परन्तु उनके वार्षिक सम्मेलन में जिनका मैं ने उद्घाटन किया था, मैंने हडताल न करने का अनुरोध किया था और उन्हें अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए सभी न्यायोचित उपाय करने की सलाह दी थी । इसीलिए उन्होंनें हडताल स्थगित कर दी है । तो क्या सरकारी क्षेत्र में आयातकर्ताओं, निर्यातकों और क्लियरिंग एजेंटो के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न वेतन मान तथा अन्य लाभ प्राप्त है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में दूसरी प्रकार के वेतन मान आदि हैं । मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि केवल 70 नियोजकों ने ही अपने कर्मचारियों के साथ कोई समझौता किया है जबकि शेष नियोजकों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है जिससे कर्मचारियों को न केवल सेवा संबंधी भविष्य का खतरा है बल्की उन्हें वे लाभ भी प्राप्त नहीं है जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त हैं ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इस मामले पर समझौता वार्ता जारी है, अत: मैं इस समय सभा में कुछ नही कहूंगा ।

श्री समर गुह : दूसरे, यदि इन संघों के प्रतिनिधि केन्द्रीय मंत्रियों से उनकी सलाह और मार्गदर्शन पाने हेतु मिलने के इच्छुक हो तो क्या इसके लिए वे सहमत होंगे ?

श्री एस० बी० गिरी : क्या उनके मंत्रालय में रखी गई मांगों के संदर्भ में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र, दोनों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अध्ययन किया है ? उनका कहना है कि समझौता वार्ता चल रही है परन्तु यदि दोनों क्षेत्रों में इन शर्तों में विषमता है तो श्रम मंत्रालय क्या कदम उठाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह विशिष्ट प्रश्न है ।

श्री समर गुह : यही तो मुख्य प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : वह श्री गिरि है और आप श्री गुह है । यदि कोई प्रश्न संगत हो तो मैं उस की जरूर अनुमति दुंगा परन्तु आपके लिए तो मुझे चिल्लाना पडता है और इसी बीच आप उठकर खडे हो जाते है, मैं ने उनका ध्यान दिलाया है और वही इसे मान सकते है या नहीं ।

श्री बाल गोविंद वर्मा : हमने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कोई भेद नहीं रखा है। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और समझौता वार्ता सहायक श्रम आयुक्त (मध्य) कलकत्ता के साथ जारी है और हमें आशा है कि समझौता हो जायगा ।

श्री एस० बी० गिरी : क्या यह सच नहीं है कि दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें भिन्न है ? यदि हां, तो सरकार इस विषमता को कैसे दूर करेगी ? इसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री बाल गोविंद वर्मा : सौ नियोजक है और उनमे से 26 के समझौते हो चुके हैं शेष के साथ बात चीत हो रही है और आशा है कि वे मान जाएंगे ?

श्री समर गुह : क्या सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में फर्क है ? जब सदस्य महोदय के इसी प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया तो मैं ने सोचा कि इसे पुन: पूछना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा यह प्रश्न जब तक नहीं पूछा गया, आप पूर्णतया संतुष्ट थे। अब वह संतुष्ट है तो आप खडे हो गए हैं ।

श्री समर गुह : वह संतुष्ट नहीं हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में क्लियरिंग एजेंटों और स्टिवेडोर कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि के भिन्न होने की शिकायतें है ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई विधान बनाने का है ताकि देश भर के सभी पत्तनों आदि के कर्मचारियों की सेवा शर्तें समान हों ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : यह पृथक प्रश्न है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण के अनुसार शिकायतें वेतनमानों और सेवा शर्तों के बारे में है और कलकत्ता और बम्बई की सेवा शर्तें भिन्न है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जहां भी समझौता वार्ता की गई है वहां अधिकांश कर्मचारी मान गए हैं और नियोजकों ने बम्बई में लागू सेवा नियम तथा शर्तें लागू करना सिद्धान्ततः मान लिया है । शेष भी मान जाएंगे और वही सेवा शर्तें लागू करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जब कलकत्ता के स्टिवेडोरों ने बोनस की मांग की तो नियोजकों ने उसे मान लिया जब कि बम्बई में आपत्ति उठाई गई। फिर समान सेवा शर्तें क्यों लागू नहीं की जाती ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कलकत्ता और मद्रास में बोनस का फैसला सम्बन्ध पक्षों की बातचीत से हुआ है। इस समय जबकि समझौता वार्ता जारी है हम कोई राय नहीं देना चाहते। आशा है यह वार्ता शीघ्र समाप्त हो जाएगी। यदि कोई कठिनाई हुई तो मामल पर विस्तार से विचार करके कोई हल निकाला जाएगा।

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा एक सामान्य पश्चिम एशिया नीति का निर्धारण

*265. **श्री मधु दण्डवते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के बारे में एक सामान्य नीति बनाने के लिए अन्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों से सम्पर्क करने के लिए कुछ कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हाल में हुए युद्ध के शुरू होने के बाद गुट-मुक्त देशों के प्रतिनिधियों ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बैठक की और एक वक्तव्य जारी किया जिसमें आगे की कार्रवाई पर विचार करने के लिए अपने बीच सम्पर्क जारी रखने का निश्चय व्यक्त किया गया था । सुरक्षा परिषद के गुट-मुक्त सदस्यों ने परस्पर गम्भीर सलाह मशविरा किया और परिषद के विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । उन्होनें संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के गठन का प्रस्ताव रखा और बाद में इसकी स्थापना में सक्रिय भाग लिया।

अभी कुछ समय पहले भी इस संदर्भ में विचार विमर्श हुआ था, विशेषकर गुट-मुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य देशों के बीच, इस का उद्देश्य था—पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार-विनिमय करके अपने दृष्टिकोण में तालमेल बैठाने के लिए बैठक बुलाना ।

इस समस्त विचार-विमर्श में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया है ।

(ख) पश्चिम एशिया की स्थिति पर गुट-मुक्त देशों के विचार अल्जियर्स शिखर सम्मेलन की घोषणा में और 10 अक्तूबर, 1973 को न्यूयार्क में उनके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में प्रकट किए हैं । इसकी मुख्य बातें है : पश्चिम एशिया में न्यायोचित एवं स्थायी शान्ति, इजराइल द्वारा अरब क्षेत्रों कों खाली किया जाना और फिलिस्तानी लोगों के अधिकार गुट-मुक्त देशों द्वारा प्रायोजित और सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव स० 340 म मांग की गई थी कि तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम लागू किया जाय और 22 अक्तूबर 1973 की स्थिति पर लौटा जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्र संघ में गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक में, जिसका अपने उत्तर में मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है, श्री निक्सन की मास्को यात्रा पर विचार किया गया, जिसके दौरान श्री निक्सन और सोवियत प्रतिनिधियों की बातचीत में उन्होंने एक दूसरे के प्रति एक आचार संहिता बनाई थी, जिसमें उन्होंने यह संकल्प किया था कि वे अरब और इजरायल के बीच संघर्ष जैसे क्षेत्रीय संघर्षों को इतना न बढन दें कि उनमें पारस्परिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो और वे इसके लिए भी सहमत हुए थे कि एक दूसरे की गठबन्धन व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे अथवा उनका महत्व कम नहीं आँकेंगे और अरब देशों अथवा इजरायल जैसे किसी क्षेत्र में एक दूसरे के प्रभाव को कम नहीं करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह प्रश्न इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता । श्री निक्सन और सोवियत प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत पर मेरे लिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान जी, क्या आपकी भी यह राय है कि यह प्रश्न असंगत है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि सामान्य पश्चिम एशिया नीति बनाने के लिए अन्य गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों से सम्पर्क करने के लिए कुछ कार्यवाही की गई है । यह राष्ट्रपति निक्सन और सोवियत रुस के बारे में नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न का दूसरा भाग इस प्रकार है "यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है । "

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गुट-निरपेक्ष ताकतों के बारे में है । मैं इस बारे में आपसे बहस करने नहीं जा रहा; मैं केवल संगति-असंगति के बारे में कह सकता हूं । हम अपने कक्ष में इस पर चर्चा करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछूंगा । यह भी एक अलग प्रकार से इससे सम्बन्धित है । अमेरिका और रुस के बीच तनाव में कमी हो रही है । मगर तनाव में कमी से अरब-इजरायल युद्ध जैसे क्षेत्रीय संघर्षों की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिनमें विरोधी पक्षों को हथियार और सामग्री उपलब्ध करने में दोनों सम्बद्ध हो सकत है, लेकिन जब तक संघर्ष एक निर्धारित सीमा तक रहती है और किसी भी बडी ताकत के स्थानीय प्रभाव को गम्भीर रूप से क्षति नहीं पहुंचती । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के लिए यह चिन्ता की बात नहीं है कि दो बडी ताकतों सोवियत संघ और अमेरिका ने वस्तुत: दो संघर्ष रत राष्ट्रों को हथियार और अन्य युद्ध सामग्री देकर सहायता की ? इन बडी ताकतों ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को स्थायी रूप दिया ....

श्री वयालार रवि : यह असामयिक है ।

प्रो० मधु दण्डवते : अपने से भिन्न दृष्टिकोण को सुनने की भी थोडी सहनशक्ति रखिये । माननीय सदस्य को प्रश्न के दायरे के बारे में निर्णय नहीं करना है, बल्कि श्रीमानजी, आपको इस बारे में निर्णय करना है । मैं यह जानना चाहूंगा कि गुट-निरपक्ष राष्ट्रों के लिए यह चिन्ता की बात नहीं कि बडी ताकतों ने संघर्ष को स्थायित्व प्रदान करन और 'शान्ति का आदेश देने' का कार्य किया? इसके विपरीत क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि गुट-निरपेक्ष देश एक रचनात्मक वैकल्पिक नीति का अनुसरण करें, जो अधिक रचनात्मक हो और बडी ताकतों की सत्तान्मुख भूमिका के लिए एक बेहतर विकल्प हो ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं अपने आपको प्रश्न से के दायरे तक ही सीमित रखूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं ने कहा कि प्रश्न के अन्तिम भाग में ...

अध्यक्ष महोदय : कृपया हर समय बात मत करिए ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, he is putting forth his views, but why are you reprimanding? You may disallow his question if it is irrelevent.

अध्यक्ष महोदय : वह पहली बार खडे नहीं हुए है । वह बार-बार क्यों खडे हो जाते है ?

श्री मधु लिमये : वह बार-बार खडे नहीं हुए।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे कार्यवाही वृतान्त में रहने दीजिए कि प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर देने से मन्त्री महोदय ने इन्कार किया ...

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रश्न पूछ चुके है । मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिए । वह हर बार हस्तक्षेप क्यों करते है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : पश्चिम एशिया की घटनाओं के बारे में गुट-निरपेक्ष राष्ट्र स्वाभाविक रूप से चिन्तित है । उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीति और रुख की उनके प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है । उन्होनें इजरायली आक्रमण की स्पष्ट रूप से निन्दा की है । उन्होनें फिलिस्तीनियों के अधिकारों का भी पूर्ण समर्थन किया है । इन सब बातों की स्पष्ट व्याख्या की गई है । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि गट-निरपेक्ष ग्रुप ने जो कुछ भी निर्णय अथवा कार्यवाही की है, उसकी अरब मित्र देशों को जानकारी है और वह हमारी सहमति से लिया गया है । हम लगातार उनके सम्पर्क में रहे है । हम उनके दृष्टिकोण और उनकी विचारधारा से परिचित है और जो कुछ हमने कहा है, वह उनसे परामर्श करने के बाद कहा है । इस लिए इस बारे में अस्पष्ट अथवा उदासीन होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री निम्बालकर : म यह जानना चाहता हूं कि अरब राष्ट्रों को गुट-निरपेक्ष समझने के सम्बन्ध में सरकार का तर्क क्या है जब कि उन्होंने इजराएल के विरुद्ध अपना गुट बना लिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य "गुट-निरपेक्ष" शब्द की गलत व्याख्या कर रहे है । अरब राष्ट्रों का गुट नहीं है । वे अपने क्षेत्र को खाली कराने के सीमित उद्देश्य के लिए एकजुट हुए हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो स्नेह मिलन है । गुट नहीं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पश्चिम एशिया संकट में भारत की भूमिका की वजह से अरब शिखर सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों से निर्णयात्मक रूप से कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया है । मैं "निर्णयात्मक रूप से कार्यवाही" पद के बार में भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : साधारण प्रश्न यह है कि क्या सामान्य पश्चिम एशिया नीति बनाने के लिए अन्य गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों से सम्पर्क करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस बारे में पहल करेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नों को संगत और असंगत घोषित करने के अपने अधिकार का त्याग करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : उक्त प्रश्न समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों पर आधारित है । हमें अरब शिखर सम्मेलन में लिये गये किसी निर्णय की अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । जैसे ही हमें यह जानकारी मिल जायेगी, हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस परम्परा का हम अनुसरण कर रहे है, उसकी वजह से हम चार या पांच प्रश्नों पर ही बहस कर पाते है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए--)

अध्यक्ष महोदय : मैं बीच में से शुरू करता हूं, फिर बाईं ओर जाता हूं और उसके बाद दाईं ओर जाता हूं ।

श्री मधु लिमये : आप बाईं ओर जा सकते हो, फिर दाईं ओर और फिर आगे और उसके बाद पीछे जा सकते हो ।

अध्यक्ष महोदय : आपके मामले में आप पिछडे नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, Sir, the non-aligned countries had asked for the restoration of peace in West Asia on the basis of old resolution in which Israel was asked to vacate Arab territories. Is the honourable minister aware that there are certain non-aligned countries which do not agree to this part of the resolution that Arab countries should accept the existence of Israel?

Shri Surendra Pal Singh: Mr. Speaker, Sir, there is no such country among the non-aligned countries. Perhaps, there might be two or four such countries who might not be prepared to recognise Israel. But so far as vacation of territory by Israel is concerned, all of them agree to it.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Both the questions are related, how could these be separated.

Mr. Speaker: Now you have not to do that. They have to do it. We are not able to solve our problems and you raise the problem of other people.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक हम समझते हैं, भारत और राष्ट्र संघ के अन्य गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसका एक मुद्दा इजरायल के अस्तित्व को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देना है।

मेरा प्रश्न यह है कि पश्चिम एशिया की लगातार विस्फोटक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इजरायल अपने कब्जे वाली भूमि को खाली करने के बारे में राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं कर रहा और इस-लिए, फिर से संघर्ष भड़क उठने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता और इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसी कि आज की जानकारी है कि अरब शिखर सम्मेलन में जिन नौ मुद्दों पर सहमति हुई है उनमें से एक यह है कि वे अपने पक्ष का समर्थन करवाने के लिए गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध और तालमेल रखेंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्र संघ में किये गय अपने प्रयासों के अलावा, क्या भारत राष्ट्र संघ के बाहर अर्थात् राजनयिक माध्यम से अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए कोई पहल कर रहा है ताकि राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का उचित क्रियान्वयन करके सशस्त्र संघर्ष की पुनरावृत्ति को रोका जा सके? इस सम्बन्ध में क्या आपने कोई पहल की है अथवा पहल करने का विचार है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : पश्चिम एशिया में एक न्यायोचित और शान्तिपूर्ण समाधान खोजने के बारे में भारत सभी गुट-निरपेक्ष और अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ निकट सम्पर्क में है। राजनयिक मोर्चे पर भी भारत द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बड़ी ताकतों और निश्चित रूप से गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने इस समस्या के समाधान के लिये कोई प्रस्ताव पेश किया है? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शान्ति सेना में योगदान करने के लिये राष्ट्र संघ ने गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों से अनुरोध किया है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : आपात शान्ति सेना में योगदान करने के लिये राष्ट्र संघ के महासचिव ने अनेक देशों से अनुरोध किया है। मेरे विचार में करीब चार अथवा पांच देश आपात सेना के लिये सैनिक भेजने पर सहमत हो गये हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या बड़ी ताकतों और निश्चित रूप से गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों ने इस समस्या के समाधान के लिये कोई पेशकश की है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जी नहीं।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, the basic cause of the present West Asia conflict is that the Palestinians have been deprived of their rights. No body mentions that and more importance is given to the territories of Egypt and Syria, occupied by Israel. I would like to know whether the Government of India had put forward the resolution in the recently held conference of non-aligned nations that the main cause of the struggle is not the occupation of territories of Egypt and Syria by Israel, that has to be vacated by Israel, but for an ultimate and lasting solution it must be re-emphasised that there should be a composite state of Jews and Palestinians and the displaced persons should be allowed to go back as this point was emphasised by Government of India in 1947-48 that there should be a composite state of Jews and Palestinians and Palestine should not be divided?

Shri Surendra Pal Singh: We have always taken this stand that the problem would not be solved merely by the vacation of the Arab territories occupied by Israel. It is necessary that the rights of Palestinians are also restored.

नए कोयला-धुलाई कारखाने

†

*268. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री राम भगत पासवान :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए कोयला धुलाई कारखानों की स्थापना तथा वर्तमान कारखानों के विस्तार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने नये कोयला धुलाई कारखाने स्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) उन पर कुल कितनी धन राशि खर्च होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) पांचवीं योजना में 7 नई कोयला शोधनशालाएं स्थापित करने का विचार है जिनकी अपरिष्कृत कोयले की वार्षिक क्षमता 135 लाख टन होगी। इन पर 89.30 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है।

1.34 करोड़ रुपये की लागत से वर्तमान कोयला शोधनशालाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन से कोयला साफ करने की क्षमता 5.8 लाख टन और बढ जाने की सम्भावना है।

इस प्रस्ताव पर योजना आयोग में विचार-विमर्श किया गया है। निर्णय के बारे में तभी पता चल सकेगा जब पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

Shri M. Ram Gopal Reddy : Sir, may I know the places where the new washeries are proposed to be constructed?

Shri Sukhdev Prasad : This requires notice.

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न समाप्त हो गया है।

Shri M. Ram Gopal Reddy : May I know whether the steps to remove the shortage of the capacity of washeries are taken sufficiently in advance or after the shortage is felt?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : वर्ष 1978-79 तक 142.90 लाख टन इस्पात के उत्पादन लक्ष्य के वायदे को पूरा करने की दिशा में जो भी कार्यवाही है आवश्यक की जायेगी और 333 लाख टन कोयला धोने के लिये आवश्यक अपेक्षित प्रक्षालनशाला क्षमता स्थापित की जायेगी और य प्रक्षालनशाला कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित की जायेंगी जिससे प्रक्षालनशाला से इस्पात संयंत्रों के लिये एकमार्ग से ही परिवहन हो सकेगा।

श्री डी० एन० तिवारी : आज इस्पात संयंत्रों के लिये प्रक्षालित कोयले की कितनी आवश्यकता है और हमारा उत्पादन कितना है और क्या सात नयी प्रक्षालनशालाओं से मांग पूरी हो जाएगी ?

श्री टी० ए० पाई : वर्तमान प्रक्षालन क्षमता इस समय देश के इस्पात के उत्पादन के लिये आवश्यक क्षमता से अधिक है। परन्तु बार-बार बिजली खराब होने तथा जो अन्य कठिनाइयां पैदा की जाती है, पूरी प्रक्षालन क्षमता का उपयोग न किये जाने के लिये उत्तरदायी हैं। हमें इस बारे में पूरी जानकारी है। हम यह जाननेका प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : उत्पादन कितना है और मांग कितनी है ?

श्री टी० ए० पाई : उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता का 75 प्रतिशत है अर्थात् लगभग 110 लाख टन ।

कोरस इंडिया लिमिटेड के अस्थाई कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान

*269. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **श्रम** मंत्री कोरस इंडिया लिमिटेड के अस्थाई कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान के बारे में 26 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के कार्य-क्षेत्र में आता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में कम्पनी के एककों में नियोजित कुल 826 व्यक्तियों में से, 99 व्यक्ति अस्सायीयां कर्मचारी हैं। लगभग तीन महीनों की सेवा की अवधि के बाद, अस्थायी कर्मचारियों की सेवा में एक या दो दिन के लिए नाममात्र का विच्छेद किया जाता है। किसी भी अस्थायी कर्मचारी की तीन वर्ष से अधिक की सेवा नहीं है। जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है, दिल्ली में इस कम्पनी के एककों में 68 कर्मचारी हैं और ऐसे श्रमिकों की सेवा में जो कई साल लगातार काम करते आ रहे हों, नियत अन्तरालों पर सेवा विच्छेद सम्बन्धी कोई मामला दिल्ली प्रशासन के ध्यान में नहीं आया है। पीड़ित कर्मचारियों को यह छूट है कि वह इस सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतें सम्बन्धित राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के पास ले जाए और मामले में आवश्यक संरक्षण मांगे ।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : The Hon. Minister has agreed that temporary employees are given breaks in their services for two or three days after a period of about three months service and after that they are reemployed. May I know whether this matter has been enquired into ? Thus they do not get the Bonus profits and the profits of their provident fund deposits. May I know whether an enquiry will be made into such cases?

Shri Balgovind Verma : This question was asked in July last also. We are doing correspondence with the State Governments. Information has been made available by the Governments of Maharashtra and Delhi. We are yet to get information from Bengal and Karnataka. As regard Maharashtra they have recently passed Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971. They are going to implement it vey soon and they propose to take action against such cases.

As regards Delhi, we have no information of such cases.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इण्डियन माइनिंग एसोसिएशन, कलकत्ता के बेरोजगार श्रमिक

*266. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा कोककारी और गैर कोककारी कोयला उद्योगों तथा खानों का सरकारीकरण किए जाने के बाद इंडियन माइनिंग एसोसिएशन,

कलकत्ता तथा इंडियन माइनिंग फेडरेशन और जायंट वर्किंग कमेटी, कलकत्ता के कर्मचारी बेकार हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1973 में दी गई परिभाषा के अनुसार इंडियन माइनिंग एसोसिएशन, इंडियन माइनिंग फेडरेशन और ज्वाइंट वर्किंग कमेटी उन कोयला खानों के अंतर्गत नहीं आती जिनका प्रबंध सरकार द्वारा ग्रहण किया गया है, अतः इन संगठनों के कर्मचारियों के पुनः काम पर लगाने का प्रश्न नहीं उठता, तथापि ऐसे तीन कर्मचारियों को कोयला उद्योग से संबद्ध संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समिति के सचिवालय में अस्थायी रूप से नियुक्त कर लिया गया है ।

ब्रिटेन से भारतीयों को स्वदेश भेजना

*267. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के राष्ट्रमंडल आप्रवास अधिनियम के लागू हो जाने पर कितने भारतियों को ब्रिटेन से लौटना पड़ेगा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 20-11-1973 की स्थिति इस प्रकार है :—

(i) उन भारतियों की संख्या जिन्हें उद्वासित किया जा चुका है	166
(ii) उन भारतीयों की संख्या जिनको उद्वासन आदेश जारी कर दिए गए हैं और जो आवश्यक दस्तावेज़ बन जाने की प्रतीक्षा में है	21
(iii) उन भारतीयों की संख्या जिनके मामलों में उद्वासन से सम्बद्ध होम आफिस लन्दन के अनुदेशों की अभी प्रतीक्षा है . . .	76

(ख) हमने ज़ोरदार शब्दों में तथा सर्वोच्च स्तर पर यह आशा व्यक्त की है कि आप्रवास अधिनियम के अंतर्गत की गई किसी भी कार्रवाई का परिणाम यह नहीं होगा कि उन भारतीयों की जो यू० के० में वैध रूप से बस गए हैं, तलाश की जाय या उन्हें परेशान किया जाय। हमने यू० के० के प्राधिकारियों को यह भी सूचित कर दिया है कि यू० के० में अवैध आप्रवासन को प्रोत्साहन देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। विभिन्न संगठनों द्वारा अभिवेदन दिए जाने के उत्तर में ब्रिटिश विदेश मंत्री ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह आश्वासन दिया था कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 1971 के आप्रवास अधिनियम की आड़ में उनकी तलाश न की जाय साथ ही उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि उद्वासन आदेश जारी करने से पहले हर एक मामले की पूरी तरह जाँच की जाएगी।

इस्पात का निर्यात

*270. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात के निर्यात को रोकने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*271. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड की दिल्ली शाखा के कर्मचारी कम्पनी के साथ हुए पहले के एक समझौते के अनुसार अगस्त, 1970 से मकान किराया भत्ते में वृद्धि की मांग मनवाने के लिये 27 अगस्त, 1973 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) क्या उक्त विचार के न्यायनिर्णय की अध्यक्षता उन्होंने की थी;

(ग) क्या उन्होंने न्यायनिर्णय करते समय आल इंडिया इंडियन आक्सीजन एण्ड एसिटीलीन इम्पलायीज फेडरेशन सहित, जिसकी 1962 से इस प्रकार की निश्चित मांग थी, सभी असन्तुष्ट पार्टियों की बात सुनी थी;

(घ) क्या उक्त न्यायनिर्णय पंचाट की घोषणा कर दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ङ) इंडियन आक्सिजन लिमिटेड (दिल्ली फक्ट्री) के श्रमिकों ने मकान किराया भत्ते से संबंधित अपनी मांग के समर्थन में 23 अगस्त, 1973 से हड़ताल की। 29 अगस्त, 1973 को पक्षों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई और कारखाने में काम पुनः चालू कर दिया गया । इस समझौते के अन्तर्गत, यह विवाद-ग्रस्त विषय, कि क्या वे श्रमिक, जिनका प्रतिनिधित्व इंडियन आक्सिजन कर्मचारी संघ करता है, पक्षों द्वारा 31 अगस्त, 1970 को हस्ताक्षरित पिछले समझौते के अन्तर्गत 1 सितम्बर, 1970 से 30 अप्रैल, 1973 तक मकान किराये भत्ते के हकदार हैं, केन्द्रीय श्रम मंत्री की मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, जिन्होंने हाल ही में पिछले माह विवाद के पक्षकारों के विचार सुने और वे अपना पंचाट सम्भवतः शीघ्र ही देंगे।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं सम्बन्धी समिति

*272. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति की सिफ़ारिशों पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की रूपरेखा क्या है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति की सिफारिशें उसके द्वारा अबतक प्रस्तुत 12 रिपोर्टों में दी गयी हैं। जिनमें से एक रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग से संबंधित है। पुनर्वास विभाग से संबंधित शेष ग्यारह रिपोर्टों में से छः को सरकार द्वारा प्रायः सर्वथा स्वीकार कर लिया गया है और पांच विचाराधीन है। पूर्व स्वीकृत छः रिपोर्टों की प्रमुख रूपरेखा सभा की मेज पर रखे गए विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5854/73]**

जामनगर सिटी और इण्डियन एयरलाइन्स के हवाई अड्डा विश्राम कक्ष को मिलाने वाली सड़क

*273. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर के भारतीय वायु सेना क्षेत्र में इण्डियन एयरलाइन्स का हवाई अड्डा विश्राम कक्ष स्थित है जिसे सिटी से मिलाने वाली कोई उपयुक्त सड़क नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सड़क के लिए भूमि के आबंटन हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जामनगर शहर के साथ भारतीय वायसेना के हवाई अड्डे को मिलाने के लिए एक पहुंच सड़क है। तथापि सिविल एविएशन एन्क्लव में एक किलो मीटर का टुकडा अच्छी स्थिति में नहीं है। क्योंकि इस सडक पर वायुसेना का यातायात नहीं है और इसका इण्डियन एयसलाइन्स द्वारा ही उपयोग किया जाता है अत: इसका रखरखाव भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस सड़क को रखरखाव के लिए राज्य सरकार को स्थानान्तरण कर देने का प्रस्ताव है। किसी अन्य पहुंच सड़क के लिए इस भूमि के आबंटन के लिए रक्षा मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगाल चेंबर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाना

*274. **श्री एम० एन० मुकर्जी :**
श्री रानेन सेन :

क्या **श्रम** मंत्री बंगाल चेंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाने के बारे में 22 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 2 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेंगाल चेंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता ने चेम्बर को 1 अगस्त, 1972 से कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत ला कर पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निदेशों को लागू कर दिया है ;

(ख) क्या 1 अगस्त, 1972 से चेम्बर द्वारा दी जाने वाली अंशदानों की राशि को चेम्बर ने उक्त निदेशों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर सांविधिक निधि कोष में जमा करा दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने चेम्बर से अंशदान की राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सचित किया है: —

(क) प्रतिष्ठान न सीमाक्षत्र म आन की तारीख, अर्थात 1 अगस्त, 1972 से अक्तबर, 1973 तक भविष्य निधि के अंशदानों का पूर्ण भुगतान किया है।

(ख) भुगतान की तारीख के संबंध में सूचना क्षेत्रीय कार्यालय से एकत्र की जा रही है।

(ग) प्रतिष्ठान द्वारा पिछली जमा राशियों का विवरण प्रस्तुत कराने और कर्मचारियों के खाते में पहली अगस्त, 1972 तक जमा पड़ी राशि को हस्तान्तरित कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश में भारतीय वायुसेना के एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

*275. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना का एक विमान आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिले में 11 अक्तूबर, 1973 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं को न होने देने के लिए कोई निवारक उपाय अपनाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 3 नवम्बर, 1973 को डुंडीगल के समीप भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ख) से (घ) दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच-अदालत स्थापित की गई है। इसकी कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

E.S.I. Scheme for Agricultural Labour

*276. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Employees State Insurance Scheme will be introduced for agricultural labour in the country ;

(b) if so, by what time and if not, the reasons therefor ; and

(c) whether the Committee on Perspective Planning has recommended in its report that the Employees State Insurance Scheme may be made applicable to agricultural labour working in the plantations also?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information :—

(a) No such proposal, except in respect of workers in plantations is under consideration at present.

(b) and (c) The Committee on Perspective Planning has *inter-alia* recommended partial extension of the Employees State Insurance Scheme to plantations i.e. only the cash benefits are to be provided, medical care being already available free of cost. At this stage of development of the Employees' State Insurance Scheme, it is not practicable to set up medical and organisational infrastructure for covering the great mass of other agricultural workers dispersed in lakhs of villages. Moreover, since much of the agricultural employment is seasonal in character, application of the Employees' State Insurance Scheme to it would present serious difficulties.

भारत के अमरीका तथा पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ सम्बन्धों पर पश्चिम एशियाई युद्ध का प्रभाव

*277. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के अमरीकी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों पर हाल ही के पश्चिम एशियाई युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पश्चिम एशिया के हाल ही के युद्ध से संयुक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

बिहार के पतवाह में प्रस्तावित ट्रैक्टर कारखाने के स्थान का बदला जाना

*278. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पतवाह में प्रस्तावित ट्रैक्टर कारखाने को अन्यत्र स्थापित करने का बिहार सरकार ने कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए औद्योगिक गैस

*279. **श्री धान सिंह भौरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन संयंत्रों और सरकारी स्वामित्व की खानों को आक्सीजन गैस की सप्लाई के बारे में 6 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संयंत्रों सहित सभी इस्पात संयंत्रों में औद्योगिक गैसों की सप्लाई के संबंध में इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा एक आपात, कालीन व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम से कम सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में स्वयं अपनी आपातकालीन व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के पास हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों को औद्योगिक गैसे सप्लाई करने की कोई आपातकालीन व्यवस्था नहीं है। भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की आक्सीजन गस की अपनी आवश्यकता अपने टनेज आक्सीजन संयंत्रों से पूरी करते हैं। फिर भी, भिलाई इस्पात कारखाना एसीटिलीन की अपनी आवश्यकता को बाहर की पार्टियों, जैसे एशियाटिक आक्सीजन लिमिटेड और एसीटिलीन कंपनी, कुम्हारी से खरीद कर पूरी करता है। राउरकेला इस्पात कारखाना आरगन गैस की कुछ मात्रा बाहर के स्रोतों जैसे भारतीय उर्वरक निगम और इंडियन आक्सीजन लिमिटेड से खरीदता है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा मिश्रित इस्पात कारखाने की आक्सीजन की अधिकतर आवश्यकताएं दुर्गापुर इस्पात कारखाने के टनेज आक्सीजन संयंत्र से पूरी की जाती है। फिर भी, दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्रित इस्पात कारखाने द्वारा कभी कभी आक्सिजन की कुछ मात्रा इंडियन आक्सिजन लिमिटड, एशियाटिक आक्सीजन और मेसर्स हिन्दुस्तान गैस एण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड आदि से, खरीदी जाती है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा अन्य औद्योगिक गैसें जैसे एसीटिलिन और आरगन बाहरी पार्टियों से खरीदी जाती है।

भिलाई इस्पात कारखाना इस समय औद्योगिक गैसों की अपनी सप्लाई इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, इस्ट्रन आक्सीजन एण्ड एसीटिलिन लिमिटेड और एशियाटिक आक्सीजन लिमिटेड से प्राप्त करता है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड ने सामान्य कार्यों के लिए आक्सीजन और विलीन एसीटिलिन की आवश्यकाओं की आपूर्ति के लिए जमशेदपुर स्थित मेसर्स इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के साथ लम्बी अवधि के लिए एक करार किया हुआ है। टिस्को का आक्सीजन का अपना भी एक कारखाना है जिसका संधारण तथा परिचालन मेसर्स इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, जमशेदपुर द्वारा किया जाता है।

इस्को को पाइपों द्वारा आक्सीजन की समस्त सप्लाई इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा अपने गोपालपुर के कारखाने से की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कनाडा के एक प्रतिनिधि मंडल का भारत का दौरा

***280. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्रह सदस्यों वाले कनाड़ा के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवम्बर, 1973 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार–विमर्श किया गया था; और

(ग) विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस पूर्ण और मित्रतापूर्ण विचार विमर्श में विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर विचार किया गया जैसे भारत को कनाड़ा द्वारा दी जाने वाली विकास सहायता, दोनों देशों के बीच व्यापार, भारत, कनाड़ा और अन्य देशों में संयुक्त उद्यम, खाद्यान्न, सिविल विमान और पर्यटन, सांस्कृतिक संबंध एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग। यह बातचीत न केवल एक दूसरे के दृष्टिकोण को और अधिक समझने में सहायक हुई बल्कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों के नवीन क्षेत्रों की खोज में भी मदद मिलेगी।

श्रीनगर के निकट भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

*281. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1973 को श्रीनगर के निकट भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना की कोई जांच की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 30 अक्तूबर, 1973 को श्रीनगर के समीप एक विमान दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच-अदालत स्थापित की गई है। इसकी कार्रवाई को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग कार्यालय के लिए भवन तथा स्टाफ क्वार्टर

2603. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के लिए भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या कार्य निर्धारित समयावधि के अनुरूप रहा है और यदि हां, तो नवीनतम अनुमानों के अनुसार इसके पूरा होने की अवधि क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) त्रिवन्द्रम में, पटम पैलेस क्षेत्र में, संगठन के भू खण्ड पर, क्षेत्रीय कार्यालय इमारत और कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के संबंध में तत्संबंधी परिनिश्चित नक्शों और प्राक्कलनों के आधार पर, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अहमदाबाद में हुई अपनी 7–11–73 की बैठक में खर्च की मंजूरी दी थी। प्रायोजना का कार्यप्रतिभोगी टेंडरों को आमंत्रित कर उपयुक्त ठेकेदारों का चयन करके प्रारंभ किया जायेगा। जमीन का विकास-कार्य फरवरी, 1974 तक प्रारंभ किये जाने की संभावना है। कार्यालय की इमारत या कर्मचारी क्वार्टरों का समस्त प्रायोजना के पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा और 1975 के अन्त तक इमारतों के तैयार होने की संभावना है।

केरल में खनिज निक्षेपों की खुदाई

2604. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री केरल में चीनी मिट्टी के बारे में 7 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3398 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन खनिज संसाधनों की लाभप्रद ढंग से निकाला जा सके उनके बारे में प्रस्ताव देने के लिए क्या केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा गठित टास्क फोर्स ने अपने प्रस्ताव दे दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

Number of Employees in Bhilai Steel Plant

2605. **Shri G. C. Dixit** . Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of employees employed in the Bhilai Steel Plant so far and number still to be employed to fill the required number of posts ;

(b) the number of employees and officers employed from Madhya Pradesh and the percentage thereof in each category ;

(c) whether people from Madhya Pradesh are not being employed to fill the highest posts ; and

(d) the number of officers working therein State-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) The details of posts sanctioned, number of employees in position, and vacancies in the Bhilai Steel Plant as on 1-4-1973, are as follows :—

Executives			Non-Executives		
Sanction	Number of employees in position	Vacant	Sanction	Number of employees in position	Vacant
3,019	2,692	327	50,326	44,343	5,983

The filling up of vacant posts will depend on factorers like pace of work on the expansion programme of the plant and adjustment of manpower commensurate with internal technological changes.

(b), (c) & (d) Statistics of employment by place of birth or residence are not maintained by the Steel Plants under Hindustan Steel Limited.

Government has already laid down the policy to be followed by Public Sector Undertakings the matter of recruitment. According to this policy vacancies of unskilled and silked worker Clerks and other non-technical staff whose scales are comparatively low, are required to be filled through recruitment from employment exchanges functioning close to the project.

In recrutiment to such posts, preference is also required to be given to persons displaced from the areas acquired for the project or Scheduled Castes and Scheduled Tribes (e.g. Adivasis) and to those, who even if they come from some distance, nave been or are about to be retrenched from other Government Undertakings so long as tne basic qualifications and experience are forthcoming.

In the case of middle level technical and non-technical posts; having higher starting salaries equivalent to the Class I junior scales of the Government, recruitment is required to be made on an All India basis, merit and qualifications being the principal criteria.

Civil Employees in Jabalpur Ordnance Factory

2606. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the number of Civil employees working in the Jabalpur Ordnance Factory in Madhya Pradesh?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence, (Shri Vidya Charan Shukla) : The approximate number of the civil employees working in the ordnance Factories in Jabalpur is 21,200.

Production of Steel Ingots in Bhilai Steel Plant

2607. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the quantity of steel ingots produced in the Bhilai Steel Plant during the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 respectively?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodhan-harsda) : During the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 ingot steel production in Bhilai Steel Plant was as given below :—

Year	(in thousand tonnes)
1969-70	1859
1970-71	1940
1971-72	1953

Copper Mining in Balaghat District of Madhya Pradesh

2608. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have since undertaken the mining work of the copper Mine in Balaghat District of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the progress made so far in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) & (b) No Sir. Hindustan Copper Limited have, however, very recently entered into an agreement with a Soviet Agency for the preparation of a Detailed Project Report of a Mining and Concentrator Complex for the Malanjkhand Copper Deposit, Madhya Pradesh.

Survey of M.P. by its Regional Mining Departments

2609. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Mines Corporation of Madhya Pradesh has directed regional Mining Departments to conduct surveys of their respective areas and submit reports ;

(b) the number of mines located, so far in various Districts of Chhattisgarh region, district-wise; and

(c) the names of the mines in operation as also the mines where mining work will be taken up during the Fifth Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) No, Sir. Madhya Pradesh State Mining Corporation is not authorised to issue orders to regional Mining Departments for conduct of surveys.

(b) and (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को कम मजदूरी

2610. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईंटों के भट्टो पर काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजूरी अन्य उद्योगों के श्रमिकों की दैनिक मजूरी की अपक्षा बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कम से कम मजूरी पाने वाले मजदूरों की मजूरी में एकरूपता लाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में, इंटों के भट्टे में रोजगार, जोड़ने तथा मजदूरियों को निर्धारित और संशोधित करने के लिए राज्य सरकारें "समुचित सरकार" हैं। इस रोजगार के लिए उनके द्वारा निर्धारित की गई मजुरियों और अन्य रोजगारों के संबंध में निर्धारित की गई मजुरियों से उनकी तुलना के संबंध में सूचना उपलब्ध नही है।

नये वायुयान वाहक

2611. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये वायुयान वाहक निर्माण करने या प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा;

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) नए विमान वाहक प्राप्त करने अथवा निर्माण करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

मनीआर्डरों द्वारा पेंशन का भुगतान

2612. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डरों द्वारा पेन्शन भुगतान की सुविधा रक्षा-कर्मचारियों के केवल कुछ वर्गों को ही प्रदान की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन से वर्ग इससे लाभान्वित रहे हैं तथा क्या यह सुविधा सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन्। सशस्त्र सेनाओं के केवल उन्हीं पेंशन पाने वाले को जो 100 रुपये प्रति मास तक पेन्शन पाते है। ये उनके अनुरोध पर पेंशन सरकारी खर्च पर मनिआर्डर से भेजी जाती हैं। ये आदेश असैनिकों के लिए जारी किए गए आदेशों के आधार पर हैं। सामान्य आदेशों को जब कभी और आगे उदार बनाया जायेगा तो सशस्त्र सेनाओं पर उन्हें लागू करने के लिए भी विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मनिआर्डर से पेन्शन पाने की सूविधा सशस्त्र सेनाओं के उन पेन्शन पाने वालों को उपलब्ध हैं जो खजानों, उपखजानों और पेन्शन पे मास्टरों के माध्यम से पेन्शन पा रह है यदी उनकी पेन्शन 101 रुपये से 250 रुपये प्रतिमास के बीच है। इन मामलों में मनीआर्डरों द्वारा पेन्शन पेन्शनरो को उनक खर्च पर भेजी जाती है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात विकास कार्यक्रम

2613. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोई इस्पात विकास कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम में बोकारो इस्पात संयंत्र का निरन्तरता के आधार पर 4.75 एम० टी तक विकास करना, भिलाई इस्पात संयत्र का 2.5 एम० टी० से लगभग 4.0 एम०टी० तक विकास करना और टाटा आयरन और एण्ड स्टील कम्पनी प्लान्ट का 2 एम० टी० से लगभग 4 एम० टी० या 4.5 एम० टी० तक विकास करना शामिल है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विजयनगर, विशाखापत्तनाम और सलेम इस्पात संयत्रों के निर्माण को पूरा करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (ग) पांचवी योजना में इस्पात के विकास के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों के अनुसार भिलाई कारखाने को 25 लाख टन पिठ की क्षमता बढ़ाकर 40 लाख पिण्ड की जाएगी तथा बोकारो इस्पात कारखाने में विस्तार कार्यजारी रखकर वर्ष 1978–79 तक कारखाने की क्षमता को 47.5 लाख टन पिण्ड किया जाना है। इसके अतिरिक्त टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के जमशेदपुर के कारखाने की क्षमता को 45 लाख टन पिण्ड करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसके अलावा विद्युत आर्क भट्टी उद्योग द्वारा लगभग 10 लाख टन इस्पात के उत्पादन करने की भावना है।

पांचवी योजना अवधि में विशाखापत्तनाम, विजयनगर और सलेम में तीन नये इस्पात कारखाने लगाने का कार्य भी चलता रहेगा। इस्पात विकास कार्यक्रम में वर्तमान कारखानों में यथावश्यक अनुपूरक संयत्रों तथा सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा अधिकअधिक उत्पादन करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

विजयनगर, विशाखापटनम तथा सलेम इस्पात संयंत्र में गैस संयंत्र लगाना

2614. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयनगर, विशाखापत्तनाम तथा सलेम इस्पात संयंत्रों के लिए अपेक्षित गैसों की सप्लाई के लिए सरकार अपने गैस संत्रों लगाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैस संयंत्र लगाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए है और क्या उनका आयात किया जाएगा अथवा अपने देश में ही उनका निर्माण किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) सम्भवत: अभिप्राय विजयनगर विशाखापत्तनाम तथा सलेम इस्पात प्रायोजनाओं के लिए आक्सिजन संयंत्रों से है। यदि हां, तो इस प्रक्रिया में इन कारखानों में इस उद्देश्य के लिए आरक्षित सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है।

(ख) देश आक्सीजन संयंत्रों के निर्माण में सक्षम है और सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुये इसका अधिकतम उपयोग किया जाएगा।

रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी

2615. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नगर के आसपास के विशेष कर डमडम और कोसीमुर के रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारी 'ए' श्रेणी के नगरों को दिए जानी वाली दरों पर मकान किराया भत्ते के अधिकारी हैं जबकि कुछ दूरी पर कंकीनारा में ई० एस० डी० (एम) में काम करने वाल कमचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता आदि के मामले में 'ए' श्रेणी के नगर को प्राप्त होने वाली सुविधा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो के किनारा, पश्चिम बंगाल में रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता के मामले में 'ए' श्रणी के नगरों को प्राप्त सुविधा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा हाल ही में कतिपय निर्णय किए गए हैं जिनका केकीनारा पर भी प्रभाव पड़ता है; इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे ।

रक्षा कर्मचारियों के लिए स्वीकृत तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें

2616. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय बम्बई, ने दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास आदि जैसे महानगरों में काम कर रहे रक्षा कर्मचारियों को बढ़ी दर पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता देने हेतु सीमा दूरी 8 किलोमीटर से बढ़ा कर 32 किलो मीटर करने सम्बन्धी तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो सभी रक्षा संस्थापनों में यह सिद्धान्त कब लागू किया जाएगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हैं; तो क्यों ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) से (ग) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को ग्राह्य होना चाहिए जो 1971 की जनगणना के लिए अपनाए गए किसी शहर अथवा नगर के "शहर समूह" की सीमा के अन्दर कार्य करते ह ; यह निश्चित करने के लिए कि शहर किस श्रेणी का है एक शहरी समूह भी जनसंख्या का एक यनिट समझा जाना चाहिए। यह सिफारिश सरकार द्वारा मान ली गई है। औपचारिक सरकारी आ श शीघ्र ही जारी हो जाने की आशा है। आयोग ने मकान किराया भत्ता मंजूर करने क लिए "शहरी समूह" को भावना की सिफारिश नहीं की है। अत: मकान किराया भत्ता मंजूर करने के लिए क्षेत्रीय सीमाओं के सम्बन्ध में वर्तमान मानदन्ड लागू रहेगा ।

सी० एस० डी० (I) में डी० जी० एम० (प्रशासन) की नियुक्ति

2617. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एस० डी० (I) में डी० जी० एम० (प्रशासन) का पद, इन पदों को अपने ही अधिकारी सम्वर्ग, जो अब बनाया जा चुका है, में से भरने के सरकारी निर्णय का उल्लंघन करके हाल ही में नौसेना के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके भरा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान ए० जी० एम० पदाधिकारियों के अधिकारों का हल किए जाने और उनमें से किसी को भी पदोन्नति का अवसर न दिए जाने के क्या कारण है जबकि रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वी/00054/क्यू०/सी० ए० एन०/6101/डी० (एम० ओ० बी०) दिनांक 2 जुलाई, 1970 के अनुसार अध्ययन दल के प्रतिवेदन तथा वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10(24)-ई-III (बी) 60 दिनांक 27 जनवरी, 1970 और 13 जून, 1973 आदि के आधार पर तत्सम्बन्धी सरकार का निर्णय स्पष्ट है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम):(क) और (ख) इस विषय पर पहले सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए 18 जून 1973 को सरकार द्वारा अधिसूचित की गई भर्ती नियमावली में यह व्यवस्था है कि उप महाप्रबन्धक (प्रशासन एवं निरीक्षण) का पद प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है, यदि ऐसा न हो सके तो पदोन्नति द्वारा और यदि दोनों ही तरह से पद न भरा जा सके तो वह सीधी भर्ती द्वारा भरना होता है और उप महाप्रबन्धक (स्टोर) तथा उप महाप्रबन्धक (लेखा) के दोनों पद पदोन्नति द्वारा भरने होते है। यदि ऐसा न हो सके तो प्रतिनियुक्ति द्वारा और यदि दोनों तरह से ही पद न भरे जा सके तो उन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरना होता है। इन भर्ती नियमों क बारे में निर्णय करते समय माननीय सदस्य द्वारा पत्र में दिए गए सामान्य मार्गनिदर्शनों को ध्यान में रखा गया था। तद्नुसार, केन्टीन स्टोर विभाग (इण्डिया) में उप महाप्रबन्धक (प्रशासन एवं निरीक्षण) का पद अक्तूबर 1973 को प्रतिनियुक्ति पर एक नौसेना अधिकारी द्वारा भरा गया था।

बेरोजगार युवकों की कोयले की बिक्री

2618. **श्री रोबिन सेन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड और भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड ऐसे प्रारूप आदेश दे रही है कि कोयला शिक्षित बेरोजगारों द्वारा बचा जाय ;

(ख) यदि हां, तो इन युवकों के नाम क्या है जिन्हें ऐसे पत्र जारी किए गए हैं और क्या ये स्थायी आधार पर है ; और

(ग) कोयला खान प्रबन्धकों से ऐसे आदेश किस प्रकार प्राप्त किए गए हैं और उनके आधार क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण ने उन दावेदार बेरोजगार युवकों के लिए सामान्यत: निम्न श्रेणी के कोयला चूर्ण का महीनेवार कोटा निर्धारित किया है। अक्तूबर, 1973 में ऐसे वितरण आदेशों की संख्या 1500 थी। इसमें शनैः शनैः कमी करने का विचार है भारत कोकिंग कोल लिमिटड ऐसे कोई भी वितरण आदेश जारी नही कर रहा है।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के लिए नाममात्र का महीनेवार कोटा निर्धारित किया गया है। दावेदार बेरोजगार युवकों आवेदकों से प्रमाणस्वरूप रोजगार कार्यालय के कार्ड प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है।

हरियाणा में भारतीय वायु सेना के दो विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जांच

2619. **श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अक्तूबर, 1973 को हरियाणा में वायुसेना के दो विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की कोई जांच कराई गई थी ; और

(ख) यदि हां तो, उसका क्या परिणाम रहा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) जांच अदालत की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सिंथैटिक पेट्रोलियम प्लांट की स्थापना के लिए दामोदर घाटी में कोयले के संसाधनों का पाया जाना

2620. **श्री जगन्नाथराय जोशी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तत्कालीन भारत सरकार के कहने पर सिंथैटिक पेट्रोलियम प्लांट की स्थापना के लिए दामोदर घाटी में कोयले के नए संसाधनों का पता लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय किन कारणों से लिया गया था ;

(ग) क्या सरकार का विचार सिंथैटिक पेट्रोल का उत्पादन करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1948 में कृत्रिम पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए उपयुक्त खननयोग्य कोयला स्रोतों की खोज और मूल्यांकन के लिए दामोदर घाटी में अन्वेषण किया गया था।

(ख) इतने वर्ष बीत जाने के बाद उन रिकार्डों का ढूंढ निकालना संभव नहीं है जिन से यह ज्ञात हो सके कि कृत्रिम पेट्रोलियम संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को कार्यरूप में क्यों परिणत नहीं किया जा सका। धनबाद स्थित केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा भारतीय कोयले से कृत्रिम पैट्रोलियम तैयार करने की संभावना के सम्बन्ध में कुछ प्रयोगशालाई परीक्षण किए गए थे। आसाम के कोयले के कृत्रिम अपरिष्कृत तेल तैयार करने की सम्भावना के बारे में भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) कृत्रिम तेल संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में पुनः एक प्रस्ताव सरकार द्वारा विचारार्थ स्वीकार किया जा रहा है।

बड़ौदा की औद्योगिक बस्ती में शीशे की बोतलें और कन्टेनर बनाने के लिए स्वचालित मशीनों का निर्माण

2621. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा की औद्योगिक बस्ती में शीशे की बोतलें और कन्टेनर बनाने के लिए तेजी से चलने वाली मशीन बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) संयंत्र में बोतलों का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली में तथा अन्य राज्यों में जहां बोतलों की कमी है इन संयंत्रों को लगाने पर विचार कर रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मै० श्रेनो लिमिटेड, बड़ोदा को प्रतिवर्ष बोतल बनाने वाली पांच मशीनों का निर्माण करने के लिए उद्योग विकास (तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया है।

(ग) प्रत्येक मशीन प्रतिवर्ष 6000 (छः हजार) टन कांच की बोतलों का निर्माण कर सकती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित क्षमता के अलावा निम्नलिखित क्षमताओं के लिए पहले ही लाइसेंस दे दिया गया है / स्वीकृति दी गई है :—

(1) **लाइसेंस प्राप्त—**

	संख्या
हरयाणा	6 प्रतिवर्ष
महाराष्ट्र	7 प्रतिवर्ष

(2) **स्वीकृत क्षमता—**

(अर्थात आशयपत्र दिए गए)

	संख्या
हरियाणा	10 प्रतिवर्ष
गुजरात	15 प्रतिवर्ष
महाराष्ट्र	12 प्रतिवर्ष

गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रानिक्स द्वारा राडार उपकरणों का निर्माण

2622. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में लगाया जा रहे भारत इलेक्ट्रानिक्स के कारखाने में हवाई हमले से बचाव के लिए राडार उपकरणों का निर्माण किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या ऐसा विदेशी फर्म के सहयोग से किया जाएगा और यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क)और (ख) जी हां श्रीमन। गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थापित की जा रही भारत इलेक्ट्रानिट्रस लि० की दूसरी यूनिट में हवाई हमले से बचने के लिए माइक्रोवेव और रेडार उपस्कर का निर्माण किया जाएगा।

(ग) फैक्टरी का निर्माण-कार्य अभी चल रहा है। तथापि सितम्बर 1973 से थोड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू हो चुका है।

(घ) उपस्कर का कुछ भाग विदेशी तकनीकी सहयोग से और शेष स्वदेशी विकास से निर्मित किया जाएगा। अधिक ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

लघु इस्पात संयंत्र के लिये इस्पात स्क्रैप का आयात

2623. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न लघु (मिनी) इस्पात संयंत्रों के लिए इस्पात स्क्रैप आयात करने के बारे में योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितना स्क्रैप आयात किया जाएगा और उसका मूल्य कितना होगा; और

(ग) क्या उन मिलों पर, जिनको आयातित इस्पात स्क्रैप आवंटीत किया जाएगा, निर्मित इस्पात वस्तुओं के निर्यात का कोई दायित्व रखा जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) वर्तमान आयात नीति के अधीन इस्पात स्क्रैप का आयात मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है जिसके पास 1,20,650 टन के वैध रिलीज आर्डर है। फिर भी, विदेशों में स्क्रैप की प्रदाय स्थिति कठिन होने के कारण मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड को हैवी मेल्टिंग स्क्रैप का स्पर्धी तथा सस्ते मूल्य पर आयात करने में कठिनाई हो रही है।

कुछ विद्युत पट्टी इकाइयों ने प्रवर्तमान मूल्यों पर स्क्रैप आयात करने की तथा इस स्क्रैप से छड़ तथा गोल छड़ तैयार करके निर्यात करने की अनुमति माँगी है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

दरीबा तांबा निक्षेप परियोजना

2624. **श्री वी० वी० विखे पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरीबा तांबा निक्षेप परियोजना इस बीच आरम्भ हो गई है तथा वहां उत्पादन शुरू हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या इस परियोजना का कनसेन्ट्रेटर प्लान्ट पूरा हो गया है और क्या उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) और (ख) दरीबा ताम्र परियोजना निर्धारित समय से पूर्व चालू हो गई है तथा संकेन्द्रण संयंत्र में संकेन्द्रणों का नियमित उत्पाद अगस्त 1973 में शुरू हो गया है।

World Peace Congress at Moscow

2625. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether World Peace Congress was held in Moscow from the 25th to 31st October, 1973,

(b) if so, the number of representatives of various countries, who took part in it;

(c) the number of Indian representatives who were present at the Congress and the names of important persons out of them; and

(d) the highlights of the decisions taken at the Congrees?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) According to the President of the World Congress of Peace Forces, there were over 3,000 participants from 143 countries attending the Congress.

(c) Around 230 representatives participated from India. Names of important persons who were to attend the World Congress of Peace Forces included in the list of participants communicated by the All India Peace and Solidarity Organisation, is attached. [*Placed in the Library See No.L.T.*—5855/73.]

(d) The main documents issued at the conclusion of the World Congress of Peace Forces are :

(i) An Appeal.

(ii) Follow up action programme.

(iii) Communique.

रक्षा/गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों को सैनिक स्कूलों में उपलब्ध वजीफा

2626. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक स्कूलों में अलग अलग रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों के दाखिल तथा छात्रवृत्तियां दिये जाने की क्या कसौटी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अपेक्षित सूचना लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4943 दिनांक 30-8-1973 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में दी जा चुकी है ।

जोधपुर मिलिट्री मेस, नई दिल्ली में माडेल स्कूल

2627. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली क्षेत्र में इण्डिया गेट के निकट जोधपुर मिलिट्री मेस के भवन में माडल स्कूल के नाम से एक शिक्षा संस्था चलाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके आरम्भ होने का वर्ष, स्वामित्व संगठन के गठन इस संस्था द्वारा आरम्भ से अब तक ली गई फीस, किराए के रूप में रक्षा विभाग को की गई अदायगी, छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या, छात्रों से एकत्र की गई राशि और अध्यापकों को की गई अदायगी, वार्षिक आय तथा व्यय और सरकार को अदा किए गए करों का वार्षिक ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रुटिपूर्ण वितरण के कारण राजधानी में ईंधन की कमी

2628. **श्री मोहम्मद शरीफ़ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में ईंधन की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या साफ्ट कोक की कमी त्रुटिपूर्ण वितरण के कारण से है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं योजना में कारों के उत्पादन के लिए पूंजीनिवेश में प्राथमिकता

2629. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पांचवीं योजना में कारों के उत्पादन के लिए पुंजी निवेश की कोई प्राथमिकता निर्धारित की हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पांचवीं योजना में विद्यमान प्लान्टों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाने वाला है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । विद्यमान निर्माताओं में से एक ने प्रतिवर्ष 4000 कारों तक क्षमता का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र दिया है और एक अन्य की अपनी 3400 कार प्रति वर्ष की वर्तमान प्राप्य क्षमता से प्रति वर्ष 5000 कारों तक पांचवीं योजना के दौरान उत्पादन में वृद्धि करने की सम्भावना है ।

गैर-पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

2630. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा बोर्ड किस तारीख तक स्थापित हो जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

जाम्बिया को भारी क्रेनों की सप्लाई के लिये ठेका

2631. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् परियोजनाओं के भारतीय सार्थसंघ ने जाम्बिया को 1.20 करोड़ रुपये के भारी क्रेन सप्लाइ करने का ठेका दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने यह ठेका अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता द्वारा किया है ?

(ग) यदि हां, तो इस से विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या निगम को मिला यह प्रथम ठेका है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लगभग 65 लाख रुपय की शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ।

(घ) जी नहीं । विद्युत परियोजनाओं के भारतीय सार्थसंघ को मिला यह नवा निर्यात ठेका है ।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कार्यालय को जामनगर हाउस से साउथ एक्स्टैन्शन में ले जाना

2632. **श्री मधु लिमये** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय विभाग के सप्लाई कार्यालय के निदेशक (निरीक्षण) को साउथ एक्सटैन्शन में 22000 रुपये मासिक किराये वाली इमारत में भेजे जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या जामनगर हाउस से कार्यालय ले जाने का एक कारण यह था कि जामनगर हाउस की इमारत में पानी चूता था ;

(ग) क्या कार्यालय को स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी प्रबन्ध रद्द कर दिए गए हैं ;

(घ) क्या इस फजूल खर्ची वाले प्रस्ताव के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई है और उसको दण्ड दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके प्रति नम्रता बरतने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां । मासिक किराया 1.60 रुपये प्रतिवर्ग फुट फर्श क्षेत्र के हिसाब से 16,240 रुपये होता है, न कि 22,000 रु० ।

(ख) इस तथ्य के होते हुए कि इमारत में पानी चूता था, मुख्य कारण यह था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ कमरों को खतरनाक बताया गया था । कार्यालय स्थान की कमी थी तथा सम्पदा निदेशालय के पास देने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक स्थान नहीं था ।

(ग) जी हां । आगे विचार करने पर सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही न की जाय ।

(घ) कोई फजूल खर्ची प्रस्ताव नही था । अतः किसी अधिकारी के प्रति किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा इलेक्ट्रिक लैम्प बनाने वाली मशीनरी का निर्माण

2633. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स विदेशी सहयोग से इलेक्ट्रिक लैम्प बनाने वाली मशीनरी का निर्माण करने की योजना बना रहा है ;

(ख) क्या उक्त मशीनरी बनाने की सभी सम्भव विकल्पों का पूरा पता लगाया जा चुका है ; और

(ग) क्या बिजली प्रोडक्टस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, पूना ने किसी ऐसे विकल्प का सुझाव दिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) मे० बिजली प्राडक्टस (इण्डिया) प्रा० लि०, पूना ने सरकार को अर्धस्वचालित लैम्प बनाने वाली मशीनों के निर्माण करने की अपनी क्षमता के बारे में लिखा है । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, हाई स्पीड जी०एल०एस० चेनों के निर्माण करने की योजना बना रहा है जिसमें बहुत अच्छी किस्म की तकनीक निहित है, जो कि अभी भी देश में उपलब्ध नहीं है । सरकार का यह विचार है कि दो योजनायें अनुपूरक हैं, प्रतियोगी नहीं ।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के श्रमिकों की मजूरीमें वृद्धि

2634. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लिमिटेड की संयुक्त समिति ने दोनों संयंत्रों के श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में वृद्धि करना मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की सिफारिश की गई है और दोनों कम्पनियों पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) समझौते के अनुसार न्युतनम मजुरी में 55 रुपये प्रतिमास की वृद्धि की गई है । यह वृद्धि 1 सितम्बर, 1973 से लागू की गई है । इस वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 2.52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा ।

विद्युत की कमी का एल्यूमीनियम उद्योग पर कुप्रभाव

2635. **श्री बक्शी नायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विद्युत् की अत्यधिक कमी का उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा है ;

(ख) सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन के परामर्शदाता श्री डी० पी० मंडेलिया द्वारा जारी किए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चालू वर्ष में विद्युत् की अत्यधिक कमी का एल्यूमिनियम उद्योग पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बिजली की कमी का, एल्युमिनियम उद्योग सहित सभी उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है । बिजली उत्पादन में लगातार और यथा सम्भव वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे है ।

Promoting Indo-Nepal Cultural Relations

2636. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the steps being taken to promote the Indo-Nepal cultural relations?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The peoples of India and Nepal have traditonally enjoyed deep and extensive cultural relations with each otner. The Government of India are making every effort to strengthen and diversify these relations through a broad-based programme of exchange of visits by delegations and eminent personalities, organisation of exhibitions, lectures and seminars and tnrough the offer of scholarships and other educational facilities in diverse fields of academic study.

Death of Pak P.O. Ws. due to sickness

2637. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) whether some Pakistani Prisoners of War dicd of sickness; and

(b) if so, the number thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) 68 Pakistani Prisoners of War have so far died of sickness.

Invitation of Foreign Capitalists to start industries in India

2638. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether he had said during his foreign tour that this was the right time for the foreign capitalists to start industries in India by investing their capital and if so, whether such type of invitation has been extended or is proposed to be extended formally on behalf of the Government;

(b) if so, the names of the countries to whom such invitation was extended and the names of those from whom applications have been received on their own;

(c) the items to be produced by the foreign capitalists ;

(d) the names of foreign capitalists who have responded to the invitation keeping in view the domestic requirements and the need to enhance the export capability of India; and

(e) the outlines of the proposals made by them in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) to (e) The Minister of Heavy Industry had gone to Poland as the Leader of the Indian Delegation to the first meeting of the Indo-Polish Joint Commission for Economic Trade Technical and Scientific Cooperation. In conjunction with this visit abroad, he had also visited U.K., Sweden and Germany where besides visiting certain units in the heavy industry sector he also had discussions with the leading industrialists connected with the units visited. During these discussions, Minister indicated that in certain selected sectors of industry which are of national importance where sophisticated technology was involved, the policy of the Government of India has been to welcome foreign participation including financial participation in fields that have been notified from time to time. Minister did feel that this would be an opportune time for such collaboration as in many of the highly industrialised countries like the U.K., Sweden and Germany, costs were mounting due to the shortage of local labour and the industrialists were in fact looking outward for location of industries. Minister indicated to them that instead of their continuing to operate and expand their industries in the existing locations by drawing labour from outside, they should prefer to shift the industries to locations like those in India where there would be an adequacy of labour force with the capabilities of acquiring skills without delay. This would also enhance the export capability. The reactions of the industrialists were generally favourable.

Supply of Inferior Quality of Food-Stuffs to Soldiers

2639. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the soldiers are being supplied inferior quality of food-stuffs as flour, rice, pulses and vegetables by the contractors and the same are not worth eating ;

(b) if so, the steps taken by Government to investigate the matter and to check the supply of inferior quality thereof ; and

(c) the arrangements being made to supply wholesome and nutritious food?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) In view of answer to (a) above, the question does not arise.

(c) Foodstuffs etc. procured for Defence Services are duly inspected and where so prescribed examined by qualified Food Laboratories, before acceptance.

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि

2640. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि संबंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़े दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

संगठित क्षेत्र* में रोजगार में वृद्धि दिसम्बर, 1971–दिसम्बर, 1972

के अन्त में	रोजगार (लाखों में)		
	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	जोड़
दिसम्बर, 1971	110.99	67.34	178.33
दिसम्बर, 1972(अ)	116.37	69.24	185.61
प्रतिशत वृद्धि †			
1972/1971(अ)	+4.9%	+2.8%	+4.1%
1971/1970	+4.5%	—0.03%	+2.8%

(अ)—अनन्तिम ।

*इसमें समस्त सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे गैर-कृषि संस्थापन शामिल है जिनमे 10 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते है ।

† प्रतिशतता पूर्ण अंको से ली गई है ।

अफगान नेताओं को भारत आने का निमंत्रण

2641. **श्री वी० मायावन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगान नेताओं ने भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब आयेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश मंत्री की हाल की काबुल यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की ओर से अफगानिस्तान

गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य श्री मोहम्मद दाऊद को भारत की यात्रा करने का हार्दिक निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक उस निमंत्रण को स्वीकार किया है।

(ख) यात्रा की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है।

जर्मन जनवादी गणराज्य और भारत के बीच हुये करार के फलस्वरूप प्रस्तावित संयुक्त उद्यम

2642. **डा० हरि प्रसाद :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 17 अक्तूबर, 1973 को भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच किन-किन वस्तुओं का और कितना व्यापार भविष्य में होने की आशा है और प्रत्येक देश में स्थापित किये जाने वाले संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : 1974 के लिये व्यापार योजना की व्यवस्था के अनुसार भारत और जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य के बीच 8240 लाख रुपए का व्यापार होने की आशा है ; आयात 4230 लाख रुपए मूल्य का और निर्यात 4010 लाख रुपए मूल्य का होगा।

योजना मंत्री और जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य के राजकीय योजना आयोग के अध्यक्ष के बीच 17 अक्तूबर, 1973 को जिस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें आपसी सहयोग के क्षेत्र बताए गए हैं लेकिन किसी विशेष सम्मिलित उद्यम का निर्णय नहीं लिया गया।

विदेशों से आये आव्रजकों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बसाना

2643. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :**

श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अन्य देशों से आये आव्रजकों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बसाने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) आव्रजकों के पुनर्वास के संबंध में अन्य क्या क्या योजनायें हैं।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में यदि पुनर्वास योजनाओं के लिये परिव्यय अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में अस्थायी रूप में लिटल अंडमान में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये लगभग 2200 परिवारों (2000 कृषि में और 200 लघु व्यापार आदि में), श्रीलंका से लौटने वाले लगभग 2000 परिवारों को (कृषि में) और श्रीलंका से लौटने वाले लगभग 750 परिवारों को कच्छल द्वीप में रबड़ बागान में पुनर्वास देने का प्रस्ताव है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार बर्मा से लौटने वाले कुछ लोग अपने आप अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में चले गए हैं। बर्मा से लौटे लोगों के लिये लागू होने वाली सामान्य योजना के अन्तर्गत इन लोगों को व्यापार ऋण मंजूर करने पर भी विचार किया जाता है।

विवरण

(1) **कृषि में बसाए जाने वाले परिवार** : कृषि में बसाए जाने वाले परिवारों को खेती के लिये उद्धार की गई 5 एकड़ जमी, आवास के लिये 1/3 एकड़ भूमि दी जाती है । प्रारम्भिक अवस्था के अन्तर्गत भरण पोषण सहायता, आवास, हल के पशुओं कृषि औजारों तथा साधनों, बीजों उर्वरक तथा कीटनाशक, ान की मेढ़ बांधने तथा भूमि संरक्षण उपायों, घरेलू साज सामान, बर्तन आदि के लिये निर्धारित दरों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(2) **लघु व्यवसाय/व्यापार में बसाए जाने वाले परिवार**: लघु व्यवसाय/व्यापार में बसाए जाने वाले परिवारों को व्यापार एवं आवासीय भमि (2/3 एकड़) और निर्धारित दरों के अनुसार आवास और लघु व्यवसाय ऋण दिए जाते हैं ।

(3) **रबड़ बागान में बसाए जाने वाले परिवार** : कच्छल में रबड़ बागानों में बसाए जाने वाले परिवारों को मुख्य भूमि से जाने से पर्व घरेलू साज सामान आदि खरीदने के लिये एक मुश्त अनुदान के अतिरिक्त बागान पर रोजगार तथा आवास और निर्धारित दरों के अनुसार पहुंचने के पश्चात् तीन महीने की अवधि तक नकद अनुदान दिया जाता है ।

आल इण्डिया इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसिटीलीन एम्पलाईज् फेडरेशन

2644. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को आल इंडिया इंडियन आक्सीजन एंड एसीटीलान एम्पलाईज़ फेडरेशन से दिनांक 17 अगस्त, 1973 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें फेडरेशन द्वारा इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को दिये गये मांगपत्र के संबंध में विवाद को हल करने हेतु मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का अनरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के कर्मचारी कानपुर, कलकत्ता आसनसोल, खदाई तथा अन्य स्थानों पर अपनी मागों को मनवाने के लिये भूख हड़ताल करेंगे;

(ग) क्या सरकार को पता है कि समूचे देश नें इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के कर्मचारीयों में निरन्तर असंतोष बना हुआ है और वे पूण हड़ताल करने की धमकी दे रहे है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) अनुमानत: संकत केन्द्रीय श्रम मंत्री को संबोधित महासंघ के तारीख 17 अगस्त, 1973 के पत्र की ओर है ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन तथा इंडियन टी एसोसियेशन, कलकत्ता पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को लागू किया जाना

2645. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित इंडियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबंध उसके अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि दिसम्बर, 1971 से लागू हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम तथा योजना के उपबन्धों को इसी प्रकार इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन कलकत्ता तथा इंडियन टी एसोसियेशन कलकत्ता पर लागू किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा के मेज पर रख दी जायगी।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन के कारण फालतू हुए कर्मचारी

2646. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में नवीनतम संशोधन के परिणामस्वरूप कई राज्य सरकारों के बहुत से कर्मचारी फालतू हो गये हैं ;

(ख) क्या इस मामले में पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्रालय ने कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को समुचित सरकार की क्षतियां कुछ घटनाओं के अन्तर्गत अन्तरित कर देने से राज्य सरकारों में कर्मचारियों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊपर (क) में वर्णित स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री को अवगत कर दिया गया है।

फैक्टरियों में गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले

2647. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में लगी फैक्टरियों में गत दो वर्षों में गम्भीर दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या उपाय सुझाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में 1970 और 1971 के वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं के कारण पहुंची चोटों की संख्या नीचे दी गई है :–

वर्ष	कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण आई चोटों की संख्या		
	घातक	गैर-घातक	कुल
1970.	613	287,495	288,108
1971 (अनंतिम) . . .	584	319,589	320,173

(ख) दुर्घटनाओं में वृद्धि का कारण सामान्यत: पुराने ढंग की मशीनें, मशीनों का दोषपूर्ण अनुरक्षण, अपेक्षित सुविधाओं का अभाव, ज्ञान, निपुणताओं की कमी और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपेक्षित रवैये का न होना है।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन बनाए गए राज्य कारखाना नियमों में निर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, उनकी लगातार पुनरीक्षा की जा रही है और जहां कहीं आवश्यक होता है उन्हें परिवर्धित और समुन्नत किया जाता है। राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के माध्यम से सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा शिक्षा भी दी जा रही है। सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को मज़बूत बनाने के लिए, कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

जामनगर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवास बस्ती का प्रस्ताव

2648. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जामनगर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवास बस्ती बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) जी नही, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश में गुजरात राज्य के बन्दी बनाये गये युद्ध बन्दी

2649. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में गिरफ्तार किए गए युद्ध बन्दियों में से कोई गुजरात राज्य के हैं;

(ख) उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन्होंने भारत में ही रहने के लिए सरकार को लिखा है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) बंगला देश में गुजरात राज्य का कोई भी पाकिस्तानी युद्धबन्दी नहीं पकड़ा गया था। तथापि, एक असैनिक जो अपने आपको गुजरात का होने का दावा करता था, बंगला देश में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के साथ पकड़ा गया था और उसके मामल पर विचार किया जा रहा है।

सामरिक महत्व के उद्योग के रूप में इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड

2650. **श्री एस० एन० मुकर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को रक्षा कार्यों के उद्देश्य से सामरिक महत्व का उद्योग मानती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे उपक्रम को सरकारी खोज क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की कोई योजना बनाई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को सामरिक महत्व का उद्योग नहीं समझती है क्योंकि रक्षा उत्पादन उपक्रमों को औद्योगिकीय गैसें सप्लाई करने का केवल वे ही स्रोत नहीं हैं।

(ख) जी नही, श्रीमन्।

पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग में किए गए समझौते का उल्लंघन

2651. **श्री समर मुकर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग में मई, 1972 में किए गए नवीनतम समझौते का मजूरी में वृद्धि के मामले को छोड़कर अन्य मामलों में प्रबन्धकों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।

(ख) क्या सभी सेण्ट्रल ट्रेड यूनियनों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क) से (ग) यह मामला अनिवार्यत राज्य कार्य क्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचनानुसार पश्चिम बंगाल में जूट-श्रमिकों ने, संयुक्त श्रमायुक्त, पश्चिम बंगाल के समक्ष मई, 1973 में नहीं बल्कि मई 1972 में हुए समझौत की कुछ मदों के अभिकथित गैर क्रियान्विति के मामले पर दिसम्बर, 1973 से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र इस कामले पर ध्यान दे रहा है।

औद्योगिक विवाद के समय के दौरान मजदूर की मृत्यु पर मुआवजा

2652. **श्री हरि किशोर सिंह** :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विद्यमान इस त्रुटि की ओर दिलाया गया है जिसके कारण यदि औद्योगिक विवाद के दौरान मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों को कोई लाभ नहीं मिल सकता; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

बन्द पड़ी कोयला खानों को पुनः खोलने की योजना

2653. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बंद पड़ी कोयला खानों को पुनः खोजने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कोयला खानें बन्द पड़ी है तथा कब से ; और

(ग) ये खाने कब तक पुनः खोल दी जायेंगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। कोयला खान प्राधिकरण छोटी खानों के पूर्नगठन आर एकीकरण के लिए एक योजना बनाई है जिसके फलस्वरूप कुछ खानें पुन: खोली जाएंगी।

(ख) बंद कोयला खानों की संख्या 297 है और उनमें से बहुत सी वर्षों से बंद पड़ी है।

(ग) यह ठीक-ठीक बताना संभव नही है कि बंद खानें कब तक पुन: चालू हो जाएंगी क्योंकि यह, प्रोद्योगिक आर्थिक विचारों सहित कई पहलुओं पर निर्भर करता है।

अरब-इसरायल युद्ध पर विचार विमर्श करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव

2654. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब-इसरायल युद्ध के प्रश्न पर विचार करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यह सम्मेलन कब बुलाया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) निगुर्ट समन्वय समिति के अध्यक्ष और सदस्य देशों के बीच खासतोर से इस बात पर सलाहमशविरा हो रहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर आगे विचार करने और दृष्टिकोणों मे समस्वय लाने के लिए आपस में बैठक की जाय भारत सक्रिय रुप से इस परामर्श में लगा है और इस संबंध में अन्य देशों से सहयोग कर रहा है। लेकिन अभी तब ब्यौरा निश्चित नहीं हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़ताल

2655. श्री ई० आर० कृष्णन :

श्री सेझियान :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान समुचे भारत में विभिन्न सरकारों क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितनी श्रमिक हड़तालें हुई थी; और

(ख) इन हड़तालों के कारण कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचनानुसार सरकारी क्षेत्र में 1971, 1972 और जनवरी से जून, 1973 तक के दौरान हड़तालों की संख्या और हड़तालों के कारण, नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

वर्ष	हड़तालों की संख्या	हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या
1971	382	2,026,307
1972 (अनंतिम)	526	2,995,714
1973 (जनवरी से जून) (अनंतिम) . .	306	968,375

Scheme for Rehabilitation of Refugees of from Sindh

2656. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who came from Sindh (Pakistan) during the war of 1971 ;

(b) whether any scheme to rehabilitate them is under consideration of the Government ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (c) The Pak nationals who came to India in the wake of Indo-Pak hostilities of 1971 and who were still in India numbered 60,941 (as on 1-8-1973).

These Pakistani nationals being foreigners are expected to go back to Pakistan. Following an exchange of correspondence after the Simla Agreement Pakistan had informed India that they are willing to take back the Pakistani nationals displaced by the December, 1971 conflict from Sind. In the meanwhile, these persons are being given relief assistance in camps on humanitarian grounds.

वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, डंडेली में हड़ताल

2657. श्री बी० वी० नायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट कोस्ट पेपर मिल, डंडेली के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल की थी, और यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थी ;

(ख) क्या हड़ताल समाप्त कराते समय उन्हें कोई आश्वासन दिया गया था, यदि हां, तो आश्वासन किसने दिया था तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन आश्वासनों को पूरा किया गया है और यदि हां, तो कब किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्यत: राज्य कार्य-क्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचनानुसार, इस मिल के श्रमिक अपनी मांगों के समर्थन में 3 मई, 1973 से हड़ताल पर गये थे। संराधन के असफल होने पर, मांगों से संबंधित विवाद को राज्य सरकार द्वारा 20 जून, 1973 को न्याय-निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया गया। श्रमिकों द्वारा 20 जून, 1973 को हड़ताल वापस ले ली गई।

विशाखापत्तनम्, सलेम और हास्पेट इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत

2658. श्री बी० वी० नायक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम, सलेम और हास्पेट इस्पात कारखानों में उत्पादन आरम्भ होने से इस्पात का आयात बंद करने के परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ;

(ख) क्या तीनों इस्पात कारखानों को इस्पात न लाभ न हानि लागत पर उत्पादित करने के लिए इस्पात को बढ़े हुए मूल्य पर बेचने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश से होने वाली आय भी सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) यद्यपि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस्पात में लगभग आत्मनिर्भर होने की परिकल्पना की गई है फिर भी विशाखापत्तनम, सलेम तथा हास्पट इस्पात मिलों में पूरा उत्पादन होने के बाद भी निम्नलिखित कारणों से इस्पात का आयात बन्द नही होगा:-

(1) इस्पात की बढ़ती हुई मांग, जो हो सकता है उपलब्धि से अधिक हो जाए।

(2) इस्पात की कुछ श्रेणियों तथा किस्मों की अधिकता और कुछ अन्य किस्मों की कमी।

(3) सभी किस्मों तथा आकार के इस्पात का देश में उत्पादन आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी नही है।

(ख) और (ग) इस्पात के वर्तमान विक्रेय मूल्यों के आधार पर आशा है जब दक्षिण के सभी इस्पात कारखाने पूरी क्षमता पर उत्पादन करने लगेंगें तो उनको कुछ लाभ होने लगेगा।

विशाखापत्तनम और विजयनगर इस्पात कारखानों की बढ़ी हुई क्षमता

2659. **श्री अर्जून सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम और विजयनगर इस्पात कारखानों की क्षमता 30-30 लाख टन बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आरम्भ में विशाखापत्तनम तथा विजय नगर इस्पात कारखानों की, प्रत्येक की लगभग 20 लाख टन पिण्ड-क्षमता के लिए योजना बनाई गई थी। पूंजी निवेश तथा परिचालन लागत अधिक होने के कारण इस आधार पर परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किए गए तकनीकी आर्थिक शक्यताप्रतिवेदन में काफी अनुवर्ती हानियां होने की आशंका व्यक्त की गई थी। आर्थिक दृष्टि से इन कारखानों को अधिक सक्षम बनाने के लिए अब इन दोनों प्रायोजनाओं में प्रत्येक कारखाने की क्षमता बढ़ाकर लगभग 30 लाख टन पिण्ड करने का विचार है। इन दोनों प्रायोजनाओं में प्रत्येक पर लगभग 854 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

लौह अयस्क की जांच सम्बन्धी सुविधाओं के लिये विशेषज्ञ दल

2660. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लौह अयस्क की जांच के लिये वर्तमान सुविधाओं का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का दल नियुक्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्यों के नाम क्या है तथा इसका मुख्य ध्येय क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) लौह अयस्क के परीक्षण के लिए देश में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं तथा इन सुविधाओं की प्रर्याप्तता और लौह अयस्क के परिस्करण के लिए देश में वर्तमान व्यवस्था तथा सुविधाओं तथा उनकी संरचना का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

कारों और स्कूटरों के उत्पादन में कटौती

2661. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल की कमी से उत्पन्न वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार देश में कारों/स्कूटरों के उत्पादन में कटौती कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती कराये जाने का विचार है तथा इन वस्तुओं का उत्पादन कर रही फर्मों में काम करने वाले मजदूरों पर इस कटौती का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

इस्पात का वितरण

2662. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के आवंटन की वर्तमान प्रणाली को दोषपूर्ण पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात के आवंटन की प्रणाली को मव्यवस्थित किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) वर्तमान वितरण व्यवस्था सन्तोषजनक है फिर भी, वितरण प्रणाली की समय समय पर समीक्षा की जाती है और इस में यथावश्यक परिवर्तन कर दिये जाते हैं। इस्पात वितरण प्रणाली पर विभागीय अध्ययन दल की सिफारिशों का एक विवरण, संलग्न है। इन सिफारिशों को सरकार ने हाल में स्वीकार किया है तथा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

इस्पात की वितरण प्रणाली के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशें जो सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ।

क्रम संख्या	सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण
1	माँग पत्र में से कुछ अनावश्यक खण्डों को निकाल कर उसे युक्तिसंगत तथा संगणक-उनमुख बनाना ।
2	संगणक द्वारा बनाय गये संबंधित आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक मांग पत्र के बारे में उत्पादन निश्चित करना ।
3	त्रैमासिक आपूर्ति हेतु बयाने की छूट की सीमा ।
4	इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों द्वारा दिये गये आर्डरों के मामले में बयाने की अदायगी से छूट ।
5	माँग पत्रों के आयोजन के लिए दिए गये समय को 2 सप्ताह से घटाकर एक सप्ताह करना तथा सेल आर्डर जारी करने के समय को 41 दिन से घटाकर 21 दिन करना ।
6	प्राथमिकता आधार पर भजे गये माँग पत्र सीधे संयुक्त संयंत्र समिति के पास भेजे जाएंगे और उन की प्रतिलिपि प्रायोजक प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।
7	मुख्य उत्पादक लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा निश्चित किए गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संहत उद्योगों को आबंटन करेंगे ।

8 मेचिंग रिजर्व के लिए अलग से रखी गई मात्रा केवल ऐसी मदों के लिए रखी जाएंगी जिनका उत्पादन नियमित रूप से नहीं होता है और जिन की प्रदाय स्थिति सामान्यतः कठिन है।

9 स्टाकयार्ड से माल का वितरण करने के लिए प्राथमिक श्रेणियों की संख्या को 7 से घटा कर 3 करना।

10 पंजीकृत माँग के प्रत्येक ग्रुप के लिए माल का विशेष प्रतिशत अलग रखना।

11 क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा स्टाकयार्डों को रिलीज आर्डर देना।

12 स्टाकयार्ड साइडिंग पर रेलवे के डिब्बों की व्यवस्था का फैसला स्थानीय रेलवे प्राधिकारियों तथा स्टाकयार्डों के बीच आपसी बातचीत से किया जाए।

13 रेलवे स्टाकयार्ड साइडिंगों पर उचित दर्जे के अधिकारी रखेगी जो कम माल होने की आशंका की स्थिति में डिब्बों के माल को दोबारा तोलने के बारे में फैसला करेंगे।

14 रेलवे को स्टाकयार्डों से माल बाहर ले जाने विशेषतया अधिक लम्बाई का माल बाहर ले जाने के बारे में स्टाकयार्डों की प्रार्थना की शीघ्रता से पूरा करना चाहिए।

15 माध्यम अभिकरणों अर्थात लघु उद्योग निगमों की मार्फत वितरण का आधार काफी बड़ा बनाया जा सकता है।

16 निगमों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए कदम उठायें और अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता को मजबूत बनायें।

17 माँग पत्र भेजने तथा लघु उद्योग निगमों के बहुत से डिपुओं की मार्फत हुए माल का अच्छी प्रकार तथा सामयिक वितरण की आदर्श व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

18 लघु उद्योगों को भेजा जाने वाला माल जो आजकल स्टाकयार्डों की मार्फत भेजा जाता है उदाहरणार्थ दोषयुक्त चादरें/प्लेटें तथा चादरों की कतरने लघु उद्योग निगमों को सीधा भेजा जाए।

19 निगमों के कार्यकरण की सतत समीक्षा के उद्देश्य से विकास आयुक्त, लघु उद्योग की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति बनाने का सुझाव दिया गया है।

20 संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्दिष्ट अनुमोदित बेलन तथा प्रेषण कार्यक्रमों के अनुसार मुख्य उत्पादकों के कार्यकरण की संयुक्त संयंत्र समिति तथा लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन की मार्फत मूल्यांकन करने का काम अधिक प्रभावी ढंग से किया जाए। मूल्यांकन अधिकारी समय-समय पर कारखाना का दौरा करें तथा कारखानों के आर्डर विभागों के साथ निकट सम्पर्क रखें। इस से विशेष लाभ होगा।

21 यद्यपि कानूनी व्यवस्था पर्याप्त है तथापि यह आवश्यक है कि इस्पात के दुरुपयोग के मामलों का भली प्रकार पता लगाया जाए। उनकी अच्छी तरह जाँच की जाए और न्यायालयों में उनकी अच्छी तरह पैरवी की जाए।

22 राज्यों के उद्योग निदेशकों, महा-निदेशक, आपूर्ति और निपटान तथा अन्य प्राधिकारियों को चाहिए कि वे अपने भ्रष्टाचार निरोध विभाग बनायें ताकि उनके संघटक माल का दुरुपयोग न करें।

23 प्रायोजक प्राधिकारियों को चाहिए कि वह जिन ग्राहकों की माँग आगे भेजते हैं उन के स्टाक का समय-समय पर जायजा लें और यह सुनिश्चित करें कि उनके पास आवश्यकता से बहुत अधिक माल न हो जिससे देश में कृत्रिम कमी उत्पन्न न होने पाए।

24 प्रायोजक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रकों के साथ गहरा सम्पर्क स्थापित करें (क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रकों को भी ऐसा करना चाहिए) ताकि जानकारी का आदान-प्रदान, निरीक्षण कार्य तथा अनुवर्ती कार्यवाही समन्वित ढंग से की जा सके।

25 उत्पादकों के पास व्यापारियों के पुराने पड़े हुए आर्डरों के बदले में नये आर्डर देने का एक बार और अवसर दिया जाए। इस संदर्भ में संयुक्त संयंत्र समिति व्यापारियों द्वारा नये आर्डर देने की 2 वर्ष की अवधि से छूट देने की संभावना पर विचार करे।

26 बी० आई० सी० के माल के वितरण के आधार को बड़ा बनाने के उद्देश्य से ऐसे जिलों से जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है व्यापारी लेने के लिए एक और कोशिशें की जाए।

रक्षा उद्देशों के लिए सप्लाई किये जाने वाले इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के उत्पाद

2663. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उद्देश्यों के लिए सरकार को इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के कौन से उत्पाद सप्लाई किये जाते हैं;

(ख) क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड रक्षा विमानन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है;

(ग) क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड रक्षा उद्देश्यों के लिए टैंकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पूर्जे आदि की सप्लाई करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या रक्षा उद्देश्यों के लिए इन उत्पादों को अपने ही कारखानों अथवा संस्थापनों में उत्पादन करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इंडियन आक्सीजन लिमिटेड रक्षा प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित उत्पादनों की पूर्ति करता है :—

(1) आक्सीजन जिसमें हाई एल्टीट्यू आक्सीजन, कम्प्रैस्ड आक्सीजन तथा मेडिकल आक्सीजन शामिल हैं ;

(2) कम्प्रैस्ड एयर ;

(3) नाइट्रोजन जिसमें कम्प्रैस्ड नाइट्रोजन शामिल हैं ;

(4) आर्गोन ;

(5) डिक्सोल्वा एक्सीटीलीन; तथा

(6) हाइड्रोजन ।

(ख) अभी वायु सेना की निम्नलिखित कम्प्रैस्ड गैसों की पूरी मांग इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के द्वारा महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान के द्वारा किए गए चालू करार के अन्तर्गत पूर्ति की जा रही है ।

(1) हाई एल्ट्रीट्यूड आक्सीजन ;

(2) कम्प्रैस्ड एयर ;

(3) कम्प्रैस्ड नाइट्रोजन ;

(4) आर्गोन ।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के द्वारा (कथित) करार के अन्तर्गत इन गैसों से युक्त सिलेंडरों की मरम्मत का कार्य भी किया जाता है।

(ग) अनुमानतः संदर्भ इन गैस युक्त सिलेंडरों/कन्टेनरों के सम्बन्ध में हैं जिनका उत्तर प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में निहित है। अभी इन कन्टनेरों का देश में निर्माण नहीं किया जाता है।

(घ) तथा (ङ) जी नहीं, श्रीमन्। किन्तु एक छोट चल आक्सीजन निर्माण संयंत्र को स्थापित करने की एक प्रायोजित परियोजना प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है।

चीनी उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण

2664. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा नवम्बर, 1973 में आयोजित की गई त्रिपक्षीय बैठक में चीनी उद्योग में मजूरी के पुनरीक्षण पर विचार विमर्श किया गया ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) क्या निर्णय किया गया ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री लाल गोविन्द शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। मजदूरी संशोधन और प्रतिधारण भत्ते के भुगतान के प्रश्न पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से 26 नवम्बर, 1973 को और नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ 27 नवम्बर, 1973 को विचार-विमर्श किया गया था। यह निर्णय किया गया कि श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ 6 दिसम्बर 1973 को एक और बैठक की जाए।

भिलाई और राउरकेला संयंत्रों से कच्चे लोहे तथा तैयार इस्पात की ढुलाई

2665. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया है कि भिलाई और राउरकेला संयंत्रों से कच्चे लोहे तथा तैयार इस्पात की ढुलाई के लिये उपलब्ध कराये गये माल डिब्बों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने रेल के माल डिब्बों का कितना उपयोग किया है; और

(ग) भिलाई और राउरकेला संयंत्रों पर कुल कितना माल जमा हो गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। इस पत्र में उन्होंने सभी इस्पात कारखानों में रेल के डिब्बों के इस्तेमाल के बारे में उल्लेख किया है।

(ख) इस्पात कारखानों द्वारा कच्चे लोहे तथा तैयार इस्पात की ढुलाई के लिए प्राप्त हुए रेल के डिब्बों का इष्टतम उपयोग करने की हर कोशिश की जा रही है। गत दो महीनों में कारखानों तथा रेलवे द्वारा किए गए भरसक प्रयत्नों के फलस्वरुप कच्चे लोहे तथा विक्रेय इस्पात के स्टाक कम हो रहे हैं। इस्पात संयंत्र परिवहन को युक्तियुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक समिति भी बनाई है जो अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात कारखानों से तैयार उत्पादों की ढुलाई की समीक्षा करेगी तथा इस बारे में विशिष्ट प्रस्ताव रखेगी।

(ग) 1-11-1973 को भिलाई इस्पात कारखाने तथा राउरकेला इस्पात कारखाने के पास कच्चे लोहे तथा विक्रेय इस्पात का स्टाक निम्नलिखित है :—

	कच्चा लोहा	(टन) विक्रय इस्पात
भिलाई इस्पात कारखाना	43,000	1,20,000
राउरकेला इस्पात कारखाना	13,143	28,427

कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय, त्रिवेन्द्रम् का असंतोषजनक कार्य

2666. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेंद्रम में कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में काम करने के ढंग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस कार्यालय को दो भागों में बांट कर एक भाग को कोचीन और मलबार क्षेत्र के कर्मचारियों की सुविधा के लिए राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब लागू किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नप्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) केरल में क्षेत्रीय कार्यालय के कार्य करने के सम्बन्ध में शिकायतों के विशिष्ट स्वरूप को प्रश्न में इंगित नहीं किया गया है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, इस मामले में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा देना कठिन है; तथापि अग्रिमों की स्वीकृति लेखो के वार्षिक विवरणों को जारी करने मे विलम्ब के बार में विभिन्न स्थानों से कुछ अभिवर्दन प्राप्त हुए थे। शिकायतो के विशिष्ट मामलों में सदस्यों की शिकायतो को दूर करने के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही की गई और की जा रही है।

(ग) और (घ) कोजीकोडे या त्रिचूर में एक उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए अनेक प्रार्थनाए प्राप्त हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए मुख्य-मुख्य मार्ग दर्शनो का अन्तिम रूप दे दिया गया है और निधि के न्यासी बोर्ड ने यह इच्छा प्रकट की है कि उप-क्षेत्रीय कार्यालय को खोलने के सबंधी प्रत्येक प्रस्ताव के पहले सबंधीत क्षेत्रीय समिति द्वारा जांच की जाये और तब उसे कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष आगे विचार के लिये रखा जाय तदनुसार उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए, स्वीकृत मार्गदर्शनों के अनुसार उचित कार्यवाही की जायगी।

भारत-अरब मंत्री संबंधों को बढ़ाने के लिए बातचीत

2667. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **विदेश मंत्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या भारत द्वारा अरब देशों के पक्ष में पूरा समर्थन दिए जाने के बावजूद भी कुछ अरब देश भारत के साथ एक मित्र देश के समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं;**

(ख) क्या इस बारे में किसी स्तर पर बातचीत हुई है अथवा हो रही है ; और

(ग) इस बारे में अरब देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग) अरब देशों ने अलग-अलग और सम्मिलित रूप से कई अवसरोंपर भारत द्वारा अरब पक्ष के प्रति भारत के निरन्तर और सैद्धान्तिक समर्थन की सराहना की है। हाल की लड़ाई के दौरान दिल्ली स्थित अरब राजनियकों ने सार्वजनिक तौर पर भारत के निश्चय की सराहना की और धन्यवाद व्यक्त किया। अरब नेताओं ने भी राजनयिक सूत्रों के ज़रिये भेजे गए संदेशों में सराहना व्यक्त की है। इसलिए इस विषय पर बातचीत का प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यांक श्वेत सरकार के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही

2668. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष राजनीतिक समिति से दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेत सरकार के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत ने दक्षिण अफ्रीका की श्वेत अल्पसंख्यक सरकार के विरुद्ध निर्णायक कदम उठाने की दृष्टि से संयक्त राष्ट्र की विशष राजनीतिक समिति में प्रमुख भाग लिया है। जातिभेद के विषय पर विशेष समिति के "रपैटियर" के रूप में भारत ने निम्नलिखित विषयों पर विशष राजनीतिक समिति में आठ प्रस्ताव रखवाए और उनका समर्थन किया :—

(1) दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक बंदी;

(2) जातिभेद के विरुद्ध श्रमिक संघ कार्रवाई ;

(3) जातिभेद पर विशेष समिति के काम का कार्यक्रम ;

(4) जातिभेद पर सूचना का प्रसारण;

(5) जातिभेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का समन्वयन और उसमें तीव्रता लाना;

(6) अन्तर-सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्य;

(7) दक्षिण अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यास कोष;

(8) जातिभेद की नीतियों से उत्पन्न दक्षिण अफ्रीका की स्थिति।

अंतिम प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया गया है कि वह दक्षिण अफ्रीका की स्थिति दक्षिण अफ्रीकी शासन द्वारा आक्रमक कार्रवाई पर तत्काल विचार करे ताकि उस क्षत्र में गम्भीर स्थिति को ठीक करने की दिशा में चार्टर के सातवें अध्याय के अंतर्गत कारगर उपाय किए जा सकें।

ये सभी प्रस्ताव विशेष राजनीतिक समिति द्वारा पारित किए जा चुके हैं। राजनितिक बंदियों से संबंधत प्रस्ताव महासभा द्वारा पास किया जा चुका है। सभी अन्य प्रस्तावों पर अगले कुछ दिनों में महासभा की स्वीकृति मिल जाने की आशा है।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा भूख हड़ताल

2670. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के सदस्यों ने आर० के० पुरम, नई दिल्ली में डायरेक्टर आफ मिलिट्री फार्म के कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) मिलिट्री फार्म के कर्मचारियों के संघों में से एक संघ ने प्राधिकारियों के विचाराथ कतिपय मांगे रखी थीं। उन मांगों पर विचार किया गया था और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को स्थिति बता दी गई थी। भूख-हड़ताल 9–11–1973 को समाप्त कर दी गई थी।

Towers Constructed by Pakistan in Pak-Occupied Chhamb Area

2671. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistan has constructed some towers in the Pak-occupied Chhamb area ;

(b) the reaction of Government thereto ; and

(c) the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : All related developments bearing on our security are taken into consideration while reviewing our defence plans.

Export of Heavy Industry Products

2672. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the items produced by heavy industries and exported by Government during the last three years ;

(b) the foreign exchange earned thereby, year-wise ; and

(c) the foreign exchange likely to be earned during the financial year 1973-74 as a result of export of the said items and the value thereof in rupees?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

Employees in the Ministry of Heavy Industry

2673. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the number of employees working in his Ministry at present ; and

(b) the number of temporary employees out of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) 298 including 93 employees of the Research and Development organisation for Electrical Industry which is an attached office at present.

(b) 157 of which 89 are in the RDOEI.

Strength of Defence Ministry

2674. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total strength of his Ministry at present ; and

(b) the number of those who are temporary ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) 1240.

(b) 269.

कच्चे लोहे का कमी के कारण केरल इंजीनियरिंग एककों का प्रभावित होना

2675. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कच्चे लोहे की कमी के कारण केरल राज्य में इंजीनियरिंग एकक प्रभावित हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : कच्चे लोहे का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। मूख्यतः बिजली और परिवहन की कठिनाओं के कारण अप्रैल, 1973 से लेकर कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस समय उपभोक्ताओं को कच्चे लोहे का प्रेषण वर्ष 1972–73 में अपक्रय के आधार पर किया जा रहा है। पीडक्रत ढलवां लोहे के पाइप निर्माताओं, रेलवे स्लीपर निर्माताओं, सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा निर्यातोन्मुख उद्योगों जेसे प्राथमिक क्षेत्र को कुछ रियायत दी जाती है। कच्चे लोहे के वितरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित करने के लिए एक समिति भी बनाई गई है।

केरल राज्य में ट्रैक्टरों की मांग

2676. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों की मांग के बारे में केरल राज्य सरकार ने 1973–74 के दौरान कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) केरल सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है लेकिन केरल एग्रो-इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन से 20 ज़ीटर ट्रैक्टरों के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इन ट्रैक्टरों को आबंटित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

केरल तापीय बिजली घर को कोयले की आवश्यकता

2677. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य स्थित तापीय बिजली घर को इस समय कितने कोयले की आवश्यकता है; और

(ख) उसकी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस समय केरल राज्य में कोई ताप बिजली घर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी न करना

2678. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के उन उद्योगों के नाम क्या हैं जहां 8.33 प्रतिशत बोनस अभी तक नहीं दिया गया है जबकि इस संबंध में कानून बना दिया गया है; और

(ख) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) चूंकि उद्योग का अधिकांश भाग राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए इस मामले पर विचार करना राज्य सरकार का काम होगा। यदि केन्द्रीय काय-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रतिष्ठान द्वारा बोनस का भुगतान न किए जाने संबंधी किसी मामले की सूचना दी गई, तो केन्द्रीय सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सकती है।

केरल में भारी उद्योगों की स्थापना

2679. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केरल राज्य में स्थापित किये जाने वाले भारी उद्योगों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में केरल में किसी भी भारी उद्योग को स्थापित करने के बारे में अब तक न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही यह चर्चा का विषय रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पटसन कर्मचारियों द्वारा हडताल

2680. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पटसन कर्मचारियों ने 5 नवम्बर, 1973 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी जिससे पटसन उद्योग में उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी क्या मांगें थीं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचनानुसार, पश्चिम बंगाल के जूट श्रमिकों ने जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण, कच्चे जूट के मूल्य को संशोधन करके बढ़ा कर जूट के उत्पादकों को पारिश्रमिक मूल्य देने आदि सम्बन्धि अपनी मुख्य मांगों के समर्थन में 5 नवम्बर 1973 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्हनी के लिये औद्योगिक गैसों वर उत्पादन

2682. **श्री रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर की इस्पात बनये जाने के लिए अपेक्षित औद्योगिक गैसों की पूरी सप्लाई इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा अपने गोपालपुर स्थित संयंत्र से की जाती है ;

(ख) क्या इस व्यापार में उनका एकाधिकार होने के कारण इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा इंडियन आयरन स्टील कंपनी को सप्लाई की जाने वाली गैसों के मनमाने मूल्य निर्धारित किये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार अपेक्षित गैसों की सप्लाई के लिये इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में स्वयं अपने संयंत्र लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जैसा कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों में किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर स्थित इस्पात कारखाने को पाइप द्वारा आने वाली आक्सीजन की पूरी आपूर्ति इण्डियन आक्सीजन लि० द्वारा अपने गोपालपुर स्थित कारखाने से की जाती है।

(ख) इण्डियन आक्सीजन लि० द्वारा इस्को को सप्लाई की जाने वाली आक्सीजन के मूल्य की शर्तें इस्को की दृष्टि में उचित हैं।

(ग) जी, नहीं। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० की आक्सीजन की खपत इतनी अधिक नहीं है कि इसके लिए रक्षित कारखाने की स्थापना पर विचार किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में इस्पात बनाने में गैसीय कमी तकनीकी का प्रयोग

2683. **श्री रानन सेन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस देश में इस्पात बनाने में गैसीय कमी तकनीकी का प्रयोग, करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : सम्भवत: अभिप्राय गैस को अपचाय के रुप में प्रयोग करके लोह अयस्क में प्रत्यक्ष अपचयन द्वारा स्पंज लोहा बनाने से है। यदि यह ठीक है तो गुजरात औद्योगिक विकास निगम को प्राकृतिक गैस का अपचायक के रूप में प्रयोग करके प्रतिवर्ष 180,000 टन स्पंज लोहा बनाने के लिए 19-11-1973 की आशय-पत्र दिया गया है।

भारतीय विदेश सेवा और इससे इतर सेवा के अधिकारियों द्वारा राजदत/उच्चायुक्त के पदोंपर होना

2684. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या है जहां राजदूत और उच्चयुक्त के पदों पर, अलग-अलग, विदेश सेवा के अधिकारी नियुक्त हैं तथा जहां पर इस सेवा के अधिकारी नियुक्त नहीं हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : उन देशों के नाम जहां राजदूत और उच्चायुक्त के पदों पर भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा से इतर के अधिकारी है अलग-अलग क्रमश: अनुबंध 1 और 2 में दिये गए हैं। **(ग्रन्थालय में रखे गए / देखिये संख्या एल० टी०--5856/73**

पंजाब को इस्पात का नियतन

2686. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में कृषि उद्योग उत्पादन के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए पंजाब को आक्तूबर-दिसम्बर, 1973 की तिमाही के लिये इस्पात का कोई नियतन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा पंजाब कृषि उद्योग निगम को अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 की तिमाही में कुल 3,368 टन इस्पात का आवंटन किया गया है ।

कच्चे लोहे की कमी

2687. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिये अपेक्षित कच्चे लोहे की कमी है ;

(ख) क्या कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए बोकारों में नई कोक ओवन बैटरी चालू की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस समय देश में कच्चे लोहे की उपलब्धि कुल मांग से कम है। उपलब्धि बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) बोकारो इस्पात कारखाने की दूसरी कोक ओवन बैटरी (बैटरी नं० 3) 18 अक्तूबर, 1973 को चालू की गई थी।

पांचवीं योजना में भारी मशीनों के निर्माण के संयंत्र के लिये नियत की गई धनराशि

2688. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में भारी मशीनों का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के संयंत्र के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) वे परियोजनायें कौन सी है जिन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) संभवतः माननीय सदस्य पांचवीं योजनावधि में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नये भारी मशीन बिल्डिंग संयंत्र का उल्लेख कर रहे हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को इस परियोजना के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट से जिसके कि दिसम्बर 1973 में प्राप्त होने की आशा है, इस परियोजना पर होने वाले अनुमानित व्यय का पता चलेगा।

(ख) चूंकि पांचवीं योजनावधि में केवल एक ही नये भारी मशीन बिल्डिंग संयंत्र को स्थापित करने का विचार है इसलिए परस्पर प्राथमिकता का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात की स्थानापन्न धातुओं का पता लगाने सम्बन्धी समिति

2689. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस्पात की स्थानापन्न धातुओं का पता लगाने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा एक समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) देश में इस्पात की खपत में मितव्ययिता लाने के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति बनाई गई है । ऐसी संभावना है कि यह समिति 31-12-73 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

Supply of Sub-standard Coal ts Thermal Power Stations in West Bengal and Bihar

2690. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Thermal Power Stations in West Bengal and Bihar are being supplied with sub-standard coal ;

(b) whether they are also not being supplied coal in time and according to their requirements ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) there have been some complaints about quality and in-adequate supplies of coal to power stations in West Bengal and Bihar ;

(c) The main reasons affecting the supply of coal are in-adequate rail transport, acute power shortage in Eastern region since April, shortage of explosives and labour trouble due to inter/intra-Union rivalries.

A close watch on supplies of coal to all power stations is being kept by the coal producing units and Railways and it has been possible to meet the situation without any dislocation in the working of power stations. A Control Room has been established in the Railway Board to take emergent action to rush supplies to any power station facing a critical stock position.

Strike by E.P.F. Employees

2691. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the employees working in the Employees Provident Fund Offices of the Central and various State Governments went on strike and staged a 'dharna' in the third week of October in support of their demands ;

(b) if so, their demands ; and

(c) the reasons for not accepting their demands so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under :

(a) The All India Employees' Provident Fund Staff Federation and its affiliated Unions resorted to slogan shouting and relay hunger strike in batches for 72 hours in Regional Offices/Central Office and also at Shramshakti Bhavan.

(b) A copy of the charter of demands is enclosed.

(c) The demand of the Federation relating to revision of pay scales is under the consideration of a sub-committee of the Board of Trustees. Steps are being taken to recognise Organisations of employees at the Central Office and in the

various Regional Offices in accordance with the Code of Discipline. The organisations of workers (who are members of the Fund) are already represented on the Central Board of Trustees and the Regional Committees. It is not possible to accept the remaining demads at present. The position in respect of each demand has been explained to the Federation.

Statement

1. The Pay Scales of the employees of this Organisation should be brought on par with those prevailing in 'A' Class Banks. Pending finalisation of this demand an interim relief of 25% of pay should be paid to each employees.

2. Bonus be granted to all employees of this Organisation Pending finalisation of this demand an *ex-gratia* payment of an amount equivalent to one month's salary should be paid.

3. The All India Employees' Provident Fund Staff Federation and its affiliated units should be recognised forthwith.

4. Section 5B and 5D of the E.P.F. and Family Pension Act should be amended and 2 staff representatives of the Federation in the C.B.T. and 2 staff representatives of each unit in the Regional Committees should be included.

5. The work load in the Regional Offices should be reduced to 750 accounts in accounts side and not more than 30 establishments and not more than 25 files in the Regional side in view of the additional work of family pension. Yard stick should be prescribed for Central Office also.

6. Adequate staff sanction should be made as per demand number 4 above.

7. Merger of L.D.C's and U.D.Cs in view of the similar nature of work done by them.

8. New posts should be created in the following cadres :—

(a) Assistants in the Regional Offices. U.D.Cs of the Regional Offices who have completed seven years of service should be promoted as Assistant.

(b) Superintendent in the Regional Office Head Clerk of the Regional Offices should be designated as Superintendent and be given the scale of the Superintendent.

(c) The posts of the Vigilance Inspectors and P.F.Is be created in the Central Office to check the Vigilance, O&M and deteriorating the recovery position of the provident fund.

(d) The posts of record suppliers, Farash and Jamadar should be created in the Regional Offices/Central Office.

Recognition to all India Provident Fund Staff Federation

2692. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to recognise the All India Provident Fund staff Federation; and

(b) if so, the reasons for the in ordinate delay in informing the Federation and making declaration in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) and (b) The Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund at their 60th meeting held at Ahmedabad on 7th November, 1973, decided that recognition to

the Registered Trade Unions formed in the Employees Provident Fund Organisation be granted under the Code of Discipline in Industry. Action has already been initiated for verifying the membership of each of the Unions/Federation as laid down in the Code of Discipline in Industry.

Danaiya Nullah Scheme, Patna

2693. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether rain water falls in the Sone river through a nullah flowing via Danapur Cantt. due to non-implementation of the Danaiya Nullah scheme under Maner Thana in Patna District.

(b) whether the Contonment Board authorities auction this nullah to the fishermen;

(c) whether thousands of acre of paddy crop in Maner and Danapur Thana areas get damaged every year due to obstacle created in the flow of water making of 'Baliyari' in the nullah by the fishermen and sowing rabi crop is also not possible on account of water lagging; and

(d) if so, the justification of auctioning the said nullah and whether Government will take some action to check the occurrance of this problem in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) It is a fact that rain water falls in the Sone river through a nullah flowing via Danapur Cantt. However, the Cantonment Board at Danapur have no knowledge of any Danaiya Nullah Scheme.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

इस्पात संयंत्रों के पास 'फिनिशड स्टील' का स्टाक

2694. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उत्पादन के कम होने के बावजूद इस्पात संयंत्रों के पास 'फिनिशड स्टील' का स्टाक सामान्य स्टाक से एक लाख टन ज्यादा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

नवेली लिग्नाइट परियोजना में बिजली का उत्पादन

2695. श्री दीवीकन :

श्री सेझियान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेवली लिग्नाइट परियोजना में बिजली का कुल कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है ; और

(ग) इस में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान नेवेली बिजली घर का शुद्ध उत्पादन इस प्रकार था :—

1970–71	.	.	1801 कि० वा०/घ०
1971–72	.	.	2168 कि० वा०/घ०
1972–73	.	.	1730 कि० वा०/घ०

(ख) नेवेली बिजली घर की प्रतिष्ठापित क्षमता के संदर्भ में बिजली के उत्पादन में कमी का कारण नेवेली लिग्नाइट खान से कम मात्रा में लिग्नाइट का प्राप्त होना था।

(ग) नेवेली बिजली घर से बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए है।

(i) तात्कालिक उपाय के रूप में सरकार ने बिजली घर के 50–50 मे० वा० की दो इकाइयों को उस समय तक के लिए तेल ईंधन में परिवर्तित करने का निश्चय किया है जब तक कि नेवेली लिग्नाइट खान से लिग्नाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो जाता। आशा की जाती है कि दोनों परिवर्ति तइकाइयां क्रमशः मार्च, 1974 और जून 1974 तक चाल हो जाएंगी।

(ii) नेवेली लिग्नाइट खान की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 16 लाख टन प्रतिवर्ष है। बिजली घर के उत्पादन में स्थायी आधार पर वृद्धि करने के लिए, सर्वप्रथम 1975–76 तक लिग्नाइट का,उत्पादन 45 लाख टन प्रतिवर्ष तक बढाने की योजना है जिसके लिए, प्रतिस्थापन उपस्कर को सम्मिलित कर, 11.62 करोड़ रुपए के मूल्य का सहायक उपस्कर प्राप्त किए जा रहे हैं।

(iii) अनुमान है कि बिजली घर सहित विभिन्न उपभोक्ता एककों को उनके अनुकूलतम स्तर तक चलाए जाने के लिए लगभग 60 से 65 लाख टन लिग्नाइट की आवश्यकता होगी। तदनुसार विशिष्ट खनन उपस्कर पर 36 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा, लिग्नाइट की उत्पादन क्षमता को 45 लाख टन से 65 लाख टन प्रतिवर्ष तक बढाने का प्रस्ताव भी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

बड़े ढुलाईघरों को बढ़े हुये दर पर कच्चे लोहे की कथित बिक्री

2696. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 अक्तूबर, 1973 के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" में "हाऊ रुलिंग पार्टी कलेक्ट्स फंड्स-रुपीज इलेवन मिलियन पे-आफ टु बिग बिज आन पिगआइरन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित हुआ समाचार बिल्कुल गलत है।

मारुति लिमिटेड को इस्पात के लिये जारी किये गये परमिट

2697 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मारुति लिमिटेड, हरियाणा को अब तक इस्पात के लिये जारी किये गये परमिटों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मेसर्स मारुति लिमिटेड को मार्च 1973 तक विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त हुई इस्पात की सप्लाई सम्बन्धी विवरण

(मीटरी टन)

स्त्रोत	मांग	प्रेषण	टिप्पणी
संयुक्त संयंत्र समिति .	7,499	799.000	जनवरी-मार्च, 1973 की अवधि में किए गये प्रेषण सम्बन्धी सभी रिपोर्ट बिलेट
बिलेट पुर्नबेलक समिति .	1,875	649.880	पुनर्बेलक समिति को अगस्त 1973 तक प्राप्त नहीं हुई थी।
स्टाकयार्ड :			
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड .	*11,430.631	852.407	*आयातित इस्पात की मांग भी शामिल है।
टिस्को . . .	14,561.000	**310.122	**अप्रैल '73 से पार्टी द्वारा 117.897 मीटरी टन माल उठाया गया।
इस्को . . .	14,893.500	536.000	
कुल .	40,885.131	1,698.529	

बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य के पूरा होने का समय

2698. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात परियोजना के निर्माण कार्य के पूरा होने का समय क्या था, और इस संयंत्र में कब उत्पादन शुरू होना था ;

(ख) निर्माण कार्य के समय में अब तक कितनी बार परिवर्तन किया गया है और प्रत्येक अवसर पर इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बोकारो सयंत्र के निर्माण कार्य में और भी विलम्ब होगा ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या निर्माण कार्य में एक दिन के विलम्ब से एक लाख रुपये का शुद्ध घाटा होता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) नवीनतम निर्माण अनुसूची के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण (ठंडी बेलन मिल को छोड़कर) वर्ष 1974 की चौथी तिमाही में पूरा हो जाएगा और उत्पादन होने लगेगा ठंडी बेलन मिल को एक वर्ष पश्चात् चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) निर्माण अनुसूची में 4 बार संशोधन किया गया है। उस समय सूखे की स्थिति के कारण भमि का कब्जा लेने में देरी के परिणामस्वरूप सिविल कार्य आरम्भ करने में हुई देरी सिविल इंजीनियरी कार्य के लिए उप ठेकेदार नियुक्त करने में देरी, संरचनात्मकों की स्थापना के कार्य आरम्भ करने में देरी, देशीय निर्माताओं द्वारा उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब, ऊष्मसहों की सपुर्दगी में गम्भीर विलम्ब ठेकेदारों के मजदूरों में प्राय: झगड़े, और परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य में देरी के कारण मुख्यत: संशोधन करने पड़े हैं।

(ग) वर्तमान निर्माण अनुसूची के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) यह बताना कठिन है कि इस देरी के कारण निश्चित रुप से कितनी वित्तीय हानि हुई है ।

संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर

2699. श्री ज्योतिमय बसु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक संगठित क्षेत्र में, जोनवार और वर्षवार रोजगार वृद्धि की दर क्या है ;

(ख) बेरोजगार के मामले में कुछ राज्यों और कुछ जीनों के दूसरों से पिछड़े जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) संगठित क्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन को कम करने और अन्तोगत्वा समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1969-70 से 1971-72 की अवधि के संबंध में संगठित क्षेत्र में क्षेत्रवार और वर्षवार रोजगार में वृद्धि-दरें दी गई है (परिशिष्ट—एक) ।

(ख) और (ग): एक विवरण संलग्न है, जिस में रोजगार में वृद्धि में क्षेत्रिय असनंतुलन सम्बन्धि स्थिति और उपचारी उपाय दिए गए हैं (परिशिष्ट–दो) ।

विवरण 1 **परिशिष्ट 1**

1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान संगठित क्षेत्र* में क्षेत्रानुसार@ रोजगार वृद्धि दर

क्षेत्र*	के दौरान रोजगार वृद्धि की प्रतिशत दर		
	1971–72	1970–71	1969–70
1	2	3	4
उत्तरी	+5.5	+4.0	+4.0
केन्द्रीय	+2.1	+2.1	+3.0
उत्तर-पूर्वी	+4.9	+0.03**	+1.1**
पूर्वी	+1.2		
पश्चिमी	+1.6	+5.2	+3.2
दक्षिणी	+4.0	+2.3	+2.3
सभी क्षेत्र	+2.8	+2.5	+2.5

*समस्त सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के गैर कृषि संस्थापन शामिल है जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते है।

@जैसा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन परिकल्पित क्षेत्रीय परिषदों के प्रयोजन हेतु गढित किए गए है।

**आंकड़े विभाजन से पूर्व संयुक्त पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित है।

विवरण–2

रोजगार के बारे में क्षेत्रीय असंतुलनों का सम्बन्ध देश के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में उद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास के अन्य पहलुओं की सापेक्ष प्रगति से है। अनेक क्षेत्रों को विकास प्रक्रिया का समुचित लाभ प्राप्त न होने के अनेक कारण है। इस सम्बन्ध में एक ही कारण का अथवा अनेक कारणों का संयुक्त प्रभाव हो सकता है। कई मामलों में साक्षेप स्थिरता ऐतिहासिक कारणों से नहीं हो सकी। आजादी से पहले कुछ क्षेत्रों की ओर, जिन्हें वाणिज्यिक एवं राजनितिक हित की दृष्टि से अपेक्षतया महत्वहीन समझा जाता था, अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में कम ध्यान दिया गया। विशेषकर भारतीय राजाओं के शासन और जमीनदारी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विकास के लिए प्राय:अधिक प्रतिकूल दिशाएं व्याप्त थीं। कुछ क्षेत्रों के पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण नैमित्तिक कारक कमजोर आधार और उसके परिणामस्वरूप बाह्य अर्थव्यवस्था का अभाव है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों के साक्षेप पिछड़ेपन से इन क्षेत्रों में पिछड़ापन कायम रहता है।

आवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का सम्बन्ध, विभिन्न मात्राओं में, पिछड़े क्षेत्रों की समस्या से है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे 225 जिलों के विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी जिन्हें किसी पूर्वनिर्धारित कसौटी के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए समझा गया था। इन जिलों को रिआयती वित्तीय सहायता दी गई, जिसमें व्याज की कम दर पर ऋण देना और ऋण चुकाने की अवधि को उधार देने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक रखना शामिल है। इसके अलावा 50 लाख रुपये से कम का आवधिक निवेश रखने वाले नए तथा विद्यमान यूनिटों के आवधिक पूंजीगत निवेश के 10प्रतिशत तक आर्थिक सहायता या तत्काल अनुदान देने की योजना 1970 के मध्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 44 जिलों/क्षेत्रों में शुरू की गई। इस योजना जो अब 89 जिलों/क्षेत्रों में और एसे यूनिटों पर लागू कर दिया गया है जिनका आवधिक पूंजीगत निवेश 50 लाख रुपये से अधिक है, परन्तु ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता की राशि 5 लाख रुपये तक सीमित कर दी गई है। हाल ही में आर्थिक सहायता की दर को निवेश के 10प्रतिशत से बढ़ाकर 15प्रतिशत कर दिया गया है।

नए उद्योगों को लाइसेंस संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य की ध्यान में रख कर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे देश में देशी इस्पात और सीमेंट की समान कीमतों की नीति से दूरस्थ स्थानों का भी विकास हुआ है जिन्हें अन्यथा यह लाभ प्राप्त नहीं हो सकता था। जम्मू और काश्मीर राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों, संघशासीत क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत चुने हुए रेल-स्थानों से कच्चा माल और तैयार माल ले जाने पर की गई परिवहन लागत की 50 प्रतिशत धन राशि केन्द्रीय सरकार देती है।

आशा है कि ऊपर निर्दिष्ट उपायों से संघठीत क्षेत्र में औद्योगिक मामले मे क्षेत्रीय असंतुलन पर्याप्त हद तक कम होगा जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार में क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा।

अल्जीयर्स गुट-निरपेक्ष देशो के सम्मेलन में बनाई गई आर्थिक नीति

2700. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीयर्स गुट-निरपेक्ष देशो के सम्मेलन में आर्थिक नीति बनाने के बारे में कुछ प्रगति हुई थी ; और

(ख) यदि हां तो विकासशील वित्तीय सहायता के साथ धन निकालने संबंधी विशेष अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) को जोड़ने के प्रयासों में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) अगस्त 1972 में निर्गट देशों के विदेश मंत्रियों की जार्जटाऊन में आयोजित बैठक में आर्थिक सहयोग के अमल संमंधी कार्यक्रम की स्वीकृति के बाद अल्जीयर्स में निर्गूट देशों की शिखर बैठक में कार्यक्रम के अमल के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। वहां आर्थिक घोषण-पत्र और आर्थिक सहयोग पर आगे अमली कार्यक्रम स्विकार किया गया।

(ख) अल्जीयर्स में स्वीकृत आर्थिक घोषणा में निर्गम देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों के लिए अतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में हर पहलू से सुधार बड़ी चिंता का विषय है। आर्थिक सहयो के अमली कार्यक्रम में कहा गया है कि विकासशील देशों के हित में निकालने के विशेष अधिकारों औ विकास के लिए धन देने के बीच एक कड़ी स्थापित की जानी चाहिए। विकासशील देश उन सभी मचों पर जहां इस मामले पर विचार किया जाता है इन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।

खेतड़ी कापर काम्पलेक्स, राजस्थान द्वारा की गई प्रगति

2701. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान स्थित खेतड़ी कापर काम्पलेक्स के पूरा होने में असाधारण रूप से विलम्ब हुआ है ;

(ख) इस काम्पलेक्स में आशाजनक उत्पादन कब तक होने लगेगा और मूल निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनुकुलतम स्तर पर उत्पादन कब से होना था ;

(ग) मूल प्राक्कलन की तुलना में इस परियोजना के विकास की नवीनतम स्थिति के सदर्भ में परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(घ) इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में नवीनतम प्रगति क्या है ; और

(ड.) परियोजना के निर्माण कार्य में लगे हुए प्राइवेट परामर्श दाताओं के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) 1970 में तैयार की गई समय अनुसूची के अनुसार खतड़ी ताम्र संकुल (काम्पलेक्स) के 1973-74 को अंतिम तिमाही में पूरा हो जाना था किन्तु अप्रैल से जून 1973 के बीच बिजली पूर्ति में भारी कटौती तथा सीमेंट और एसीटाइलिन गैस की कमी को परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी। परिणामस्वरूप परियोजना के अंतिम रूप में से चालू होने में अब कुछ विलम्ब हो सकता है।

(ख) 1970 की समय अनुसूची के अनुसार इस परियोजना से अधिकतम उत्पादन 1977 में प्राप्त हो जाने की आशा है। किन्तु खान विकास कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से प्रत्याशित प्रगति की दर प्राप्त करना संभव नहीं है। हिन्दूस्तान ताम्र लिमिटड खान विकास कार्य में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड ने 1971 के अन्त में खेतड़ी ताम्र परियोजना का व्यापक लागत प्राक्कलन तैयार किया था जो 115 करोड़ रुपए है। तब से देश के सामान्य मूल्य स्तर में अत्यंत वृद्धि हुई है तथा रुपए और फ्रैंक की करेंसी दरो पर थी प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। इससे परियोजना की अनुमोदित पूंजीगत लागत में भी कुछ वृद्धि होने की संभावना है।

(घ) संकेन्द्रक संयंत्र का प्रथम स्तोत 1 जुलाई, 1973 को चालू हो गया है। प्रद्रावक संयंत्र के सिविल निर्माण कार्य में 94 प्रतिशत प्रगति हुई है तथा प्रौदयोगिक संरचना और प्रोसेस उपकरण का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रक्षालन खंड के सिविल निर्माण कार्य में 96 प्रतिशत प्रगति हुई है। तथा उपकरण संस्थापन का कार्य जारी है। अम्ल व उर्वरक संयत्र के सिविल निर्माण कार्य में 72 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ड़) संकेन्द्रक प्रद्रावक (फ्लश फरनस क्षेत्र से प्रथम) तथा प्रक्षालन शाला के प्रोसेस डिजाइन परामर्श-दाता मैसर्स बनोटा पिक एण्ड से ऐंसा, फ्रांस है। प्रद्रावक का फ्लैश फरनैस मैसर्स औटो कुम्पू ओ० वाई० के पटेंट शुदा फ्लैश प्रद्रावक प्रोसेस पर आधारित है। फ्लैश फरनैस क्षेत्र के डिजाइन परमर्शदाता मेसर्स पावरगैस लिमिटेड, बम्बई है। अम्ल व उर्वरक संयंत्र के परामर्शदाता मैसर्स फैक्ट इंजिनियरिंग एण्ड डिजाइन संगठन (एफ० ई० डी० ओ०) है। एफ० ई० डी० ओ० को छोडकर अन्य कोई परामशदाता वास्तविक संयंत्र निर्माण के कार्य पर नहीं लगाया गया है।

तांबे की आवश्यकता और उपलब्धता

2702. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 1972–73 और 1973–74 के दौरान तांबे की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता और उपलब्धता क्या है ;

(ख) देश–वार आयात की लागत बताते हुए तांबे का कितना उत्पादन देश में ही किया गया ; और कितना तांबा विदेशों से आयात किया गया ; और

(ग) देश में तांबे के स्रोतों के विकास में धीमी प्रगति के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1971-72, 1972-73 के के दौरान तांबे की वास्तविक उपलब्धि इस प्रकार थी :—

	देशी उत्पादन	आयात	योग
1971–72	8,405	56,137	64,542
1972–73	12,596	49,702	62,298

1973–74 के लिए तांबे धातु की आवश्यकता लगभग 80,000 टन आंकी गई है। यह संभावना है कि लगभग 13,000 टन धातु का देशी उत्पादन होगा। तांबे की अन्तराष्ट्रिय की मतों को हुई अत्यधिक वृध्दि से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण तांबा धातु के आयात के अनुमानित आंकड़े देना संभव नहीं है। तथापि, 1973–74 में 1–4–73 से 31–10–1973 तक 33,182 टन तांबे का आयात किया गया है।

(ख) अपेक्षित जानकारी अनुबंध–क में दी गई है ।

(ग) तांबा स्रोतों का विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिमा है। हाल ही के वर्षों में सरकार ने देश में तांबा स्रोतों के त्वरित विकास के लिए अनेक उपाय किए है जिसके फलस्वरुप आगामी कुछ वर्षों में तांबे के देशी उत्पादन में पर्याप्त वृध्दि होगी। तांबे के समस्त ज्ञात आशावान निक्षेपों में विकास–कार्य आरंभ कर दिया गया है और इनमें राजस्थान की खेतड़ी और कोलिहान खाने और दरिबा और चांदमरी खाने सम्मिलित है । भारतीय तांबा संकुल सरकार ने हाथ में ले लिया है और धातु उत्पादन बढाने के लिए बिहार के तांबा स्रोतों के और अधिक विकास और उनके उपयोग के लिए कदम उठाए जा रहे है। मध्य प्रदेश के मालजखण्ड तांबा निक्षपों में भी विकास कार्य आरंभ किया जा रहा है ।

विवरण

वर्ष 1971, 1972–73 और 1973–74 के दौरान तांबे की उपलब्धि से संबद्ध विवरण नीचे दिया जाता है :–

	देशी उत्पादन	आयात	योग
1971–72 . . .	8,405	56,137	64,542
1972–73 . . .	12,596	49,702	62,298
1973–74	6,380	33,142	39,562

(31–10–1973 तक)

वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान लागत सहित देशवार आयात संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क. 1971-72 के दौरान आयात :

वर्ष 1971–72 के दौरान 5118 लाख रुपए की लागत कुल 56,137 टन माल आयात किया गया। इसमें से 24,288 लाख रुपए मूल्य का 29,739 टन माल भारतिय खनिज ब धातु व्यापार निगम के माध्यम से नीचे दिये गए ब्यौरे के अनुसार आयात किया गया। शेष माल वास्तविक उपयोग कर्त्ताओं द्वारा सीधे आयात किया गया। क्योंकी उस समय तांबे का आयात भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा नहीं किया जाता था ।

मात्रा : मीट्रिक टनों में
मूल्य लाख रुपयों में

देश	1971–72	
	मात्रा	मूल्य
1. अमेरिका	1063	84.03
2. रुस	123	9.27
3. बेल्जियम	18	1.64
4. इंगलैण्ड	7189	591.81
5. कांगो	200	16.63
6. जाम्बिया	17004	1369.52
7. जैरे	4005	350.51
8. विगत वर्षों सहित अन्य समायोजन . . .	47	4.59
योग . . .	29739	2428.00

(ख) 72–73, 73–74 के दौरान आयात — मात्रा मी० टन मूल्य लाख रुपयों में

देश	1972–73		1973–74 (अक्तूबर, 73 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
1. रूस . . .	1100	90.45	—	—
2. बेल्जियम . . .	—	—	—	—
3. ब्रिटेन . . .	74	6.95	299	38.79
4. कांगो . . .	—	—	—	—
5. जाम्बिया . . .	28724	2403.37	20881	2700.11

1	2	3	4	5
6. जैरे . . .	6998	587.09	2649	332.50
7. अन्य समायोजन पिछले वर्ष सहित	2	0.21	—	—
8. कनाडा	24	2.22	500	40.00
9. जापान . . .	10966	866.95	4853	509.56
10. पूर्वी जर्मनी .	17	1.54	—	—
11. पेरू .	1500	118.45	—	—
12. मलेशिया . . .	197	15.49	—	—
13. लेबनान . . .	100	8.01	—	—
14. पश्चिमी जर्मनी . .	—	—	4000	473.52
जोड़ . .	49702	4100.73	33182	4094.48

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान का भू-सर्वेक्षण

2703. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के विभिन्न भागों का भू-सर्वेक्षण करने संबंधी कोई योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिये राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नही। तथापि वार्षिक आधार पर बनाये जाने वाले क्षेत्रगत कार्यक्रम के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था और राज्य सरकार द्वारा पांचवी योजना के दौरान खनिज सर्वेक्षण तथा समन्वक्षण कार्य किये जाएंगे।

(ख) प्रश्न नही उठता।

बिहार में गिरिडीह की सिंघो माइका माइनिंग कम्पनी में तालाबन्दी

2704. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गिरिडीह की सिंघो माइका माइनिंग कम्पनी ने अपनी अभ्रक की खानों में से आठ में गैर-कानूनी ढंग से एक महीने से अधिक अवधि से तालाबन्दी कर रखी है, जिसके कारण हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं, उत्पादन की हानि हुई है, विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है और खानों की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर दिया है;

(ख) क्या बिहार माइका मजदूर संगठन और आल इडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इस सम्बन्ध मे सरकार को कुछ लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो तालाबन्दी हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) मैसर्स सिंगो माइका माइनिंग कम्पनिंग लि० के प्रबन्धतंत्र ने गिरिडीह जिला, बिहार में स्थित अपनी आठ अभ्रक खानों में 1-10-1973 से तालाबन्दी घोषित कर दी है जिससे लगभग 600 श्रमिक प्रभावित हुए है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सहायक श्रमायुक्त ने अपनी संराधन की विफलता सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि विवाद को निपटाने के लिए, केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारियों के प्रयास जारी है।

खनिज उपयोग नीति

2705. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अगस्त, 1973 के 'साइस टूडे' "हु इज किलिंग इंडियाज फ्यूचर" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ;

(ग) क्या अपनी खनिज निर्यात नीति तथा खनिज उपयोग नीति को नये सिरे से जांच करने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

रक्षा कर्मचारियों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

2706. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों के वेतन मानों में वेतन आयोग की रिपोर्ट के उठी असंगतियों को रक्षा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श में सुधार दिया गया है;

(ख) क्या इन सभी असंगतियों पर विचार करने के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की विभागीय परिषद् की एक लघु समिति बनाई गई है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) :(क) से (ग) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग का रिपोर्ट पर अभी हाल ही में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ जिन मसलों पर बातचीत हुई, उन में विषमताओं के मसले भी शामिल थे । इस बात-चीत के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वे कौन से कारण हैं जिस से विषमताएं पैदा होती हैं और यह भी कि सामान्य आदेश जारी कर के इन विषमताओं को दूर करने के लिए कौनसे कदम उठाए जाएंगे । उसी आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । तथापि, यदि आयोग को किसी सिफारिश पर सरकार के फैसले के कार्यान्वयन में किसी वास्तविक विषमता का कोई खास मामला जानकारी में आएगा तो, जहां तक व्यवहार्य होगा, उस विषमता को दूर करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे । इस स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए, इस संबंध में अभी तक विभागीय काउंसिल की कोई समिति नहीं बनाई गई है ।

मिग विमानों का निर्माण

2707. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग विमानों के निर्माण में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिग का उत्पादन कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और उसका उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है ।

उत्पादन का ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

कानपुर में एवरो 748 विमान का उत्पादन

2708. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दस्तान एयरोनाटिक्स, लिमिटेड कानपुर को जहां एवरो 748 विमानों का निर्माण किया जा रहा है बंद करने के लिये दबाव डाला जा रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस एकक को बंद करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) क्या इस एकक के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि हां तो वर्ष 1972 और जुलाई 1973 तक कितने एवरो विमानों का निर्माण किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां श्रीमन् । 1972-73 के दौरान 9 विमान निर्मित किए गये थे । इसमें 8 विमानों का वितरण नहीं किया गया है । चालू वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य 12 विमान का है । अभी तक किसी भी विमान का वितरण नहीं किया गया है ।

वर्ष 1973 में हड़तालें और तालाबन्दियां

2710. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में वर्ष 1973 के पहले दस महीनों में कितनी हड़तालें और तालाबंदिया हुई;

(ख) इस औद्योगिक अशांति के कारण कुल कितने उत्पादन तथा राजस्व की हानि हुई; और

(ग) औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार जनवरी से अगस्त 1973 के दौरान हुई हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या और इन हड़तालों/तालाबंदियों के कारण हानि हुए उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार था :—

आकस्मिकतायें	कुल संख्या	हानि हुए उत्पादन का मूल्य
(1) हड़तालें . . . . जनवरी-अगस्त, 1973 (अनन्तिम)	1,671	55.37 करोड़ रु०
(2) तालाबंदियां . . . . जनवरी-अगस्त, 1973 (अनन्तिम)	220	8.04 करोड़ रु०

उत्पादन की हानि के सम्बन्ध में ये आंकड़े हड़तालों के 920 मामलों और तालाबंदियों के 62 मामलों से संबंधित है जिनके बारे में कि सूचना तत्काल उपलब्ध है ।

(ग) औद्योगिक विवादों के कारण काम बंद किए जाने का कम से कम करने के लिए औद्योगिक संपर्क तंत्र, वर्तमान सांविधिक और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, आवश्यकतानुसार, अनौपचारिक मध्यस्थता, संराधन न्याय-निर्णयन और विवाचन द्वारा प्रयास करता रहता है ।

हरियाणा में भारी उद्योग की स्थापना

2712. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में हरियाना राज्य में कुछ और भारी उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां तो वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां इन उद्योगों की स्थापित किया जायेगा; और

(ग) तत्संबंधी रुपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) निकट भविष्य में हरियाणा में किसी भी नये भारी उद्योग को स्थापित करने के बारे में अभी तक न तो कोई प्रस्ताव मिला है और न ही यह चर्चा का विषय रहा है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा कदाचार

2713. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय आयुक्त जहां दौरे पर जाते हैं तो कर्मचारियों से मुक्त रूप से सवारी और आवास की सुविधा मांगते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्तों के कारण होने वाले खर्च को वहन करने के लिए अधिनस्थ अधिकारियों से कहते हैं; और

(ख) यदि हां तो इसे रोकने के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) इस प्रकार को कोई मामला कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं आया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये बिहार के अस्पतालों और भोजनालयों का सर्वेक्षण

2714. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**
श्री योगेश चन्द्र मुर्मू } : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार क्षेत्र में अस्पतालों और भोजनालयों (सैनिक भोजनालयों को छोड़कर) का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसूची शीर्ष के अन्तर्गत आने के बाद ऐसे अस्पतालों और भोजनालयों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है और अधिनियम के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी पत्र उन्हें किन किन तारीखों को जारी किये गये; और

(ग) क्या श्री लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट धनबाद द्वारा संचालित अनेक अस्पताल, कुरजी अस्पताल, पटना और टाटा अस्पताल, जमशेदपुर को अधिनियम के अधीन नहीं लाया गया है और यदि हां तो सब अस्पतालों में कर्मचारियों और अंशदाताओं की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

रक्षा सेवाओं के लिए खनिज तेल

2715. श्री मधु लिमये : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने तेल उत्पादन अरब राज्यों द्वारा खनिज तेल के उत्पादन में कटौतियों एवं मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हमारी रक्षा सवाओं के लिये पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या रक्षा सेवाओं ने सामरिक महत्व के इन उत्पादों के पर्याप्त स्टाक जमा कर लिये है;

(ग) क्या रक्षा सेवाओं द्वारा इन उत्पादों की व्यर्थ खपत के कटाने के लिये मितव्ययिता के कोई उपाय किये गये है यदि हां, तो किस प्रकार के; और

(घ) क्या रक्षा सेवाएं नीति के रूप में सरकार से यह अनुरोध करेंगी कि रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति जहां तक हो सके स्वदेशी खनिज तेल एवं शोधित उत्पादों से ही की जाये और यदि हां, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम): (क) से (घ) खनिज तेल के आयात में कमी करने और तेल-उत्पादक देशों द्वारा खनिज तेल के मूल्य में वृद्धि से रक्षा सेवाओं सहित हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पैट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार किया गया है। विमान, मोटर गाडियों आदि के उपयोग में कटौती द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में कटौती करने और रक्षा तत्परता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन उत्पादों के खर्च में और कमी करने के लिए जो विशेष कदम उठाए जा सकते हैं उनका अध्ययन करने तथा इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए तीनों सेवाओं को आदेश जारी कर दिए गये हैं।

दिन प्रति दिन की रख-रखाव आवश्यकताओं के अतिरिक्त, रक्षा सेवाओं के लिए पैट्रोलियम का प्राधिकृत पर्याप्त स्टाक रखा जा रहा है। रक्षा सेवाओं को, उपलब्ध सप्लाई से उनकी पैट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के मामले में उच्चतम अग्रता की जाती है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

2716. श्री मधु लिमये : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र ही कोई व्यापक विधान पेश करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस मामले में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से परामर्श किया गया है अथवा उनसे परामर्श किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोगकी सिफारिशों और उनपर हुए समनवर्ती विचार–विमर्शों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को संसद में यथा–शीघ्र पेश करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) प्रस्तावित विधेयक के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) सरकार ने पहल ही श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों से विचारविमर्श परामर्श कर लिये हैं।

इन्डोनेशिया के लिये सेना का प्रतिनिधि मंडल

2717. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना अध्यक्ष, जनरल बेबूर भारतीय सेना का एक प्रति–निधिमण्डल लेकर एण्डोनेशिया जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जनरल के साथ जाने वाले अन्य व्यक्ति कौन–कौन हैं;

(ग) यह यात्रा कितने दिन की होगी; और

(घ) इस यात्रा का उद्देश्य क्या होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) सेनाध्यक्ष जनरल जी० जी० बेबूर ने इस वर्ष 30 अक्तूबर से 5 नवम्बर के बीच इन्डोनेशिया का दौरा किया था। उनके साथ श्रीमती बेबूर, ब्रिगेडियर पी० के० मित्रा तथा ले० कर्नल सक्सेना गये थे। यह एक सद्भाव दौरा था।

इस्पात की मांग और पूर्ति

2718. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस्पात की मांग एवं पूर्ति सम्बन्धी स्थिति क्या है और लघु इस्पात संयंत्रों का उस बारे में क्या योगदान है ;

(ख) लघु इस्पात संयंत्रों को 'स्क्रेप' और 'स्पाज' इस्पात की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति क्या है ;

(ग) लघु इस्पात संयत्रों के लिये बिजली की पर्याप्त सप्लाई, विकास छूट की अवधि में वृद्धि करने और अन्य सुविधाओं के बारे में यदि कोई कार्यावाही की गई हैं, तो वह क्या है; और

(घ) लघु इस्पात संयंत्रों को मिश्रित इस्पात और अन्य प्रकार के 'माइल्ड' इस्पात के निर्माण की अनुमति देने की सम्भाव्यता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) योजना आयोग द्वारा (पांचवी योजना) के लिए लोहा और इस्पात के लिए गठित की गई टास्क फोर्स ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1973–74 में इस्पात की घरेलू मांग लगभग 67 लाख टन होगी। वर्तमान संकेतों के अनुसार 1973–74 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में लगभग 50 लाख टन उत्पादन होने की संभावना है। वर्ष 1972–73 में विद्युत भट्ठी इकाइयों का द्रव–धातु का कुल उत्पादन लगभग 10 लाख टन था। कई इकाइयां, जिन्हें पंजीकृत किया गया है अथवा आशय–पत्र / औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं, लगाई जा रही हैं और आशा है कि 1973–74 में इन इकाइयों में लगभग 12 लाख टन द्रव धातु का उत्पादन होने लगेगा।

(ख) देश में रद्दी लोहे की देशीय उपलब्धि के अतिरिक्त वर्तमान आयात नीति में वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकता का 20 प्रतिशत हैवी मैल्टिंग स्क्रैप/स्पंज आयरन/धातुकृत लोह खनिज/प्रिरिडयूस्ड पैलेट के आयात की अनुमति है। इस समय देश में स्पंज आयरन का उत्पादन वाणिज्यक आधार पर नहीं हो रहा है।

(ग) इन इकाइयों को कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

(घ) प्राय: सभी विद्युत भट्टियों को साधारण इस्पात बनाने की अनुमति है। इन इकाइयों को कुछ प्रकार के मिश्रित इस्पात का उत्पादन करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Defence Expenditure of India

2719. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Biswanath Jhunjhunwalla :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the annual expenditure on the defence of India before the 1971 Indo-Pak war; and

(b) the amount of defence expenditure cut down or proposed to be cut down as a result of the goodwill and peaceful atmosphere created by repatriation of P.O.Ws. and return of the land to Pakistan captured during the war under the Simla and Delhi Agreements?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The annual expenditure under Defence during 1969-70, 1970-71 and 1971-72 is indicated below :

(Net figures in crores of Rupees)

Year	Budget Estimates	Revised Estimates	Actual Expenditure
69-70	1100.00	1104.74	1100.88
70-71	1151.51	1182.83	1199.28
71-72	1241.66	1410.97	1525.34

(b) the present security environment does not permit of any reduction in defence preparedness and consequential expenditure.

राज्यों और केन्द्र के श्रम मंत्रियों की बैठक

2720. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 17 सितम्बर, 1973 को दिल्ली में राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी।

(ख) उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये; और

(ग) इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) से (ग) 17 सितम्बर 1973 की नई दिल्ली में कुछ राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ एक बैठक, 17 जनवरी, 1973 को हुई उनकी पहले की बैठक में कुछ मामलों में बीड़ी श्रमिकों की मजूरियों के संशोधन के लिए किए गये निर्णयों की कार्यान्विति की प्रगति की पुनरीक्षा के लिए, हुई थी। असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा की सरकारों ने न्यूनतम मजूरियां संशोधित की थीं। त्रिपुरा सरकार ने मजूरियों के संशोधन के लिए प्रस्तावों को टिपणियों के लिए अधिसूचित किया है। सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल और केरल में मजूरियां, राज्य श्रम मंत्रियों की 17 जनवरी, 1973 को हुई बैठक में स्वीकार की गई मजरियों से पहले ही उच्चतर है। इस मामले की बाकी राज्यों के साथ पैरवी की जा रही है।

मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई को पुनः खोलना

2721. **श्री पी० आर० शिनाय : क्या श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई के कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है कि इसे सरकारी नियंत्रण में लेकर अथवा किसी अन्य तरीके से फिर से खोला जाये; और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) और (ख) : इस संस्था के कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधि 17 नवम्बर, 1973 को केन्द्रीय श्रम मंत्री से मिले और उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, के अन्तर्गत इस ईकाई को अपने हाथ में ले लिया जाये। यह मामला भारी उद्योग मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना

2722. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के उपक्रमों और गैर–सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों में कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो जिन उद्योगों के लिए अभी न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं की गई है उनका राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा स्थापित सरकारी उपक्रमों और गैर–सरकारी उद्योगों में नकद अथवा अन्य प्रकार के वेतनेतर लाभों सहित न्यूनतम श्रेणी के कर्मचारियों और वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी को मिलने वाली परिलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूची में मूल रुप में सम्मिलित नियोजकों तथा उन नियोजनों के लिए जो धारा 27 के अन्तर्गत सूची में जोड़े जाते हैं न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत संविधिक न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सूची में जोड़े गए नियोजन, संलग्न विवरण में दिखाए गए हैं। राज्य सरकारों द्वारा की गई वृद्धियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न नियोजनों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरियों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना 'भारतीय श्रम आकड़े 1973' नामक प्रकाशित की तालिका 4 11 में दी गई है। प्रबन्धकों को दिये गए परिश्रमिक और अनुमत भत्तो के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में शामिल किए गए नियोजन ।

1. भवनों के अनुरक्षण संबंधी नियोजन और अवतरण-पथो के निर्माण या उनकी अनुरक्षा के लिए नियोजन ।
2. जिप्सम खानों में नियोजन ।
3. बराइट्स खानों में नियोजन ।
4. बाक्साइट खानों में नियोजन ।
5. मेंगनीज़ खानों में नियोजन ।
6. चीनी मिट्टी की खानों में नियोजन ।
7. क्यानाईट खानों में नियोजन ।
8. ताम्र खानों में नियोजन ।
9. मिट्टी खानों में नियोजन ।
10. मग्नेसाईट खानों में नियोजन ।
11. पत्थर खानों में नियोजन ।
12. सफेद मिट्टी खानों में नियोजन ।
13. ओकर खानों में नियोजन ।
14. स्टीटाईट (सोपस्टोन और टैल्क सहित) खानों में नियोजन ।
15. एस्बेस्टास खानों में नियोजन ।
16. अग्नि मिट्टी खानों में नियोजन ।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की विविधकरण योजना

2723. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने अपनी विविधीकरण योजना को कार्यान्वित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उक्त निगम द्वारा इस समय किन किन मुख्य उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विविधीकरण कार्यक्रम के अधीन माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा बनाई जा रही मशीनों और उपकरणों की मुख्य वस्तुएं ये हैं :—

(1) बन्दरगाहों/बिजली घरों/उर्वरक उद्योग जैसे स्टेकर, रिक्लेमर, शिपलोडर, साझ स्क्रेपर और हेवी ड्यूटी केनेवैपरों के लिए कच्चे माल को अधिक मात्रा में उठाने वाले उपकरण ।

(2) खानों के लिए रेत संयंत्र ।

(3) रेलों के लिए गडी हुई वस्तुएं ।

(4) हेवी ड्यूटी गियर बाक्स (500 आ० श० तक के) और फ्लूड कपलिंग ।

(5) फीडर, विशेष प्रकार के पम्प, प्रोद्योगिकी सम्बन्धी ढांचे, इस्पात संयन्त्रों के लिए विभिन्न प्रकार की ढली हुई और गढ़ी हुई वस्तुऐं ।

(6) हाईड्रोलिक प्रोपस ।

(7) कोयला साफ करने की मशीनों के लिए उपकरण और पुर्जे ।

(8) विशेष प्रकार की वस्तुएं जैसे केबिल उद्योग के लिए स्ट्रोडिंग मशीने ।

(9) इस्पात उद्योगों के लिए तापानुशीतित भट्टियाँ ।

मे० बाटा शू कम्पनी (प्राइवेट) लि० द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के संचालन में अनियमितताये

2724. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या मैसर्स बाटा शू कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटड के भविष्य निधि के संचालन में गम्भीर अनियमितताओं के आरोपों के बारे में भारत सरकार ने जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इन अनियमितताओं के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) जांच की जा रही है ।

वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आए प्रवासी हिन्दू

2725. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान से भारत आये हिन्दुओं की सख्या कितनी है ;

(ख) उन्हें बसाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) युद्ध समाप्त होने के पश्चात कितने हिन्दू वापिस पाकिस्तान चले गए ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) समुदायवार अलग अलग आंकडे उपलब्ध नहीं है । 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में आए उन पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या, जो अभी भी भारत में हैं, 1-8-1973 को 60,941 थी ।

विदेशी होने के कारण इन पाकिस्तानी नागरिकों के वापस पाकिस्तान लौट जाने की आशा है । शिमला करार के अनुसरण में हुए पत्र-व्यवहार के फलस्वरूप पाकिस्तान ने भारत को सूचित किया है कि वे, दिसम्बर, 1971 के संघर्ष में सिन्ध से बेघर हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने को सहमत है ।

फिलहाल, इन व्यक्तियों को मानवीय आधार पर शिविरों में राहत सहायता दी जा रही है

(ग) अब तक लगभग 13,000 पाकिस्तानी नागरिक वापस पाकिस्तान चले गए है ।

श्रेणीवार इस्पात का उत्पादन और आयात

2726. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में इस्पात को किन-किन विभिन्न किस्मों की मांग है ;

(ख) श्रेणीवार इस्पात का कितना उत्पादन होता है और कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया जाता है ; और

(ग) इस्पात के उत्पादन में वद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए गए और उनमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) देश में जिन विभिन्न श्रेणियों के इस्पात की मांग है उनमें चपटे उत्पाद जैसे प्लेटें, चादरें, स्टिप, स्केल्प आदि, गैर चपटे उत्पाद जैसे ज्वाईस्ट, चेनल्स, एन्गिल, राउन्ड छड, गोल छड आदि और अर्ध-तैयार माल जैसे ब्लूम बिले आदि शामिल हैं ।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) लगभग गत दो वर्षों में सभी कारखानों में उत्पादन वृद्धि में आने वाली रुकावटों और विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किए गए है । इनमें अनुपुरक सुविधाओं की व्यवस्था करना उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असन्तुलन को ठीक करने के लिए नवीकरण/पुंजीगत मरम्मत के कार्यक्रम की व्यवस्था करना, और बेहतर उपकरण उपलब्धि सुनिश्चित करना शामिल है । सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा दामोदर घाटी निगम से इस्पात कारखानों, कोयला खानों और कोयला शोधन-शालाओं को बिजली की आपूर्ति में उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है ।

मलंजखण्ड तांबा खान के कार्य में प्रगति

2727. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलंजखण्ड तांबा खान के खोज सम्बन्धी कार्य को प्रारम्भ करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) खानों के चालू हो जाने की सरकार को कब तक आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) मालंजखण्ड निक्षेपों में लगभग 13000 मीटर की दूरी तक धारातलीय ड्रिलिंग द्वारा समन्वेशण कार्य हो चुका है ।

(ख) हाल ही में हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड और एक रूसी एजेंसी के बीच मालंजखण्ड ताम्र निक्षेप, मध्य प्रदेश में खनन कार्य और संकेन्द्रण उद्योग के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समझौता हुआ है । इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है कि ये खाने कब चालू हो जाएंगी ।

टिस्को द्वारा की गई प्रगति

2728. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद से इण्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कार्य में क्या प्रगति हुई; और

(ख) क्या इस इस्पात मिल के पुनर्वास कार्यक्रम का वित्त पोषण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण और विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उत्पादन में तेजी से आ रही गिरावट पर काबू पा लिया गया है । विभिन्न संयंत्रों तथा उपस्करों की तकनीकी दृष्टि से जांच कर ली गई है और उनके यथावश्यक प्रतिस्थापन के लिए योजना बना ली गई है । स योजना को अब कार्यान्वित किया जा रहा है । कम्पनी के संगठनात्मक ढांचे में भी उत्तरोत्तर आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं ।

(ख) संयंत्र प्रतिस्थापन योजना के लिए धन की व्यवस्था हेतु विश्व बैंक से सहायता लेने का कोई विचार नहीं है। वित्तीय संस्थाओं की कंसोर्शियम भारतीय औद्योगिक विकास के बैंक के अधीन कमर्शियल बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है। सिद्धान्ततः यह बात मान ली गई है और अब औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

चीनी उद्योग में कर्मचारी और उन्हें दिया जाने वाला प्रतिधारण भत्ता

2729. **प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में देश के सभी चीनी कारखानों के स्थायी और अल्प कालिक कर्मचारियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) वष 1972–73 में अल्प कालिक कर्मचारियों को औसतन कितने दिन बेकार रहना पड़ा उनकी संख्या का राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त वर्ष के दौरान चीनी कारखानों में राज्य-वार कितने अल्प कालिक कर्मचारियों को 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत प्रतिधारण भत्ता दिया गया और कुल कितनी राशि प्रतिधारण भत्ते के रूप में अदा की गई ; और

(घ) क्या कोई राज्य चीनी कारखानों के सभी अल्प कालिक कर्मचारियों को प्रतिधारण भत्ता देता है और यदि हां, तो कितना ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंण्डिया) लि०, भोपाल द्वारा हाई करेंट रेक्टीफायर उपकरण का निर्माण

2730. **श्री राजदेव सिंह** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होई करेन्ट रेक्टीफायर का निर्माण करके हेवी इलेक्ट्रीकल्स (इं०) लि० भोपाल ने काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जहां तक इस उपकरण का सम्बन्ध हैं, बचत आंशिक रूप में होगी अथवा पूरी बचत होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आंशिक रूप में।

Copper Diposit in Jhansi

2731. **Shri Prabodh Chandra** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the outcome of survey being conducted to discover copper deposits in Jhansi District and the time by which the survey is likely to be completed ; and

(b) the time by which production and processing of copper is likely to start ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) As a result of survey being conducted by the Directorate of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh for copper with the assistance of United Nations Development Programme, copper deposits of low grade have so far been discovered near Pisnari and Sonrai Villages in Jhansi district. The investigation of the area is continuing by detailed mapping, drilling, Geophysical and Geo-Chemical surveys. The work is expected to be completed by 1974 with the assistance of the U.N.D.P.

(b) The above deposits are being examined in detail on the basis of survey conducted so far and at this stage it cannot be said whether these deposits can be taken up for extraction of copper metal.

करनाल के कुन्जपुरा स्थित सैनिक स्कूल के छात्रों को दी जाने वाली खुराक

2732. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री नारायण चन्द्र पाराशर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल के कुंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल के छात्रों को दी जाने वाली अपर्याप्त खुराक के बारे में उनके मंत्रालय को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) इस समय प्रति दिन प्रति छात्र कितनी राशि खर्च की जा रही है और उक्त धन राशि से प्रतिदिन प्रति छात्र क्या-क्या खाद्य पदार्थ खरीदें जा सकते हैं ;

(ग) इन खाद्य पदार्थों में कितनी कैलोरी होती है और छोटे, स्वस्थ्य, विकासशील बालक के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी आवश्यक है ; और

(घ) अपेक्षित कैलोरी और दी जा रही कैलोरी के अन्तर को किस प्रकार दूर करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) इस समय प्रतिदिन प्रति छात्र खाने पर 2.75 रुपये खर्च किया जा रहा है उनको दिए जाने वाले खाने में आटा, मैदा, चावल, घी, दालें, चाय, चीनी, सब्जियां, फल, मक्खन जैम, अंडे, गोश्त, मसाले, अचार और पापड़ जैसी मदें होती हैं ।

(ग) छात्रों को दिए गए खाने में लगभग 2700 कलोरी प्रतिदिन होगी । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न समूहों के बच्चों के लिए कैलोरियों की दैनिक अनुमति निम्नांकित है :—

10–12 वर्ष	2100 कैलोरी
13–15 वर्ष	2500 कलोरी

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक दुर्घटनाओं में वृद्धि

2733. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण लगी चोटों की संख्या में जो 1970 में 288,108 थी बढ़ कर 1971 में 320,178 (अन्तिम) हो गई ।

(ख) दुर्घटनाओं में वृद्धि सामान्यतः पुराने ढंग की मशीनों, मशीनों की दोषपूर्ण अनुरक्षण, अपेक्षित सुविधाओं की कमी, ज्ञाननिपुणता की कमी, और दुर्घटनाओं को कम करने सम्बन्धी रवैया का न होना ।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बनाए गए राज्य कारखाना नियमों में निर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, उनकी निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है उन्हें अभिवर्धित और समुन्नत किया जा रहा है । राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण और शिक्षा भी दी जा रही है । सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील प्लांट लिमिटेड के विरुद्ध जांच

2734. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार का विचार जांच अधिनियम आयोग के अन्तर्गत मैसूर आयरन एन्ड स्टील प्लान्ट लिमिटेड की अनियमितताओं के बारे में जांच का आदेश देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उन का इस प्रकार की जांच का आदेश देने का विचार नहीं है ।

बंगाल की खाड़ी में अमरीकी मछुआ जहाजों की गतिविधियां

2735. **श्री ए० के० कृष्णन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने भारत सरकार का ध्यान बंगाल की खाड़ी में यूनियन कार्बाईड कम्पनी के दो अमरीकी मछुआ जहाजों की संदेहास्पद गतिविधियों की ओर आकर्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ताम्र अयस्क और धातु की उत्पादन समय सूची

2736. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिग्रहण के पश्चात, ताम्र अयस्क और धातु दोनों के ही निर्धारित उत्पादन में गम्भीर कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कमियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चुने हुए स्थानों पर कोयला-भण्डार स्थापित करना

2737. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों को कोयले की तेजी से ढुलाई करने के लिए चुने हुए स्थानों पर कोयला भण्डार स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) चुने हुए स्थानों पर कोयला टालों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत, लघु उद्योगों, ईंट भट्ठों और घरेलू कामकाज के लिए कोयला, राज्य सरकारों अथवा उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों को अर्पित रेलों में लादकर चुने हुए गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाएगा । राज्य सरकारें विभिन्न उपभोक्ताओं को सड़क अथवा किसी अन्य माध्यमों से, कोयला वितरण की व्यवस्था करेंगी । इससे ढुलाई क्षमता का उत्तम उपयोग तथा लघु-उपभोक्ताओं को कोयले की अधिक प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी ।

दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी

2738. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में रोजगार ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह वृद्धि 100 प्रतिशत हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या :

(लाखों में)

	1971	1972
30 सितम्बर को	49.29	64.57
30 दिसम्बर को	51.00	68.96
प्रतिशत वृद्धि	3.5	6.8

(ग) सरकार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की बढ़ती हुई संख्या के प्रति जागरूक है और इन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही कर रही है । चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों से रोजगार चाहने वाले सभी वर्गों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार अवसर सृजित होने की आशा है । इसके अतिरिक्त सरकार ने रोजगार चाहने वालों के विशिष्ट वर्गों जैसे शिक्षित, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के निबल वर्गों, बेरोजगार इंजीनियरों और उच्च योग्यता प्राप्त शिल्प वैज्ञानिकों आदि के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए समय समय पर विशेष कदम उठाए हैं । चूंकी रोजगार का अर्थव्यवस्था की विकास दर से सीधा सम्बन्ध है, इस लिए कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है, जिसके फलस्वरूप और अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे ।

चाय बागान एवं पटसन श्रमिकों द्वारा हड़ताल का नोटिस

2739. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागान एवं पटसन उद्योग के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के मजदूर संघों ने गत 6 महीनों के दौरान प्रबन्धकों को हड़ताल के नोटिस दिए थे ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन उद्योगों में वास्तव में हड़तालें कितनी बार हुईं ; और

(ग) इनके परिणामस्वरूप प्रबन्धकों, सरकार, जनता तथा कर्मचारियों को कुल कितनी वित्तीय हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्यत : राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है ।

सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम एवं अन्य बातों की पुनरीक्षण के लिये समिति

2740. **श्री नारायण चन्द पराशार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सैनिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों एवं अन्य सम्बद्ध बातों की पुनरिक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) सैनिक स्कूल योजना के पुन: मूल्यांकन के लिए समिति का गठन 12 जुलाई 1973 को किया गया था । इसकी पहली बैठक दिल्ली में 17 अगस्त 1973 को हुई थी और समिति ने यह निर्णय किया था कि जहां तक व्यवहारिक हो समिति के अधिक से अधिक सदस्यों को इन स्कूलों में जाना चाहिए । इन दौरों को अगले कुछ महीनों में पूरा किए जाने की आशा है । इसके पश्चात समिति द्वारा रिपोर्ट दिए जाने की आशा है ।

सैनिक स्कूल, कुंजपुरा (हरियाणा) में भोजन के लिए मंजूर की गई धन राशि

2741. **श्री नारायण चन्द पराशार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 में सैनिक स्कूल, कुंजपुरा (हरियाणा) के खोले जाने के समय स्कूल में प्रत्येक छात्र के प्रतिदिन के भोजन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी और इस समय कितनी राशि खर्च की जा रही है ;

(ख) क्या राशि में वृद्धि मूल्यों में वृद्धि के तुलनीय है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सन् 1961 में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन भोजन के लिए 2 रुपये की राशि मंजूर की गई थी, अभी 2.75 रुपये व्यय किए जा रहे हैं ।

(ख) भोजन प्रभारों को समय समय पर पुनरीक्षित किया जाता है जिससे कि बालकों को अपेक्षित मात्रा में कैलोरीज प्राप्त हो सकें । इस दृष्टिकोण से वर्तमान मात्रा उपयुक्त समझी जा रही है ।

खेतड़ी पट्टी के समानान्तर सल्फाइड पट्टी का पाया जाना

2742. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने तांबा तथा अन्य धातुओं से युक्त एक सल्फाइड पट्टी का पता लगाया है जो राजस्थान में खेतड़ी पट्टी के समानान्तर स्थित है ; और

(ख) यदि हां, तो धातुओं के निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम एशियाई युद्ध के प्रति भारत का दृष्टिकोण

2743. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेज नहर के खुल जाने में भारत का हित पश्चिम एशियाई युद्ध के प्रति उसके दृष्टिकोण का एक कारण रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह हित किस प्रकार व्यक्त किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकारी प्रवक्ता ने स्वेज नहर के खुलने से भारत को तथा अन्य देशों को, जिनमें मिस्र भी शामिल है और जिसके क्षेत्र से होकर स्वेज बहती है, होने वाले आर्थिक लाभ की पहले भी चर्चा की है । पश्चिम एशिया युद्ध के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बराबर इसी मौलिक सिद्धान्त पर आधारित रहा है कि इजरायल को आक्रमण द्वारा अधिग्रहीत भूक्षेत्र खाली कर देना चाहिए तथा फिलिस्तीनी जनता को अपना अधिकार अवश्य प्राप्त होना चाहिए । सरकार की राय में इस क्षेत्र में न्यायोचित एवं स्थायी शान्ति कायम करने के लिए ये बुनियादी बातें हैं और जब तक यहां यह शान्ति नहीं होगी तब तक इससे पूरा आर्थिक लाभ भी नहीं उठाया जा सकता ।

अरब-इजरायल युद्ध में प्रयुक्त तकनीकी युद्ध नीति और हथियारों के बारे में अध्ययन

2744. **श्री समर गुह :**

श्री मधु लिमये :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अरब-इजरायल युद्ध में प्रयुक्त अद्यतन तकनीक, युद्ध नीति और हथियारों के बारे में अध्ययन करने हेतु एक विशेष अध्ययन दल नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करना वांछनीय समझती है;

(ग) क्या हवाई, टैंक और बख्तरबन्द लड़ाइयां इस युद्ध की विशेष बातें थीं ;

(घ) क्या विशेष प्रकार के प्रक्षेपणास्त्र हमलावार विमानों के विरुद्ध बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए ; और

(ङ) गत अरब-इजराइल युद्ध में प्रयुक्त तकनीक, समरतन्त्र युद्ध नीति और हथियारों के भारतीय रक्षा की तैयारी के लाभ के लिए भारतीय रक्षा अध्ययन में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) विभिन्न युद्धों में अपनाई गई तकनीक, सामरिकी रणनीति और शस्त्र प्रणालियों से हमारी अपनी रक्षा के लिए लाभ प्राप्त करने के विचार से उनका मूल्यांकन करना एक सामान्य कार्य है । हाल ही के अरब-इजराइल युद्ध के सम्बन्ध में भी वही कार्य प्रगति पर है । इस विषय पर और आगे सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

रक्षा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2745. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि रक्षा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है । इन उपक्रमों मेंसे कुछ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर तक अवश्य नहीं है, विशेष कर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में । परन्तु इस कमी को पूरा करने के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार कदम उठाए गये है ।

त्रिपुरा में तुईसिन्द्रीय स्थान पर सैनिक विमानों के उतरने के लिए पट्टी

2746. **श्री दशरथ देव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेलोमारा के निकट तुईसिन्द्रीय में सैनिक वायुयानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी बनाने को योजना को त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए अब तक अधिगृहीत की गई भूमि मूल-भू-स्वामियों को वापस की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अधिगृहीत भूमि के प्रत्येक मामले में कब तक मुआवजे की अदायगी कर दी जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) भूमि को राज्य सरकार को पेशकश दी गई है ।

(ग) 12,57,210.40 रुपये मुआवजे के कुल धन में से 8,57,030.97 रुपये की राशि बांट दी गई है । शेष राशि की अदायगी स्वामित्व के झगड़े के कारण रुकी हुई है । सम्पत्ति का स्वामित्व जैसे ही स्थापित हो जाए अदायगी कर दी जाएगी ।

भारतीय इस्पात निर्माताओं और विदेशों में इस्पात निर्माताओं के लिये स्वीकृत औसत मूल्य

2747. **श्री वसन्त साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय इस्पात निर्माताओं के लिए जो इस्पात का औसत मूल्य स्वीकृत है वह विदेशों में इस्पात निर्माताओं के लिए स्वीकृत मूल्य से किस प्रकार तुलनीय है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : भारतीय इस्पात उत्पादकों द्वारा वसूल किए गए औसत मूल्य अन्य बहुत से देशों, जिन में जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, इटली, लक्ष्मबर्ग, नीदरलैण्ड तथा यू० के० शामिल हैं, में वसूल किए गए मूल्य से कम हैं।

पांचवीं योजना के दौरान इस्पात संयंत्रों के लिये अपेक्षित उच्च श्रेणी का मैंगनीज अयस्क

2748. **श्री वसन्त साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे इस्पात संयंत्रों को पांचवी पंचवर्षीय योजना में उच्च श्रेणी के कितने मैंगनीज-अयस्क की आवश्यकता होगी ;

(ख) उच्च श्रेणी के मैंगनीज-अयस्क के उत्पादन लक्ष्यों की प्रगति के लिए क्या विशेष उपाय किय जाने हैं, कितना मशीनीकरण किया जाना है, मशीनीकरण पर कितना धन लगेगा और सामान्यतः किन किन कार्यवाहियों का मशीनीकरण किया जाएगा विशेष रूप से मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड सम्बन्ध में स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस्पात के उत्पादन को बढाने के लिए 46 प्रतिशत से कम मैंगनीज परन्तु निम्न फासफोरस वाली मैंगनीज-अयस्क के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात कारखाने फेरो मैंगनीज के जरिये परोक्ष रूप से उच्च श्रेणी के फेरो मैंगनीज अयस्क का प्रयोग करते हैं। अनुमान है कि पांचवी पंच वर्षीय योजना में भारत के इस्पात कारखानों में इस्तेमाल के लिए फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी के फेरो मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता इस प्रकार होगी :—

(हजार टन)

1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79
310	375	375	410	438

(ख) फैरो मैंगनीज उद्योग की उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की वर्तमान आवश्यकता की लगभग 60 प्रतिशत पूर्ति मैंगनीज और इण्डिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। आशा है कि पांचवी योजना के अन्त तक मैंगनीज और इण्डिया लिनिटेड समस्त आवश्यकता पूरी करने लगेगी। मैंगनीज और इण्डिया लिमिटेड का 9.45 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से हेवी मिडिया पृथक्करण संयंत्र स्थापित करके पृथक्करण प्रक्रिया तथा परिष्करण के यन्त्रीकरण का विस्तार करने का कार्यक्रम है। उच्च श्रेणी मैंगनीज अयस्क के अतिरिक्त क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है। देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में मैंगनीज अयस्क के निष्कासफोरसीक रण के लिए अध्ययन किए जा रहे है।

(ग) उच्च श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर प्रतिबन्ध पहले ही लगाए जा चुके हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उद्योग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण

2749. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के लिए सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण प्राप्त होने के पश्चात किन किन खनन कम्पनियों ने शेयरधारियों की पूंजी के रूप में 80 लाख पये की राशि बनाई ;

(ख) भारत कोकिंग कोल कम्पनी तथा कोल माईन्स अथारिटी की बहियों में क्रमशः 1 जनम 1973 तथा 31 अगस्त, 1973 को इन कम्पनियों की ओर बकाया राशियां क्या थीं और उसकी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) उपरोक्त स्वामियों की ओर से उपरोक्त तिथियों तक राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितनी धन राशि अदा की गई ; और

(घ) उपरोक्त तिथियों को कोयला खानों के सम्बन्ध में उनके अल्पावधि ऋणों में से कितनी राशि बकाया थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

कोयला खनन कम्पनियों/खान मालिकों द्वारा उच्चतम न्यायालय दायर याचिकायें

2750. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयका खनन कम्पनियों अथवा खान मालिकों के नाम क्या हैं जिनकी पूंजी 75 लाख रुपए से अधिक है और जिन्हों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं ;

(ख) क्या उन्होंने कोयला खानों अथवा किन्हीं अन्य एककों के अधिग्रहण अथवा क्षतिपूर्ति की राशि को चुनौती दी है ?

(ग) सरकार के पास उपलब्ध अन्तिम लेखा विवरणियों के अनुसार अधिगृहित परिसम्पत्तियों का लेखा मूल्य क्या है ; और

(घ) उनके विचारों के अनुसार ये मूल्य क्या है और उनके विचारों के यदि कोई आधार हैं तो वह क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के विरुद्ध कुल मिला कर 155 रिट याचिकाएं दायर की गई थी । सम्बद्ध कम्पनियों/मालिकों के पूंजी निवेश के अनुसार उनका ब्यौरा न तो तत्काल उपलब्ध है और न ऐसा करना लोक हित में होगा क्योंकि मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

(ख) उन्होंने अधिनियक की वैधता को चुनौती दी है ।

(ग) और (घ) इस सब की जानकारी न तो तत्काल उपलब्ध है और न, विशेषकर उस स्थिति में जबकि रिट-याचिकाएं न्यायालय के विचाराधीन हैं, यह जानकारी देना लोकहित में होगा ।

उच्चतम न्यायालय में कोयला खानों के अधिग्रहण का मामला

2751. श्री दिग्विजय नारायण सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने व्यक्तिगत याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय में कोयला खानों के अधिग्रहण की चुनौती दी है ;

(ख) उन्हों ने किन तिथियों को याचिका दायर कीं, अन्तरिम रोकादेश किन तिथियों को जारी किये गए, तथा वे क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को चुनौती देने वाली कम्पनियों के नामों, रिट याचिका दायर करने की तारीखों और अन्तरिम/निषेध आज्ञा की तारीखों से सम्बद्ध विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० –5857/73**] उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में पारित अन्तरिम/निषेध आज्ञाएं लगभग एक सी हैं जिनका सारांश निम्नलिखित है :—

(i) बन्धक या गिरवी रखी गई परिसम्पत्तियों से प्राप्त आय का 30-4-73 को वादी के समान मात्रा में देयधन के लिए भुगतान किया जाए ।

(ii) 30-4-73 से पूर्व व्यय की गई देय राशि के लिए प्रतिवादियों द्वारा वादी की सहमति के बिना भुगतान न किया जाए ।

(iii) विधि ऋणदाताओं से प्राप्त धन तथा कोयला बोर्ड से प्राप्त सहायता धन का प्रतिवादी गणों द्वारा अलग अलग लेखा रखा जाए ।

(iv) बैंक खातों को कोयला अनुपलभ्य बताकर व्यापार तक सीमित करना होगा ।

(v) प्रतिवादीगण देय-धन को सामान्य कार्य व्यापार के अलावा किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं कर सकेंगे ।

(vi) सरकार द्वारा हाथ में ली गई खानों पर प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की स्थिति के समान पृथक रूप से काम किया जाएगा ।

(vii) याचिकाकर्ताओं के इंजीनियरी प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध ग्रहण के मामले में निषेध आज्ञा लागू होगी ।

(ग) इन सभी रिट याचिकाओं के प्रतिवाद के उपाय किए जा रहे हैं ।

कालिन्दी परियोजना के लिये जेनेरेटर

2752. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्नाटक राज्य ने कालिन्दी परियोजना के लिए जेनेरटर प्राप्त करने हेतु भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल को क्रियादेश देने के लिए केन्द्र से अनुमति मांगी है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी, हां । हेवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल को कालिन्दी परियोजना हेतु 6 जनित्रण सेटों के लिए आर्डर मिला है ।

सुपर आयल के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी

2753. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सुपर आयल बनाने के लिए जिसकी रक्षा प्रयोजनाओं के लिए आवश्यकता है, विदेशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : एयरोनाटिक्स, इलैक्ट्रानिक्स, राकेटों, प्रक्षेपणास्त्रों तथा उपकरण उद्योगों के लिए अपेक्षित विशेष धातुओं तथा सुपर अलाय के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए 3 विदेशी फर्मों के साथ करार किए गए हैं ।

उड़ीसा में जयपुर रोड पर स्थित फेरो-क्रोम संयंत्र का बन्द किया जाना

2754. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जयपुर रोड पर स्थित राजकीय स्वामित्व वाले फेरों-क्रोम संयंत्र के बन्द हो जाने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाली सीमा-शुल्क सिपाहियों का भारतीय सीमा में बलपूर्वक प्रवेश

2755. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाली सीमा-शुल्क विभाग के सिपाही बलपूर्वक भारतीय सीमा में घुस आए थे और 20 सितम्बर, 1973 को दार्जिलिंग से 26 कि० मि० दूर भारत नेपाल सीमा पर सुखिआपोखडी-मिरिक सड़क पर दो भारतीय सिविलियनों पर दो बार गोली चलाई ;

(ख) क्या सिपाही भारतीय सीमा से दो गायें पकड़ कर अपने क्षेत्र में ले गए और एक भारतीय को लाठियों से पीटा ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने इस घटना से सम्बद्ध कुछ रिपोर्ट देखी हैं। इस रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार समुचित कारवाई की जाएगी ।

रक्षा मंत्रालय को इच्छापुर राइफल फैक्टरी से गुम हुई बन्दूकें एवं राइफलें

2756. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'फ्री प्रेस' दिनांक 29 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि रक्षा मंत्रालय की इच्छापुर (कलकत्ता) राइफल फैक्टरी से 22 की दस राइफलों सहित 270 बन्दूकें गुम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) दिनांक 29 अक्तूबर, 1973 को 'फ्री प्रैस' में राइफल फैक्टरी इच्छापुर से शस्त्रों के गायब होने की प्रकाशित बात सही नहीं है । कुछ व्यापारियों को 260, 12 डी० बी० बी० एल० गनों तथा 10,315 राइफलों के पूर्ति करने के सौदों के सम्बन्ध में एक बैंक के द्वारा जो प्रकट रूपमें धन रसीदें जारी की गई थीं, सत्यापन पर असली नहीं पाई गई है । मामलों की पुलिस जांच कर रही है ।

शारावती जो विद्युत परियोजना के नवें एवं दसवें एककों को समय पर डिलीवर करने के बारे में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल की असफलता

2757. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारावती विद्युत परियोजना के नये एवं दसवें एककों को समय पर डिलीवर करने में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल की असफलता के परिणामस्वरूप कर्नाटक राज्य की भारी हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य को प्रति वर्ष कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई आश्वासन दिया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० शारावती जल विद्युत परियोजना के लिए नवें तथा दसवें एककों को डिलीवर करने में असफल रहा । कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड के अनुरोध पर हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया)

लि०, भोपाल शारावती के नवें एकक के लिए टर्बाइन तथा नवें तथा दसवें एककों के लिए अन्य हिस्से-पुर्जों का आयात करने को सहमत हो गया था। इन आयातित वस्तुओं में 4 से 9 महीने तक का विलम्ब होना था, और इन उपकरणों को रेल से लाने में भी कुछ विलम्ब हुवा है। ऐसा समझा जाता है किये पीकिंग प्रयोजनो के लिए लगाए जाने थे। किन्तु इस मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या केवल उपर्युक्त विलम्ब के कारण कर्नाटक राज्य को कोई हानि हुई हैं।

अस्पतालों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी अधिसूचना

2758. **श्री योगेशचंद्र मुर्मू :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अस्पतालों को कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी हाल ही की अधिसूचना अस्पष्ट हैं क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रीय आयोगों के अलग-अलग अर्थ दिए गए हैं ;

(ख) क्या उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सरकारी अस्तपालों को शामिल नहीं किया गया हैं ; और

(ग) क्या रेलव अस्पताल उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आते हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) यह अधिसूचना बहुत स्पष्ट है क्योंकि यह कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 को किसी व्यक्ति विशेष, संस्था या संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों पर लागू करती हैं जब कमी क्षेत्रीय आयुक्तयों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं, वे केन्द्रीय भविष्य निधी आयुक्त के कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) सरकारी अस्पताल और रेलवे के अस्पताल, उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आते।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उप समिति का अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन ढांचे के बारे मे प्रतिवेदन

2759. **श्री योगेश चन्द्र मुर्मू :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उपसमिति की हाल ही में बैठक हुई और अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन ढ़ांचे को अन्तिम रूप दिया और 7 नवम्बर, 1973 को अहमदाबाद में हुई बैठक में केन्द्रीय न्यास बोर्ड को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया ; और

(ख) यदि हां तो उनकी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया हैं :—

(क) जहां कहीं भी आवश्यक हो उपयुक्त अनुकूलन के साथ, तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों और स्टाफ के लिए वेतन मानों के बारे में सिफारिश करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा गठित की गई उप समिति की गत बैठक 27 अक्तूबर, 1973 को हुई थी और अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए 7 दिसम्बर, 1973 को उसकी फिर बैठक होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटना की पटनेश्वरी बेकरी, हनुमार बिस्कुट फैक्टरी तथा हौजरी फैक्टरी को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाना

2760. **श्री योगेश चन्द्र मुर्मू** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटनेश्वरी बेकरी रानीघाट, पटना 6, हनुमार बिस्कुट फक्टरी, मरूफगंज पटना सिटी तथा चिमनीघाट पटना सिटी स्थित हौजरी फक्टरी को कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नहीं लाया गया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया हैं कि सूचना एकत्र की जा रही हैं। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के यात्रा भत्ते के बिल

2761. **श्री योगेश चन्द्र मुर्मू** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी क्षेत्रीय आयुक्तों का अलग अलग तथा क्षेत्रवार यात्रा भत्तें के बिलों का गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रीय आयुक्त अपने कर्मचारियों से अतिथि सत्कार प्राप्त करने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उपहार मांगने के आदि हैं ; और

(ग) क्या कुछ क्षेत्रीय आयुक्त अपने दौरे के दौरान होटलों और सरकारी विश्राम गृहों का किराया तथा भोजन के पैसे अदा नहीं करते हैं और अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को पैसे अदा करने के लिए कहते हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया हैं ।

बेरोजगार सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिये गठित अन्तमंत्रालीय दल

2762. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार सम्बन्धि विशेषज्ञ समिति की ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के बारे में सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित अन्तमंत्रालीय कार्यकारी दल ने सरकार को अपने प्रस्ताव पेश कर दिए गए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान उड़ीसा में कोयले की मांग

2763. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की मांग का अनुमान लगाने वाली समिति ने वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के लिए उड़ीसा में कोयले की मांग का अनुमान लगाया था ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में वार्षिक मांग कितनी थी और कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयले की मांग का अनुमान लगाने वाली समिति ने 1972–73 और 1973–74 के लिए उड़ीसा में क्रमश: 47.70 लाख टन और 48.40 लाख टन मांग का अनुमान लगाया था। इस मांग की तुलना में कोयला पूर्ति के संशोधित आंकड़े 1972–73 के लिए 32.90 लाख टन और 1973-74 (30-6-73 तक) के लिए 8.3 लाख टन हैं।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों में भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा कार्मिकों (सिक्योरिटी पर्सोनल) के रूप में नियुक्त करने की योजना

2764. **श्री राम सहाय पांडेय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों में भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा कार्मिकों के रूप में नियुक्त करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) औद्योगिक एककों के लिए पहले से ही गठित औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ-साथ यह नया बल किस प्रकार कार्य करेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सुरक्षा कार्मिकों के तौर पर नौकरी देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई हैं। तथापि, जो भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियमावली में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं वे उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के पात्र हैं।

श्री अमृतनगर सिलेक्टेड कोलियरी, रानीगंज कोयला क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार देना

2765. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतनगर सलेक्टेड कोलियरी, रानीगंज कोयला क्षेत्र के 124 श्रमिकों के प्रश्न के सम्बन्ध में संख्या 40/72 का निर्देश केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता के पास न्याय निर्णय के लिए पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त न्यायाधिकरण (गैर कोककारी कोयला खान) अधिनियम, 1973 के राष्ट्रीयकरण को दृष्टिगत रखते हुए पंचाट नहीं दे सखा और यह विचार व्यक्त किया कि इस न्यायाधिकरण को पंचाट देने का अधिकार नहीं है ; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार ऐसे श्रमिकों के नियोजन के लिए कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) न्यायाधिकरण ने अपने 6 सितम्बर, 1973 के पंचाट में, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण), अधिनियम, 1973 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, निर्देश को रद्द कर दिया है ।

(ग) कोयला खान प्राधिकरण ने बताया है कि इस समय कोयला खान के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इन 124 श्रमिकों के पुनर्नियोजन का औचित्य नहीं हैं ।

'टिस्को' और 'इस्को' द्वारा नियंत्रित कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

2766. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा नियंत्रित कोयला खानों को अपने हाथ में लेने और उनका राष्ट्रीयकरण करने तथा उन्हें अन्य कोयला खानों के बराबर लाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो कब तक और कैसे ; और

(ग) उपरोक्त कम्पनियों में सरकार के कितने प्रतिशत शेयर हैं तथा कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जानकारी नीचे दी गई है :—

कम्पनी का नाम	कुल जितनी रकम के साधारण शेयर जारी किए गए हैं (रुपये)	सरकार, सरकारी वित्तीय संस्थाओं तथा बीमा कम्पनियो के पास साधारण शेयरों की कुल राशि (रुपये)	कालम तीन की रकम कालम दो की रकम का जितने प्रतिशत है
1	2	3	4
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	38,73,96,225	13,32,68,100	34.4
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	24,88,17,980	8,94,16,720	35.9

श्रमिकों के काम के घंटों में कमी करने के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश

2767. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की जानकारी है;

(ख) आयोग की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या इन्हें क्रियान्वित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग) अर्थ व्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कार्य घंटों में तुरन्त कमी करने का प्रस्ताव नहीं किया है। आयोग ने कार्य घंटों को घटाकर 40 घंटे प्रति सप्ताह तक करने का लक्ष्य रखने की सिफारिश की है जिसे दो चरणों में प्राप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने निर्णय किया है कि कार्य घंटों में कमी करने के प्रश्न पर समुचित समय पर विचार किया जाए जब कि परिस्थितियां ऐसी कमी करने की अनुमति दें। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसे उद्योगों में, जिनमें हानिकर प्रक्रियाओं की देखरेख करनी पड़ती हों, या जहां श्रमिकों को धुएं और गैसों में काम करना पड़ता हो, कार्य घंटे तुरन्त कम किए जाने चाहिए। यह मामला विचाराधीन है।

ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबन्ध में ढील दिया जाना

2768. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशी उत्पादन पर्याप्त न होने के कारण ट्रैक्टरों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध में ढ़ील देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972–73 और 1973–74 की कुल मांग कितनी है और कितने ट्रैक्टरों का निर्माण हुआ ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) चुंकी ट्रैक्टरों के आयात पर ऐसी कोई रोक नहीं है इसलिए रोक में ढील देने का प्रश्न ही नहीं उठता। भारी उद्योग मंत्रालय के दृष्टिकोण में देशी उत्पादन वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और आयात की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) वर्ष 1972–73 के लिए मांग के बारे में कोई उचित अनुमान नहीं लगाया गया था। इस वर्ष में हुआ उत्पादन 20,800 के लगभग था। वर्ष 1973–74 के लिए मांग और उत्पादन दोनों 30,000 और 35,000 संख्या के बीच होने की आशा है।

अलौह धातुओं के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कार्यवाही

2769. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातु तांबा, जस्ता, सीसा, जस्ता तथा एल्यूमिनियम जिनके आयात पर देश को एक वर्ष में 20 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ते हैं, जैसे स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो व कदम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी से सम्बद्ध विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–5858/73**]

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास

2770. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व "पूर्वी पाकिस्तान" के शेष शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रुपरेखा क्या है ;

(ख) क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने भूतपूर्व "पूर्वी पाकिस्तान" के 1,50,000 शरणार्थियों के अन्डमान तथा निकोबार द्विप समूह में पुनर्वास की सिफारिश की है और यदि हां तो अब तक वहां ऐसे कितने शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया है ;

(ग) पूर्वी पाकिस्तान के और शरणार्थियों को इन द्वीपों में भेजने की नई योजना की रूपरेखा क्या है और इन द्वीपों में उक्त शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना में अवरोध के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या शरणार्थियों को उनके द्वारा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए मुआवजा दिया जाएगा जैसा कि भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के मामले में दिया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) ऐसा अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्ततक राहत तथा कायस्थल शिबिरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों के 23,500 परिवार होंगे । भूमि की उपलब्धता के बारे में वर्तमान संकेतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान है कि लगभग 17,500 परिवारों को कृषि पर बसाया जा सकता है । शेष परिवारों को मुख्यतया लघु व्यापार/व्यवसाय और आवास के लिए ऋण मंजूर करके गैर-कृषि यवसायों में बसाए जाने की सम्भावना है ।

(ख) जी नहीं । फिर भी, पुनर्वास मंत्रालय द्वारा गठित अन्तर्विभागीय दल ने 1965 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रथम अवस्था के लक्ष्य के रूप में द्वीप की 75,000 की आबादी को दुगुना 1.5 लाख करने का लक्ष्य है । इसकी सिफारिश है कि द्वीपों में भावी उपनिवेशन कार्यक्रम में न केवल भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास को ही रखा जाए बल्कि श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों भूतपूर्व सैनिकों आदि जैसे अन्य स्रोतों से आए व्यक्तियों के पुनर्वास का भी लक्ष्य होना चाहिए ।

इन द्वीपों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के 562 परिवारों को पहले ही बसाया जा चुका है (इनमें पुरानी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत पहले बसाए गए 2,861 परिवार शामिल नहीं है) । चालू वर्ष के दौरान और 125 परिवारों को भेजा गया है ।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपों में पुनर्वास योजनाओं के गतिरोध के सामान्य कारण पर्याप्त यातायात सुविधाओं की कमी और उद्धार किए जाने वाले जंगली क्षेत्रों में वाणिज्यिक लकड़ी की प्रयोग के लिए उचित व्यवस्था की कमी है । इस दिशा में पूर्व की गई/की जाने वाली प्रगति तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में पुनर्वास योजनाओं के लिए आवश्यक निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए 2,200 परिवारों को अस्थायी रूप में लिटिल अण्डमान द्वीप में बसाए जाने का प्रस्ताव है । इनमें से 2,000 परिवारों को कृषि और 200 परिवारों को लघु व्यापार में बसाए जाने की सम्भावना है । कृषि में बसाए जाने वाले परिवारों को कृषि के लिए 5 एकड़ उद्धार की हुई भूमि और आवासीय भमि के लिए 1/3 एकड़ भूमि अलाट की जाएगी तथा निर्धारित दर पर अन्य पुनर्वास सहायता दी जाएगी । लघु व्यापार में बसाए जाने वाले परिवारों को 2/3 एकड़ आवासिय भूमि और निर्धारित दर पर व्यवसाय तथा आवास ऋण दिए जाते है ।

(घ) नेहरू-लियाकत करार 1950 के अधीन पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी उनके द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्तियों के मालिकाना अधिकार रखते हैं और वे अपनी इच्छानुसार अपनी सम्पत्तियों को बेच, हस्तांन्तरित या निपटा सकते है । अतः उन्हें कोई मुआवजा नही दिया गया था ।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्यों में वृद्धि

2771. **श्री समर गुह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के बाद में से (i) उद्योगों (ii) रेलवे और (iii) घरेल उपयोग के लिए सप्लाई किए जाने वाले कोयले के दामों में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) वे मूल्य कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उद्योगों और रेलवे को दिये जाने वाले कोयले के गर्त्तमुख मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है । किन्तु घरेलू उपभोग के सोफ्ट कोक के मामले में 1-5-1972 से अच्छी किस्म के कोयले का गर्त्तमुख मूल्य 65 रूपये से बढ़ाकर 72 रुपये तथा सामान्य कोयले का मूल्य 55 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है । मुग्मा और सालनपुर कोयला क्षेत्र के सोफ्ट कोक के 48 रूपये और 55 रुपय प्रतिटन प्रचलित मूल्य को 1 नवम्बर, 1973 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के उसी ग्रेट के सोफ्ट कोक के मूल्य अर्थात् 60 रुपये प्रति टन के बराबर कर दिया गया है ।

(ख) चूंकि मजदूरी वृद्धि, बोनस, मंहगाई भत्ता आदि के कारण देय धन में वृद्धि हुई है, इसलिए इस समय कोयला और कोक के मूल्य में कमी करना संम्भव नहीं होगा ।

Filling up Reserved Posts for Scheduled Cast Candidates by H.A.L. and B.E.L.

2772. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether orders regarding the reservation for Scheduled Caste candidates have not been followed strictly by the Hindustan Aeronautics Limited and Bharat Electronics Limited resulting in the non-selection of many qualified persons; and

(b) if so, the reasons for selecting only one person out of 43 persons in the Hindustan Aeronautics Limited and only 7 out of 11 persons in the Bharat Electronics Limited ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Both Hindustan Aeronautics Ltd. and Bharat Electronics Limited have been strictly following the Government's directives regarding reservations and other concessions to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(b) In the case of Hindustan Aeronautics Ltd. the reference is presumably to the selection of Management Trainees (Technical) and Design Trainees in 1971. Factually the position is that out of 49 Scheduled Caste candidates called for test/interview, only 29 reported. Out of them one was selected, in the first instance. Eleven more candidates who were rejected in the first instance were selected in a subsequent interview by allowing further relaxation in the standard of selection. Thus, a total of 12 Scheduled Caste candidates were selected out of the 29 Scheduled Caste candidates who reported for test/interview.

In the case of Bharat Electronics Ltd., the reference to selection of 7 out of 11 persons is not clear. However, during the period 1-1-72 to 31-10-73, 4 persons for Class I, 45 persons for Class II and 638 persons for Class III posts were recruited from Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates in this Company.

Unemployed Scheduled Castes/Scheduled Tribes trained by Defence Undertaking

2773. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether thousands of Scheduled Castes and Scheduled Tribes trained by the Defence Undertakings are out of employment ;

(b) whether the Undertakings, which have imparted training to them, have been unable to absorb them ; and

8—32 L. S. S./73

(c) if so, the extent to which Government's directives to this effect have been implemented and if not implemented, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Defence Undertakings

2774. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not exist in many of the public sector defence undertakings;

(b) whether the Ministry of Defence have drawn the attention of those undertakings to this fact and

(c) if so, the undertakings which have fulfilled the reservation obligations and if not, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. All the Defence Public Sector Undertakings are making reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in recruitment/promotion to various posts in accordance with the Government directives issued to them in 1970 and 1971.

(b) Does not arise.

(c) All the Defence Public Sector Undertakings are complying with the directive issued to them on this subject. In cases where the undertakings fail to achieve the prescribed levels, action is taken by them to make up the deficiency in accordance with these directives.

'अंकटाड' के पुनर्गठन के लिये अलजीयर्स सम्मेलन की मांग

2775. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलजीयर्स सम्मेलन में "अंकटाड" के पुनर्गठन की मांग की है ; और

(ख) क्या यह ज़ोरदार धारणा है कि "अंकटाड" के राष्ट्र निर्णय लेते समय गुट-निरपेक्ष देशों को विश्वास में नहीं लेते ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन सम्मेलन में दूसरे विकास दशाब्द की अंतर्राष्ट्रीय विकासनीति के लक्ष्यों और विशिष्ट उपायों पर जल्दी अमल किए जाने पर बल दिया गया। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि विकासशील देशों में यह सामान्य धारणा है कि वार्ता करने वाले निकाय के रूप में "अंकटाड" को सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये।

गुजरात सरकार प्रशिक्षण केन्द्र में युद्ध विधवाओं को शिक्षण

2776. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार के केन्द्र डायमंड जुबली काटेज इन्डस्ट्रीज ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में भारत-पाकिस्तान यद्ध के मृतक सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों के लिए नई प्रशिक्षण योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार को सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक सहायता देने के लिए सहमत हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) से (घ) बडौदा में डायमंड जुबली इन्डस्ट्रीज ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं युद्ध विधवाओं तथा आश्रितों को भी उपलब्ध कर दी गई हैं। गुजरात सरकार द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे वर्ग को, जो संस्था में दाखिल किए जाते हैं, फीस की छूट देने के अतिरिक्त 50 रुपए प्रतिमास का वजीफा भी दे दिया जाए।

2. गत भारत-पाक यद्ध में गुजरात से 10 सैनिक मारे गए थे, जिनमें से चार विवाहित थे। उनमें से हरेक से प्रशिक्षण सहायता की आवश्यकता पूछ ली गई है। क्योंकि उनको केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ी हुई पेंशन जिसके अधीन किसी जवान की विधवा उसके मृत पति द्वारा लिए गए पूरे वेतन तथा भत्ते को आजीवन पात्र है, और एक अफसर की पत्नी 7 वर्ष तक अथवा अफसर की होने वाली सेवानिवृत्ति की तारीख तक जो भी बाद में हों, उसके पति द्वारा मृत्यू के समय धारक पद की परिलब्धियों का तीन चौथाई पेंशन पाने की पात्र है, प्रथम डिग्री स्तर तक उनके बच्चों को निशुःल्क शिक्षा, तथा राज्य सरकार द्वारा भूमि के रूप में पर्याप्त सहायता दी गई है, अतः इन परिवारों में से किसी ने भी किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिये सहायता की इच्छा व्यक्त नहीं की है।

गुजरात के भड़ोच जिले में बाढ़ग्रस्त भूमिहीन श्रमिकों को सहायता

2777. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गुजरात राज्य सरकार से कहा है कि वह गुजरात के भड़ौच जिले के बाढ़ग्रस्त भूमिहीन श्रमिकों की तत्काल सहायता करें ; और

(ख) उनका मंत्रालय उन्हें किस प्रकार की सहायता देने पर विचार कर रहा है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मारुति लिमिटेड]

2778. **श्री मधु लिमये** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड ने अहमदनगर व्हीकल डिपो में परीक्षण के लिये अभी तक नमूना-कारे प्रस्तुत नहीं की हैं ;

(ख) क्या इसका 2–स्ट्रोक वाला इंजन अनुपयुक्त पाया गया है और मारुति कारखाने में एक नये इंजन का विकास किया जा रहा है ;

(ग) मूल आशय-पत्र की अवधि को अब तक कितनी बार बढाया गया है ;

(घ) क्या मंत्रालय ने तकनीकी दल मुख्यतया मारुति कार के निर्माण के बारे में जांच करने और दूसरे अन्य यात्री वाहनों की बिगड़ती हुई किस्म की दृष्टि से उनकी यत्र तत्र जांच करने हेतु नियुक्त किया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को मिली नवीनतम सूचना के अनुसार अद्यरुप के गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर, के पास 20 दिसम्बर, 1973 तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है ।

(ख) जी, हाँ लेकिन अनुपयुक्तता के लिये नहीं बल्कि विशिष्ट तकनीकी और परिचालन संबंधी लाभ के अभिप्राय से ।

(ग) आशय पत्र 30–9–70 को जारी किया गया था । इसकी वैधता की अवधि को तीन बार बढाया गया है । इसे पिछली बार 31 दिसम्बर, 1973 तक बढाया गया था ।

(घ) सभी पार्टियों जिनको कारों का निर्माण करने के लिए आशय-पत्र दिए गए हैं जिसमें मे० मारुति लिमिटेड भी शामिल है, द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए तकनीकी दल नियुक्त किया गया है । इस दल से देश में बनाई जा रही कारों की किस्म की किसी प्रकार की जांच करने के लिए नहीं कहा गया है ।

(ङ) समिति से कहा गया है कि वह यथा शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । इसके लिए कोई निश्चित तिथि नियत नहीं की गयी है ।

निर्माताओं से मोटर गाड़ियों के नीचे के ढांचे (शैसी) प्राप्त करने के मामले में परिवहन उपक्रमों को पेश आने वाली कठिनाईयां

2779. **श्री मधु लिमये** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि सरकारी क्षेत्र के परिवहन उपक्रम (केन्द्र, राज्य तथा नगर उपक्रमों सहित) निर्माताओं से मोटर गाड़ियों के नीचे के ढांचे प्राप्त करने के मामले में बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ;

(ख) क्या टाटा के ट्रक 15,000 से 20,000 रुपये तक के प्रीमियम पर बेचे जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि निर्माता/वितरक प्रीमियम प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने कोटे को निजी चालकों को बेचने में प्राथमिकता देते हैं और सरकारी उपक्रमों के क्रयादेशों पर धीरे कार्यवाही करते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार निर्माताओं के लिये उदारतापूर्वक अतिरिक्त कोटा मंजर करने तथा समस्त अतिरिक्त उत्पादन को सरकारी उपक्रमों में वितरण करने के लिये लेने का है ; और यदि नहीं तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) चुंकि सरकार का इस समय देश में वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । इसलिए यह संभव है कि टाटा की ट्रकें निर्माताओं द्वारा निर्धारित किये गये मूल्यों से अधिक पर बेची जा रही हैं । फिर भी, सरकार को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) निर्माताओं को उनकी उत्पादन क्षमता तक निर्माण करने के लिए सभी संभव सहायता दी जा रही है । उनसे प्राथमिकता के आधार पर सरकारी उपक्रमों की आवश्यकताए

पूरी करने तथा इस प्रयोजन के लिए अपने उत्पादन को 50 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए भी कहा गया है। वे वास्तव में ऐसा कर भी रहे हैं। अतः सरकारी उपक्रमों के बीच वितरण करने के लिए उत्पादन के किसी भाग की मांग करना अनावश्यक है।

इजरायल के साथ युद्ध में अरब देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता

2780. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अरब देशों ने इजरायल के साथ युद्ध में भारत से कोई सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हाल की अरब इसराईली लड़ाई के दौरान भारत ने इसराईली आक्रमण से कब्जा किए गए अरब प्रदेशों की मुक्ति के लिए अरबों के न्यायोचित संघर्ष का समर्थन किया था। इस समर्थन में राजनयिक और राजनीतिक समर्थन तथा चिकित्सा उपकरण, भेंषज और औषध एवं अन्य सामग्री सहित डाक्टरों का भेजना भी शामिल है। इस प्रकार की सहायता मिस्र और सीरिया को दी गई थी ।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हिन्द मजदूर सभा कार्मिक संघ से विलय

2781. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हिन्द मजदूर सभा कार्मिक संघ से विलय करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) प्रत्येक संगठन की अद्यतन सत्यापित सदस्यता कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) 31–12–68 को सत्यांकित सदस्यता जो कि अन्तिम है, निम्न प्रकार है :—

इन्टक	13,26,152
हिन्द मजदूर सभा	4,63,772

खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने की नवीनतम तकनीक का अपनाया जाना

2782. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज संसाधनों के लिए सर्वेक्षण करने और उनका पता लगाने की नवीनतम तकनीक अपनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु विदेशों से कोई सहयोग मांगा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और नई परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) जून, 1971 में फ्रांसीसी सरकार के संगठन भूविज्ञान एवं खनन अनुसंधान ब्यूरो (बी० आर० जी० एम०) पेरिस के सहयोग से बहु यंत्रीय विमानवाही भूभौतिकीय सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरु किया गया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मसूर के खास-खास क्षेत्रों का कुल मिलाकर 80,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग सम्मिलित था जिसमें लगभग 1,43,000 लाइन कि० मी० की उत्पादन उड़ान निहित थी। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा भूमि पर अनुवर्ती कार्य जारी है।

इस्पात के उत्पादन में गिरावट

2783. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन में काफी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार मांग पूरी करने के लिए और अधिक इस्पात का आयात करने का है ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आयात में कितनी वृद्धि हुई है और कितनी विदेशी मुद्रा लगी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कैलन्डर वर्ष 1973 की प्रथम तिमाही में मुख्य इस्पात कारखानों का इस्पात का उत्पादन पिछली तिमाहियों के उत्पादन की तुलना में अधिक था परन्तु चालू वित्त वर्ष अर्थात् अप्रैल-अक्तूबर की अवधि में 33.6 लाख टन इस्पात पिण्ड तथा 24.6 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि की तुलना में जिस में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 34 लाख टन तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन 26.1 लाख टन था, कम था।

(ख) चालू वित्त वर्ष में उत्पादन में कमी आई। कम उत्पादन के मुख्य कारण हैं बिजली की कमी (जिसका राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों और टिस्को तथा इस्को के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा), बिजली की कमी के कारण हुई कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि (जिसका भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों तथा टिस्को और इस्को के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा) तथा दुर्गापुर में मालिक मज़दूर सम्बन्ध अच्छे न होना है। अगस्त-सितम्बर 1973 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के धमन भट्टी विभाग के ढलाई घर अनुभाग में कामगारों द्वारा की गई हड़ताल से 25 दिन के लिए समस्त कारखाने का परिचालन ठप्प हो गया था ।

(ग) और (घ) मांग तथा देशीय उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिये वर्तमान आयात नीति में आयात की पर्याप्त व्यवस्था है। फिर भी, वास्तविक आयात मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में आवश्यक श्रेणियों के इस्पात की उपलब्धि तथा स्पर्धी मूल्यों पर निर्भर करता है।

बोनस समीक्षा समिति का प्रतिवेदन

2784. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस समीक्षा समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विभागीय संचालित उपक्रमों सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, यह संभवनीय है कि समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1973 के अन्त तक प्रस्तुत करे।

(ग) इस अवस्था में, प्रश्न नहीं उठता।

भारत को रूसी गेहूं देने के प्रस्ताव पर कुछ अमरीकी सेनेटरों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

2785. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 अक्तूबर, 1973 के "टाइम्स आफ इण्डिया" (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सोवियत संघ के भारत को गेहूं देने के प्रस्ताव पर कुछ अमरीकी सेनेटरों द्वारा भारत विरोधी कुट प्रचार किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रचार का विरोध किया है और यदि नहीं तो क्यों ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने यह खबर देख ली है लेकिन भारत को सोवियत संघ के गेहूं दिये जाने के बारे में अमरीकी सेनेट सदस्यों के भारत-विरोध प्रचार का उसे कोई प्रमाण नहीं मिला।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shifting of Office of Khetri Project to Calcutta

2786. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the benefits accruing to Government by shifting the office of Khetri Proejct from Jaipur or Khetri to Calcutta ;

(b) whether the shifting of Khetri Project office to Calcutta wi result in the loss of revenue to Rajasthan by way of Sales Tax and Excise duty ; and

(c) the annual rent of the building hired by Government in Calcutta for accommodating the Khetri Project office.

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) The office of Khetri Copper Project has not been shifted from Khetri, Rajsthan. Only tne Head Office and the Registered Office of the Hindustan Copper Ltd. have been shifted to Calcutta.

(b) & (c) Do not arise.

Progress of Scheme of Seven-Day Week in Textile Industry

2787. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the results of the new scheme of "7-Day Week in Textile Industry" introduced in Bombay in July-August, 1973; and

(b) whether this scheme is going to be introduced in the textile industries in other parts of the country also or has been limited to Bombay only?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) :

(a) It is too early to assess the results of the scheme.

(b) No details of the scheme have been worked out yet, for introduction in other areas.

Implementation of Recommendation of Third Conference on Safety in Mines

2788. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2669 on the 9th August, 1973 regarding Third Conference on Safety in Mines and state :

(a) whether Government propose to implement the recommendations by enacting laws ; and

(b) if so, the time by which the laws on the subject would be enacted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The implementation of some of the recommendations of the Conference may require enactment of new legislation or amendment of the existing legislation. It is not possible to specify any time limit at present.

एल्यूमिनियम उद्योगों का विस्तार

2789. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एल्यूमिनियम के ऐसे कितने और कौन-कौन से उद्योग हैं जो विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत हैं ;

(ख) यह उद्योग विस्तार के पश्चात् किस वर्ष पूरा उत्पादन करना आरम्भ कर देंगे; और

(ग) उनके विस्तार के लिये कुल कितनी बिजली की आवश्यकता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) भारत में वर्तमान ऐल्यूमिनियम संयंत्रों के विस्तार, उनकी उत्पादन अनुसुची तथा विस्तार के लिए अपेक्षित बिजली की आवश्यकता संबंधी योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

एल्यूमिनियम उद्योग का नाम	उद्योग का स्थान	विस्तार कार्यक्रम
1. इंडिया ऐल्यूमिनियम कम्पनी	वेलगाम (कर्नाटक)	20,000 टन प्रतिवर्ष
2. हिन्दुस्तान ऐल्यूमिनियम कम्पनी निगम	रेणुकूट (उत्तर प्रदेश)	60,000 टन प्रतिवर्ष
3. मद्रास ऐल्यूमिनियम कम्पनी	मेट्टूर (तमिलनाडु)	15,000 टन प्रतिवर्ष

प्रति 1,000 टन ऐल्यूमिनियम उत्पादन धातु स्तर तक के लिए बिजली का उपभोग लगभग 2.4 मेगावाट है ।

60,000 टन की अतिरिक्त अनुज्ञप्त क्षमता में से हिन्दुस्तान ऐल्यूमिनियम निगम 35,000 टन (जिसमें से 15,000 टन की क्षमता बिजली की कमी के कारण बेकार पड़ी है) क्षमता पहले ही स्थापित कर चुका है ।

मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी 15,000 टन की अतिरिक्त अनुज्ञप्त क्षमता में से 5,000 टन की क्षमता पहले ही प्राप्त कर चुकी है।

आशा है कि यदि पर्याप्त बिजली सुलभ हुई तो प्रत्याशित क्षमताओं के आधार 1975-76 में पूरा उत्पादन होने लगेगा।

पाकिस्तान के साथ छुटपुट लड़ाई की घटनाओं में मारे गए रक्षा कर्मचारी

2790. कुमारी कमला कुमारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल माह के पश्चात् वर्ष 1973 में सीमा क्षेत्रों पर पाकिस्तान के साथ छुटपुट लड़ाई की घटनायों में हमार कितने रक्षा कर्मचारी मारे गए हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है और मृतकों के लिए मुआवजा मांगा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ख) अप्रैल 1973 से नवम्बर 1973 तक पाकिस्तान के साथ सीमा घटनाओं में दो सैनिक कार्मिकों की जाने गई। ऐसे झगड़ों में भी कार्मिक मारे जाते है उनके लिए मुआवजा मांगने की प्रथा नहीं है। ऐसी घटनाओं के स्थानीय कमांडरों को फ्लेग बठकों के माध्यम से रोका जाता है।

भारत की सशस्त्र सेनाओं को सशक्त बनाने के लिये कार्यवाही

2791. श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत युद्ध के पश्चात् इन दिनों पाकिस्तान की रक्षा संबंधी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपनी सेनाओं को सशक्त बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान पाकिस्तान का प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं को बढ़ा रहा है जब कि तथ्य कुछ और ही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पाकिस्तान की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हमारे रक्षा प्रबंधों का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है।

(ख) और (ग) इस संबंध में पाकिस्तान नेताओं द्वारा दिए गये वक्तव्य साफतौर से अन्तर्राष्ट्रीय विचार को भ्रम में डालने के लिए दिए जाते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राजस्थान और अन्य उत्तरी राज्यों में टिड्डी रेल के आक्रमण के बारे में दी गई कथित चेतावनी

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported warning issued regarding locust invasion in Rajasthan and other northern states and measures proposed to check it."

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : अक्तूबर, 1973 के पहले पखवाड़े में वनस्पति-रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय (कृषि मंत्रालय) के अधीन टिड्डी चेतावनी संगठन के कर्मचारियों ने राजस्थान के शाहगढ़, किशनगढ़, मोहनगढ़ तथा जैसलमेर जिले के नचना क्षेत्रों में कई टिड्डी दल देखे। इन टिड्डी दलों पर काबू पाने के लिए तत्काल व्यवस्था कर दी गई थी। अक्तूबर, 1973 के दूसरे पखवाड़े में उसी क्षेत्र में पीली टिड्डीयों के चार किलोमीटर लम्बे और तीन किलोमीटर चौड़े एक झुंड तथा नई बड़ी गुलाबी टिड्डियों के दो झुंडों का पता लगा था। इन टिड्डीयों के नियन्त्रण के लिये उनके रुकने के तीन स्थानों पर नियन्त्रण कार्यों की व्यवस्था की गई थी। सारे प्रभावित इलाके को क्षेत्रों तथा उप-क्षेत्रों में बांटा गया है और टिड्डी चतावनी कर्मचारी इन क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस क्षत्र के कई स्थानों में टिड्डियों के छोटे-छोटे झुंड तथा नई बड़ी टिड्डीयों के जमा होने का पता चला था। सूखे बी० एच० सी० 10 प्रतिशत तथा "डिल्ड्रिन" घोल के "एक्जास्ट नाज़ल स्प्रेयर" से छिड़काव करके इन्हें नष्ट किया जा रहा है। कृषि विमानन निदेशालय के दो व्यावर विमानों ने 21 नवम्बर, 1973 को इस क्षेत्र की निगरानी का काम शुरू किया। रसायनिक दवाओं के हवाई छिड़काव का काम तेजी से चल रहा है। अब तक जितने भी टिड्डी दलों का पता चला है उन पर रसायनिक दवाओं के तुरन्त दवाई छिड़काव से कारगर ढंग से काबू पा लिया गया है।

यह सूचना मिली है कि कई टिड्डी दल सीमा पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। खाद्य तथा कृषि संगठन के जरिए यह सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान के प्राधिकारी उन पर भूमि से तथा विमानों के जरिए नियन्त्रण करने की व्यवस्था कर रहे हैं। आमतौर पर टिड्डी दल नवम्बर के अन्त में पाकिस्तान-ईरान सीमा पर मकरान रेगिस्तान की ओर पश्चिम में चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उनके देर से बच्चे देने के कारण कुछ टिड्डियों के भारत में प्रवेश करने की सम्भावना है। उस स्थिति में हो सकता है कि कुछ टिड्डी दल आगामी दिसम्बर और जनवरी के महीनों में भारत के उत्तरी राज्यों में हमला करें। राजस्थान के साथ लगने वाले राज्यों, जैसे कि गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को यह चेतावनी दी गई है कि वे टिड्डी नियन्त्रण के उपाय करने के लिये तैयार रहें।

Shri Shivnath Singh : The entire farmer community of Rajasthan feels that once locust swarms invade, they will definitely destroy the crops. The measures taken to face the locust menace are hardly satisfactory. The pesticides and insecticides have proved ineffective. There is no use of arranging pesticides after the event. Last time, the entire crop was destroyed in the month of Kartika. The state Government does not take the locust menace seriously. The areas between Indian and Pakistani borders near Rajasthan are locust infested and effective steps should be taken to destroy them there and then. I would like to know the assistance taken from International Agricultural Organisation to face this menace? Have they been informed about this? May I know whether it is a fact that a meeting of the aforesaid Organisation is likely to be held on 5th December? It has been admitted that locust swarms were seen. In this connection, I would like to know the quantity of B.H.C. powder required if these locust lay eggs and details of arrangements made to destroy them? It has been stated that this area has been divided into zones and sub-zones. I would like to know the officer to whom these zones have been entrusted? There will be no use of entrusting this work to any officer below the rank of Collector. The hon'ble Minister has said that Pakistan has also taken steps to destroy locust swarms. I would like to know whether he is aware of the measures adopted by them to face the menace?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कहना गलत है कि नवम्बर के अन्त तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमने अक्तूबर के पहले पखवाड़े और फिर दूसरे परवाड़े मे भी कार्यवाही की थी और इस कार्यवाही के बाद हमे पता चला कि जो टिड्डी दल हमारी सीमा पर दिखाई देता था, उस पर पूरा काबू पा लिया गया है और अब कोई खतरा नहीं है।

फिर हमने उन क्षेत्रों में आवश्यक कार्यवाही करके ही संतोष नहीं कर लिया, हमने सर्वेक्षण भी किया है कि क्या हमारे देश में टिड्डी दल के आने की कोई सम्भावना है। इस प्रयोजन के लिये दो टोह लेने वाले विमान 21 नवम्बर से उड़ान करते रहे हैं और इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप यदि कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई तो वह अवश्य की जायेगी और उन पर नियंत्रण किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि टिड्डी दल और कीटों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीलड्रिन है। टिड्डी दल द्वारा आक्रमण किये जाने वाले क्षत्रों को दो भागों में बांट दिया गया है। अनुसूचित मरूस्थल क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। जहां तक अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करके टिड्डी दल पर काबू पायेगी। अतः उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे पर है।

जहां तक भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में टिड्डी दल होने का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हमारे और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच रोम में एक बैठक होने वाली है और मुझे आशा है कि इस बैठक के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में भी कारगार कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम बहुत सतर्क हैं, अब तक कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि टिड्डी दल मरुस्थल में दिखाई देता था वह कृषि क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया अतः कोई क्षति नही हुई।

श्री शिवनाथ सिंह : मैंने विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि जोन और सबजोन में विभाजित क्षेत्रों को किस दर्जे के अधिकारियों को सौंपा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नियमों के अनुसार केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसी में सब बातें आ जानी चाहिये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहुंगा कि राजस्थानी के क्षेत्र को चार सर्किलों में और फिर उन्हें 10 जोनों में विभाजित किया गया है। 10 जोनों में 30–40 बाहरी चौकियां हैं। वे आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय ने टिड्डी दल के खतरे का कम अनुमान लगाया है। यदि टिड्डी दल का कोई आक्रमण नहीं होता तब भी प्रति वर्ष हमारे देश में 1,000 करोड़ रुपये के मूल्य की फसल बरबाद हो जाती है। फिर टिड्डी दल के आक्रमण से स्थिति और भी खतरनाक हो जायेगी। इसका कारण यह है कि कीटनाशी औषधियों का प्रयोग कम किया जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि भारत पाकिस्तान के साथ सीधे बातचीत क्यों नहीं कर लेता ताकि दोनों देशों के इस शत्रु का मुकाबला किया जा सके ? युद्ध के बाद बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिये भी दोनों देशों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की थी।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : यह कहना अनुचित है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई। टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में हमारा अपना संगठन ही सब जानकारी देता है। वर्ष 1968 के बाद टिड्डी दल का कोई आक्रमण नहीं हुआ और हम पूरी तरह सतर्क हैं। जहां कहीं भी उनके आक्रमण की सम्भावना दिखाई देती है वहां तुरन्त कार्यवाही की जाती है। हमें पता चला है कि पाकिस्तान भी अपनी ओर आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हुं कि टिड्डी दल के हमारे क्षेत्र में आने का कोई खतरा नहीं है।

Shri B. S. Bhaara (Bhatinda) : It has been published in the newspapers that locust swarms are active on the Pakistan side and they can cross to our side. If they lay eggs, it will cause havoc and there will be damage of crops on a large scale. May I know the steps taken to prevent them?

Shri F. A. Ahmed : It will qe observed from the statement that locust swarms were seen in the desert area and we have taken all possible measures to destroy them. But we have to be vigilant and if they are seen by somebody, he should inform us and Government should also take steps to prevent them. It is understood that Pakistan is also using pesticides to face the menace of locusts. International Organisation, our Central Organisation and Pakistan's Organisation are quite vigilant and want to prevent them.

हरियाणा में हरिजनों की गिरफ्तारी कें बारें में

RE. ARREST OF HARIJANS IN HARYANA

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Yesterday three thousand Harijans of Haryana were arrested. The agitation is going on for the last 94 days and fifteen thousands persons have been arrested so far. They claim that they have been evicted from the land occupied by them. When Government orders are not being complied with, what can they do except demonstrating before Parliament?

Mr. Speaker : I had asked the hon'ble Minister to make a statement, in spite of the fact that it is a State matter. He will make a statement.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Central Government has special responsibility with regard to the states under the constitution.

Mr. Speaker : This issue can be discussed during the discussion on the Report which is likely to come before the House soon.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना औपचारिकता सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (पांचवां संशोधन) विनियम, 1973

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (पांचवां संशोधन) विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 244 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5837/73]**

भारी विद्युत उद्योग की विकास परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, भारी विद्युत उद्योग की विकास परिषद् के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5838/73]**

शिक्षु (संशोधन) नियम, 1970 आदि सम्बन्धी अधिसूचनाएं और बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) में बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना में हुई घातक दुर्घटना सम्बधी प्रतिवेदन आदि

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 61 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 5839/73]**

(2) कोयला खान भविष्य निधि, कुटम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 सितम्बर 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1042 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5840/73]**

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 1117 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5841/73]**

(4) बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) में बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना में 8 फरवरी 1973 को हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5842/73]**

(5) (एक) कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के वर्ष 1971–72 के क्रियाकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी में संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5843/73]**

———

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महा-सचिव : मुझे राज्य सभा के महा-सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :— "कि राज्य सभा 27 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1973 में 15 नवम्बर, 1973 को लोक सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है "।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

राजनीतिक कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : मैं सरकार का ध्यान राजनीतिक बन्दियों के साथ जेल में किये जाने वाले व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं । हाल ही में मिदनापुर जेल में 100 बन्दियों ने राजनीतिक दर्जा प्राप्त करने की मांग के समर्थन में भूख हड़ताल की थी । आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इस प्रकार की अनेक घटनाएं हो रही हैं । कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण हम बहुत–सी घटनाओं पर चर्चा करने से वंचित रह जाते हैं । मुझे पश्चिम बंगाल की जेल में बन्द लड़कों के मातापिता से अनेक पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि उनके साथ इतनी बेरहमी का सलूक किया जाता है कि वे आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जायेंगे । आन्तरिक सुरक्षा बनायें रखना अधिनियम तथा अन्य प्रकार के कानूनों को लागू करके, जेल में भूख हड़ताल करने वालों के साथ बुरा व्यवहार करना लोकतंत्र की संकल्पना के विरुद्ध है । यह स्थिति तब है जब प्रधान मंत्री ने 1 मई, 1972 को आन्ध्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और केरल के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र परिचालित किया था कि नक्सलवादी और सम्बद्ध गति-विधियों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार करने से ही उग्रवादियों के पुनः प्रकोप को रोका जा सकता है । उन्होंने इस पत्र का उल्लेख 14 नवम्बर के अतारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर में किया था ।

प्रशासन की ज्यादतियों को रोकने के लिये प्रधान मंत्री के प्रयास के बावजूद ये बड़े पैमाने पर हो रही हैं । इस समस्या के बारे में संबंधित मंत्री की ओर से यहां सभा में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये और मैं निवेदन करूंगा कि राज्यों के कार्य क्षेत्र संबंधी इस महत्वपूर्ण मामले पर इस सभा में चर्चा का अवसर उपलब्ध होना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : लोको कर्मचारियों के साथ अन्तिम रूप से बातचीत चल रही है । रेल मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य दें । बातचीत को भंग कराने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा उधर वे लोग भी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं ।

विशेषाधिकार समिति के छठें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS RE. SIXTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर जो 15 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, विचार करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर जो 15 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

डा० हेनरी आस्टिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 15 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है और संकल्प करती है कि लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर 1970 को स्वीकार किये गये संकल्प के निम्नलिखित भाग को रद्द किया जाये :–

'और सभा यह भी सिफारिश करती है कि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार श्री एस० सी० मुखर्जी को विधि के अधीन अधिकतम दंड दे और इस बारे में इस सभा को प्रतिवेदन दें'।"

यह प्रतिवेदन सभा द्वारा 2 दिसंबर, 1970 को पारित संकल्प के दूसरे भाग की क्रियान्विति न किये जाने के बारे में है। जिसमें की एस० सी० मुकर्जी को लोक लेखा समिति को गुमराह करने के अपराध में सरकार द्वारा दण्ड किया जाना था। इस संबंध में श्री मधु लिमये ने 25 अप्रैल, 1973 को यहां सभा में मामला उठाया था, और सरकार की ओर से स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम ने स्पष्टीकरण दिया था तथा इस संकल्प के दूसरे भाग की क्रियान्विति के संबंध में काननी अड़चनें बताई थीं। फिर 11 मई, 1973 को श्री के० रघुरामैया ने प्रस्ताव रखा कि इस मामले को पुन: विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाये। और यह छठा प्रतिवेदन इसी के बारे में पेश है ।

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये:–

"और यह सभा आगे संकल्प करती है कि उक्त श्री एस० सी० मुखर्जी' को गिरफ्तार करके तीन दिसंबर, 1973 को प्रात: 11 बजे से सभा के विसर्जित होने तक लोक सभा के सिक्युरिटी गार्ड की अभिरक्षा में रखा जाये क्योंकि उन्होंने जानबूझकर गलत बयानी की है और लोक लेखा समिति के सामने गलत साक्ष्य दिया है ।"

Sir, the second part of the Resolution which we had unanimously passed here has not been implemented on the plea that under the laws an accused cannot be punished until he is given adequate opportunity to defend himself and also to go through the relevent records. This officer wanted to go through certain important documents of the P.A.C. which was not felt desirable by the hon. Speaker, since, according to him, would have amounted to a bad precedent. That is why this difficulty had arisen and the matter had to be referred to the Privileges Committee again.

Now I would like to point out three things: Firstly, the scheme of steel barter was full of faults and proved very unsuccessful as well as harmful. Government did not learn any lesson from it and only recently a bungling of about 3 crores of rupees has been done in the stainless steell barter deal. Let us have a revised and wise policy in this matter so that such things do not recur.

[Shri Madhu Limaye]

Secondly, the P.A.C. of this House held that officer guilty and none in the House opposed that conclusion of the P.A.C. which proved that the House was unanimous and was of the opinion that Shri S. C. Mukherji was guilty of misleading the P.A.C. He was not a small but really a big officer i.e. Deputy Steel Controller. We do not hesitate to give punishment even to poor Harijan boys for throwing pamphlets in the House out of their sense of grave concern over gruesome atrocities being perpetrated upon them and their brethren including ladies. I do not say that a guilty person should not be punished, but my purpose here is to compare the magnitude of the crimes. But the Committee has now decided not to take any action against this officer which to my mind amounts to ignoring such a serious crime by a very senior officer. I, therefore, totally disagree with the recommendation of the Committee on Privileges and urge that Shri S. C. Mukherjee be detained in the custody of Lok Sabha Security Guard from 11 a.m. till the rising of the House on 3rd December, 1973.

As regards barter deals, I would once again impress upon the Government that this scandalous procedure should be done away with.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जैसा कि श्री मधु लिमये ने उद्धृत किया कि सभा में परचे फेंकने वाले कुछ हरिजन लड़कों को सभा द्वारा दण्डित किया गया, तो मैं उनसे सहमत हूं कि हम संसद सदस्यों को इतना नाजुक नहीं होना चाहिये। परंतु हां, इतना ध्यान तो रखना ही होता है कि यदि आज परचे फेंके जा सकते हैं तो कल पत्थर या बम भी फेंके जा सकते हैं। वरना मेरे विचार से तो संसद-सदस्य को भी एक सामान्य आदमी के सामने ही विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिये।

सभा को मालूम ही है कि इस तरह के मामलों में अनेक व्यक्ति दोषी पाये जाते रहे हैं जिन में श्री एन० एन० वांचू भी थे जोकि आजकल राज्यपाल हैं। श्री बाम के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसी भांति श्री बूकालिगम को भी सेवानिवृति के पश्चात् बिना कोई GVP दिये छोड़ दिया था और अब वह मौज से एक धनिक बस्ती में रह रहे हैं।

केवल श्री एस० सी० मुकर्जी को ही इस सभा ने यहां बुलाकर डांट बताई थी और सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें कानून के अधीन अधिकतम दण्ड दे। इस संबंध में महान्यायवादी से भी सलाह की गई थी। कानून के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब यह निष्कर्ष निकला कि श्री मुखर्जी को किसी प्रकार का कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता। स्वयं स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम जो कि मंत्री होने के साथ साथ एक कुशल वकील भी थे वे भी यही निष्कर्ष निकाला कि श्री मुखर्जी को कानून के अधीन दण्डित नहीं किया जा सकता। इसलिये, यह मामला दोबारा विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया जहां इसपर फिर से विस्तार से विचार किया गया। समिति ने भी गंभीरतापूर्वक विचार करके यही परिणाम निकाला कि श्री मुखर्जी को दण्ड देना संभव नहीं है और इसीलिये समिति ने सिफारिश की है कि सभा द्वारा पारित संकल्प के दूसरे भाग को रद्द कर दिया जाये।

अतः अब हमें इस बात में न पड़कर कि वह मुखर्जी हैं या बनर्जी हैं या अन्य कौन है, हमें विशेषाधिकार समिति के निर्णय से सहमत होना चाहिये। श्री मोहन कुमार मंगलम ने स्वयं इस अधिकारी की ईमानदारी की जांच की थी और उन्हें बिल्कुल ईमानदार पाया था। संभव है की मुखर्जी ने अपने उच्चअधिकारियों को खुश रखने के लिये समिति को गुमराह करने का दुस्साहस किया हो। साथ ही यदि माननीय सदस्य यह समझें कि श्री मुखर्जी को दण्डित करने से देश के नौकरशाही का सुधार हो सकता है तो यह उनका भ्रम होगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि विशेषाधिकार समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाये और श्री मधु लिमये अपना संशोधन वापस ले लें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी इस संबंध में काफी सोच-विचार किया है तथा स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम से भी मैंने इस बारे में काफी विचार-विमर्श किया था। उन्होंने जो तथ्यपूर्ण बातें बताईं और कानूनी पक्ष पेश किया उससे मैं भी प्राय: सहमत हो गया था कि श्री मुखर्जी को दण्ड देना संभव नहीं है। परन्तु अध्यक्ष होने के नाते सभा के निर्णय को स्वयं बदलना अच्छा नही लगता। अब जबकि विशेषाधिकार समिति भी इसी निर्णय पर पहुंची है तो मैं यही कहूंगा कि इस सिफारिश को स्वीकार कर लिये जाये।

श्री मधु लिमये : मैं तो इसे स्वीकार नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० हेनरी आसिन के प्रस्ताव पर श्री मधु लिमये के संशोधन को सभा में मतदान के लिये पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and Negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 15 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है और संकल्प करती है कि लोक सभा, द्वारा 2 दिसम्बर, 1970 को स्वीकार किये गये संकल्प के निम्नलिखित भाग को रद्द किया जाय:–

'और सभा यह भी सिफारिश करती है कि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये सरकार श्री एस० सी० मुखर्जी को विधि के अधीन अधिकतम दंड दे और इस बारे में इस सभा को प्रतिवेदन दें'।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब जबकि यह प्रस्ताव पारित हो गया है, भविष्य के लिये मैं यह चाहूंगा कि ऐसे मामलों में विशेषधिकार समिति के और संसद की अन्य सभी समितियों के सभापतियों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाये जिसके अनुसार प्रस्ताव पारित किये जायें। इस मामले में भी हमें मालूम नहीं था कि क्या क्या कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी कि दण्ड देना संभव न हो सकेगा। भविष्य में मार्गदर्शन करने के लिये मैं विशेषाधिकार समिति के तथा अन्य संसदीय समितियों के सभापतियों की एक बैठक बुलाऊंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विशेषाधिकार के मामले में किसी अदालत में अपील नही हो सकती, संसद को इस संबंध में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं और विशेषाधिकार समिति के निर्णय को क्रियान्विति में कोई नियम अथवा प्रक्रिया बाधक नहीं हो सकती। यह तो हमने किसी अन्य उद्देश्य को लेकर उन्हें क्षमा किया है।

Shri Madhu Limaye : At least this much I would urge that in case the House finds somebody guilty, the House only should execute that punishment, it should not be left on the Executive to do so, otherwise, there would be complications again.

अध्यक्ष महोदय : वही बात है। जब सभा किसी अधिकारी को दण्ड देती है परन्तु नियमों की कठिनाई के कारण दण्ड देना असंभव हो गया है और इसके विपरीत इसे अधिकारी पदोन्नति पा जाता है तो निश्चय ही बड़ा बुरा लगता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Reprimand is also a punishment and the Government should take adequate notice thereof.

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है। अब तक के मामले को छोड़ दीजिये भविष्य के लिये हमें कोई प्रक्रिया बनानी ही पड़ेगी। इसलिये मैं समिति के सभापति से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमारे विशेषाधिकारों की परिभाषा करने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस के बाद तो आप लोगों पर और अधिक प्रतिबंध लग जायगे इसलिये उन्हें तो अपरिभाषित ही रहने दीजिये। इस संबंध में तो यह सभा ही निश्चय करेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजकर पांच मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re. assembled after lunch at Five minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकर दयाल सिंह।

रानी गंज में साम्यवादी दल मार्क्सवादी के दो कार्यकर्ताओं की मृत्यु के बारे में
RE : DEATH OF TWO C.P.M. WORKERS IN RANIGANJ

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कल अध्यक्ष महोदय ने सरकार को निदेश दिया था कि वह रानीगंज में दो मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं की हत्या के बारे में यहां सभा में एक वक्तव्य दे और मुझे आशा थी कि गृह मंत्री आज एक वक्तव्य देंगे। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने वक्तव्य क्यों नहीं दिया ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। श्री सिंह बोलें। आप लोग सभा की कार्यवाही चलाने में मेरी सहायता करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम तो पूरी सहायता करेंगे परन्तु आप सरकार से वक्तव्य देने को कहें। इसमें सरकार क्या छिपाना चाहती है ? यह एक राजनैतिक हत्या का मामला है। आप इन्हें क्यों बचाना चाहते हैं। मैं यही तो चाहता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे अन्यथा हमको सभा से बहिर्गमन करना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। श्री शंकर दयाल सिंह।

भारतीय रेल्वे (दूसरा संशोधन) विधेयक
INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

Shri Shankar Dayal Singh (Chabra) : The matter regarding compensation to those who die as a result of railway accidents is more important that what the hon. Member is trying to raise here. He has murdered my precious time also by his interruptions and, therefore, I also should get compensation for the same.

Now, as regards accidents, first of all we should go into the causes thereof. (*Interruptions*). Shri Bosu is interrupting me because he and his party have their hands behind these accidents and therefore he does not want me to disclose the anti-social activities of his party.. (*interruptions*).

So far as compensation is concerned, no doubt the Government can give some amount as compensation in case some one dies in rail accident but certainly they cannot give back his life which is far more precious than any amount of money. And C.P.M. and Naxalite workers have been playing with and destroying lives of the people. Had that not been so, Shri Bosu would never have interrupted me so as to stop me from speaking about his men's evil designs which have been a constant threat to the precious lives of about 70,00,00 daily passengers. Therefore, we will have to check the activities of such people and their parties who indulge in such activities... (*interruptions*).

रानीगंज में साम्यवादी दल मार्क्सवादी के दो कार्यकर्ताओं की मृत्यु के बारे में
RE : DEATH OF TWO C.P.M. WORKERS IN RANIGANJ

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु कृपया बैठ जायें। उन्होंने ऐसा मामला उठाया है जो कि आज की कार्य-सूची में शामिल नहीं है। मैंने श्री शंकर दयाल सिंह को भाषण करने के लिये पुकारा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप दोगली नीति अपना रहे हैं। आप चाहें जो कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु ने यह मामला उठाना चाहा और यदि मैं उन्हें अनुमति दूं तो फिर सभा में व्यवस्था नहीं रहेगी। परन्तु श्री बसु बड़े आदमी हैं उनकी बड़ी आवाज है वह कूद कर मेरे नज़दीक आ गये और पश्चिम बंगाल में हुई एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसमें उनके दल के कुछ व्यक्ति मारे गये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कांग्रेसियों ने दो हत्यायें की।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु द्वारा रोष प्रकट किया जाना मैं खूब समझता हूं, परन्तु मेरे विचार से कल अध्यक्ष महोदय ने इस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यह कहा था कि यह कानून और व्यवस्था का मामला है और राज्य का विषय है। सही स्थिति यह है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं। आप को गलत जानकारी दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर श्री बसु के जोर दिये जाने पर अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि वह गृह मंत्री से तथ्यों का पता लगायेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : जी, हां।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्त में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि गृह मंत्री राज्य सरकार से तथ्य मालूम करके यहां सभा में एक वक्तव्य दें।

अब चौबीस घंटें बीत चुके हैं और कुछ नहीं हुआ। कलकत्ता टेलीफोन करके तथ्य मालूम करने में पांच मिनट लगते हैं और यहां वक्तव्य दिया जा सकता था।

श्री के० रघुरामया : माननीय सदस्य जानते हैं कि आज-कल टेलीफोनों में भी गड़बड़ है। इसलिय हमे राज्य सरकार से सम्पर्क करन का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : टेलीफोन भी सरकार के ही है । मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि सरकार यह कहे कि आज शाम 5 बजे तक एक वक्तव्य दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रुप से वक्तव्य के लिये निर्णय दिया था । आप हमारे साथ न्याय करें और सरकार को वक्तव्य देने के लिये कहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो यही कहूंगा कि यदि अध्यक्ष महोदय ने कहा है तो मंत्री महोदय यथा-संभव शीघ्रता के साथ तथ्यों का पता लगा कर यहां एक वक्तव्य दें ।

श्री के० रघुरामैया : हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब भी श्री बसु क्यों रोष प्रकट कर रहे हैं । मैंने श्री शंकर दयाल सिंह को पुकारा है

Shri Madhu Limaye : I have to make a point for two minutes only and that will be in the interest of all of us.

These days, a big leader of our friendly nation, the U.S.S.R. has came here and wea welcome him. But I am sorry to point out that a Citizens, Committee constituted to accord him welcome is not to be headed by either the hon. Speaker, or our Vice-President or the Mayor. Shri Brezhnev has been introduced only to the Chief of Congress Party... (*interruptions*). Please do not interrupt me. I am not saying anything wrong. I want to know whether he has come here on the invitation of Congress Party alone or the entire nation? In case he has come on the invitation of the nation, then, the Citizens' Committee should have been comprised of the leaders from the opposition also. The Prime Minister herself should have made efforts in this regard. At least those parties should have been associated which believe in Indo-Soviet friendship. Now, we can do nothing but to organise a public protest against it. Let the Govt. explain the position. Let me make it clear that I have no intention to speak anything derrogatory to Shri Brezhnev, but the Government should have tried to equate their party with the entire nation.

Please convey my observations to the Prime Minister.

भारतीय रेल्वे (दूसरा संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

Shri Shankar Dayal Singh : I was speaking on the question of compensation by the railways . Whereas I would agree with the amount provided, i.e. Rs. 50,000 I would once again point out that no amount of money can compensate for a life, not even crores of rupees. We should, therefore, try to arrest the causes of the accidents and find out the remedies.

The responsibility of the railway accidents is ont the railways, where indiscipline is become the order of the day. Late arrivals, late departures of the trains and absence of light and fans are very common things with our trains. The figures shows that a large number of trains arrive very late.

Let us, therefore, find out the causes of these delays and accidents and their final measures to remedy the situation.

Yesterday itself we discussed here, on a calling attention motion, an accident , in which some policemen and P.A.C. men were killed. Also a few days earlier the Government refused to pay any compensation to those who may be killed in accidents on

railway crossings when in many cases it has been found that such accidents occur because of railwaymen's fault. Who else should pay the compensation? You are levying surcharge on the public even before you pay any compensation to the people. This would amount to exploitations.

Therefore, you should do away with this surcharge and on the other hand take steps to check accidents. So that you need not pay compensations. The Government has enhanced the amount of compensation. I welcome this move. But efforts should be made to reduce or avoid the accidents. Trains are running late due to which work is affected. Arrangements should be made for the smooth running of trains.

I request the hon. Minister to accept the demand regarding introduction of mail trains for Farakka, Assam and Arunachal.

Shri Vasant Sathe (Akola) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the Bill which is not a belated measure. The amount of compensation payable to the dependents of victims of rail accidents should be raised from Rs. fifty thousands to Rs. one lakh. Efforts should be made for smooth running of trains. Efficiency of railways should also be increased. It will bring about a saving equal to the amount proposed to be raised by imposing surcharge. This surcharge should be collected from the Commuters in the form of insurance surcharge.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तीन बातों को बार बार दोहरा रहे हैं और कोई नई बात नहीं कह रहे। चर्चा का निर्धारित समय भी समाप्त हो चुका है। अतः चर्चा कब तक जारी रखी जाएगी।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यदि मंत्री महोदय हमारी बात समझ जाए तो हम चर्चा समाप्त कर देंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मरने वाली को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है तो रेल दुर्घटना में मरने वालों को कम मुआवजा क्यों दिया जाए, जबकि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गये हैं।

चन्द हज़ार सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों, रेलवे पैंशनभोगियों की जायज़ मांगों को मानने में सरकार को क्या कठिनाई है? मंत्री महोदय को सहानुभूतिपूर्वक और सावधानी-पूरक इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इन पैंशनभोगियों में से कुछ 80 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं। उनको उनका हक मिलना ही चाहिये।

अहमदाबाद में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। श्री मधु लिमये ने कल बताया था कि 21,000 रेलवे फाटक बिना चौकीदार के है। क्या रेलवे को प्राथमिकता देने का सरकार का यही ढंग है? जब शहरों की यह हालत है तो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की परवाह ही कौन करता है। अतः मेरा सुझाव है कि ऐसे फाटकों पर तत्काल ध्यान दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

सरकार अधिभार लगाकर किराये में वृद्धि करना चाहती है। हम इसका विरोध करते हैं। राजस्व बढ़ाने के और भी कई तरीके है। रेलवे बोर्ड एक सफेद हाथी है। मैं रेलवे बोर्ड को समाप्त करने का सुझाव तो नहीं दे रहा परन्तु रेलवे बोर्ड के व्यय में कमी की जानी चाहिए।

Prof. Narain Chand Parashar (Hamirpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the amending Bill. I welcome the proposal that compensation should be paid on the basis of injury and death and not according to earning capacity of the deceased. The amount of compensation should be the same as is given in Indian Airlines. Government should see that payment is made immediately after the accident takes place.

There is no provision for grant of compensation to the victims who are killed at manned or unmanned railway crossings. I suggest that compensation should be paid to such deceased persons. It should also be taken into account that if the nature of injury is such as renders the person unable to work, arrangement should be made for the education of the children of the concerned railway employees.

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : All of us welcome the provisions made in this Bill. It has also been demanded that the amount of compensation payable to the dependents of the persons killed in railway accidents should be at par with the amount payable to the dependents of victims of an aircrash.

Government is taking blanket power for imposing surcharge on passengers. It is injustice against the Members of Parliament.

There is a proposal to raise additional amount in the form of surcharge. But it has not been clarified whether the surcharge will be imposed on first class passengers or third class passengers. Government should clearly state the amount of surcharge to be levied on different categories of the passengers.

Suggestion of group insurance should be seriously considered.

Persons responsible for accidents are not punished at all. Such persons, after having been proved that accident occurred due to their negligence, should be punished.

Trains, particularly in Madhya Pradesh, do not run in time. There is no direct train between Delhi and Madhya Pradesh. There should be direct train between Delhi and Bilaspur, Raipur via Bhopal.

Shri Swami Brahmanandji : (Hamirpur). Accidents occur due to drinking. If they do not drink there will be no accidents. Some measures should be adopted to put a curb on the habit of drinking. Secondly, Government should see that trains run in time.

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों को मुआवज़ा देने के लिए यात्रियों पर अधिभार लगाना ठीक नहीं है। गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चलती और कभी कभी गाड़ी एक एक दिन लेट आती है। रेलवे अधिकारी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते और गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने में सहायता नहीं करते।

रेलवे को अधिभार लगाने की बजाय अपने व्यय में किफायत करनी चाहिए।

रेलवे गाड़ियों के भोजन-यानों में मिलने वाला खाना संतोषजनक नहीं होता। शोरन्नूर-नीलम्बूर रेलवे लाईन घाटे पर चल रही है। इसको कल्लई तक बढ़ाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराना चाहिए।

Dr. Kailas (Bombay South) : I rise to support this Bill. Persons who are killed in railway accidents will be paid 50,000 rupees whereas victims of aircrash are paid Rs. 1 lakh. What type of socialism it is ! This amount of Compensation should be brought at par. I suggest that instead of levying surcharge on passengers, they should be insured.

Government should see that unmanned railway crossings are manned so that accidents could be averted. Railway revenue should be utilised in increasing efficiency of

railways. I would like to know whether provision for payment of compensation has also been made for drivers, guards and persons working in dining cars in case, they are killed in railway accidents ?

Amount of surcharge should not exceed five Paise. Duration for payment of Compenation should be fixed.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : विधेयक में कहा गया है कि मुआवजे की राशि में वृद्धि करने के कारण अधिभार लगाना आवश्यक है। रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों को 50 हज़ार रुपये का मुआवज़ा दिया जायेगा जबकि विमान दुर्घटना में मरने वालों को एक लाख रुपया दिया जाता है। यह विषमता क्यों ? मुआवजे की राशि एक जैसी होनी चाहिए। मुआवजे की राशि में वृद्धि करने से रेलवे पर $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का भार पड़गा जबकि अधिभार के माध्यम से रेलवे को 12 से 15 करोड़ रुपये की आय होगी। मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए। मुआवजे की राशि दोनों प्रकार की दुर्घटनाओं में एक जैसी होनी चाहिए ।

सरकार रेल दुर्घटनाओं से बचने का उपाय क्यों नहीं सोचती, जिससे मृत व्यक्तियों को मुआवजा देने की नौबत ही न आये। रेलवे के रिसर्च, स्टैन्डर्डस एण्ड डिज़ाइन आर्गनाइजेशन ने इस दिशा में क्या उपाय किए हैं ? दुर्घटनाओं के तीन कारण हैं --रेलों की टक्कर, रेल लाईनों में रुकावट और मानवीय त्रुटियां। इन पर नियन्त्रण किया जा सकता है। वर्ष 1968-69 में मैंने दुर्घटनाओं से बचाव करने वाले एक यन्त्र का हवाला दिया था। उस यंत्र का नाम "माइक्रो-मिनिमम राडार सिस्टम" है और इसको रेलवे इंजिन में लगाया जा सकता है और वह रेलव लाइन में आने वाली बाधाओं का संकेत कर देता है। यदि इस यंत्र का उपयोग किया जाता तो रेलवे को 150 से 200 करोड़ रुपये वार्षिक की बचत हो सकती थी ।

रेलवे के अनुसंधान अनुभाग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

दिल्ली से पूर्वी क्षेत्र के बीच डाकगाड़ी की काफी अरसे से मांग रही है। रेलवे बोर्ड ने यह मांग स्वीकार कर ली थी। अत: इस गाड़ी को चलाया जाना चाहिये ।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : रेल दुर्घटना के शिकार होने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में वृद्धि करने के लिये रेल मंत्री को हम धन्यवाद देते हैं लेकिन यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने इसके साथ ही अधिभार क्यों लगाया है। एक ओर तो वह मुआवज़ा दे रहे हैं और दूसरी ओर अधिभार लगा रहे हैं। मंत्री जी को इस पर पुन: विचार करना चाहिये। अधिभार समाप्त कर देना चाहिए। कम से कम तीसरे दर्जे के यात्रियों को इस अधिभार से मुक्त रखा जाना चाहिये ।

रेलवे मंत्री ने दिल्ली से बनगायगांव तक बरास्ता फरक्का बांध तेज़ रफ्तार वाली गाडी चलाने का वचन दिया था। उनका अभिप्राय डाक गाडी से तेज़ गाडी चलाने से था। किन्तु इसकी बजाय एक्सप्रेस गाडी चलाई गई है।

कलकत्ते से बनगाईगांव तक एक बड़ी लाइन का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य इस रेल लाइन को अन्तत: गारो पहाड़ियों से गोलपारा होते हुए गोहाटी तक ले जाना था किन्तू ऐसा नहीं किया गया। बनगाईगांव तक एक तेज़ रफतार वाली गाड़ी चलाई जानी चाहिए ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : रेल कर्मचारियों की असफलता के कारण यदि कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो उनके लिये उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिये और दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली मुआवज़े की राशि कर्मचारियों की युनियनों से वसूल की जानी चाहिये (**व्यवधान**), तभी ये लोग ज़िम्मेदारी से कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, यदि कार्यरत कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण दुर्घटना होती है तो उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिये।

रल दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों के लिये मुआवजे की राशि 50 हज़ार रुपये सुझायी गयी है। यह पर्याप्त है, किंतु जो लोग अपंग हो जाते हैं उन्हें 75 हज़ार रुपये दिये जाने चाहिये।

प्रो० मावलंकर ने रेलवे बोर्ड को समाप्त करने का सुझाव दिया है। इस प्रकार का सुझाव क्यों दिया गया (**व्यवधान**) मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमारा यही अनुरोध है कि रेल दुर्घटनाएं नहीं होने दी जानी चाहिए।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhnu) : The members of the House should be assured that surcharge will out be levied in excess of rupees two and a half crores. The railway employees are out to devour the earnings of the Government. They have no spirit or devotion to duty.

The number of railway accidents should be reduced. Railway accidents will not occur in case railway employees work with a spirit of devotion.

Sufficient attention has not been paid towards the present rail road competition. Large scale thefts and pilferages of railway goods are being committed. Train Services are not punctual. In order to rectify these maladies efficiency in the workinng of railways should be improved. The suggestions made by the Members in this regard should be given a fair trial.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): I have gone through the amending Railway Bill. There should not be any discrimination as regards the amount of compensation whether a passenger travels by air or by train. It goes against the basic principle of democracy.

A piece-meal legislation like this is not going to be very useful. Instead, a comprehensive Bill should be brought forward covering not only compensation to victims of accidents, but the safety, amenities and other matters concerning railway users. A passenger insurance scheme was mooted as long ago as 1962. The former Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh, also gave an assurance that the railway passengers would be brought within the purview of such a scheme. Later on, it was said that the scheme had been sent to Life Insurance Corporation for further scrutiny. But it has not been implemented so far. Had the passenger insurance scheme been implemented, it would not only have brought additional revenues but would also have provided employment to our youngmen and ensured safety to the railway passengers. Government should see that this scheme is implemented.

Shrimati Suhodrabai Rai (Sagar) : There has been serious dislocation in the functioning of railways because of frequent strikes. Railway employees also interfered with the smooth running of trains. Passengers also stopped trains by pulling chains. Such practices should be discouraged.

It is regretted that the hon. Minister does not attend to the difficulties and grievances of the Harijans and tribals. Their difficulties should be attended to.

The amount of compensation should be raised from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh. It should be seen that the amount is paid expeditiously to the victims. It should also be made clear that the railway employees who become victims of the accidents will also get compensation under this law or under the existing rules of the railways.

Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The present Bill is a progressive measure in so far as it stipulates an increased compensation to the victims of railway accidents while previously it depended on the income of the respective passengers and the class in which they travelled. This discrimination has been completely done away with and the amount of compensation has been raised to Rs. 50,000. Those persons who are wounded or who become invalid as a result of accidents will also be entitled to compensation.

Railways are the property of the nation. I hope that the public would welcome this surcharge (*interruptions*). Even a third class passenger will pay 5 paisa which will be a step towards economy (*interruptions*). The amount will be utilised for providing safety and increasing personal security in the railways. It must be noted that railway is not commercial concern. It is a public utility service. It's social burden is Rs. 127 crores per year. It incurs a loss of Rs. 63 crores on passengers traffic, an annual loss of Rs. 55 crores on food, fertilizers and coal traffic and rupees seven and a half crores on account of uneconomic lines. This huge amount of loss has to be borne in the public interest.

Although the passenger traffic on railways during the last ten years increased by 58 percent, accidents in the railways came down from 1293 in 1964-65 to 815 in 1972-73. 60 percent of the accidents occurred due to human failure. **Besides**, the signalling equipment has been re-devised and the latest sophisticated equipment has been installed.

There are about 20,000 unmanned level crossings in railways. Recurring expenditure of Rs. 15 crores will have to be incurred for manning these unmanned crossing. We have been encouraging the State Governments to take up the work of over-bridges. There is a Railway safety Fund for this purpose, out of which amount is allocated to State Governments for taking up this work but their response has not been encouraging.

Railway Board is a body of top ranking technocrates with vast experience relating to railways. Unfortunately, the Board is made the target of criticsim every time.

The power to settle the claims of compensation which previously vested with the Claims Commissions has now been taken over by the Railways. This will make expeditious settlements possible.

As regards compensation, we have taken this step with utmost honesty and sincerity. I hope the House will appreciate it.

There has been a demand from Assam, Bihar, Bengal and Orissa that a new mail train be introduced from New Delhi to New Borgaigoan *Via* Bhagalpur-Sahibganj Loop and Farakka. A new mail train on this route will be started from 26th January next. This would run bi-weekly. Besides, a new train will also be introduced from Bongaigoan to Guhati.

I have tried to cover all the points raised by the hon. Members. As regards passengers insurance scheme in the Railways, this is still under consideration and it might take some time before a final decision is taken.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय " ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे । खण्ड 2 पर कुछ संशोधन हैं । क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री बी० आर० शुक्ला (बहराइच) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत है ।

[श्री के० एन० तिवारी **पीठासीन हुए**]

SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*

Shri Madhu Limaye (Banka) : Arrangements have been advanced that the amount of compensation should be raised to Rs. 1 lakh as is given to an air passenger. The amount of compensation fixed is Rs. 50,000 but it has not been made clear that no discrimination will be allowed while fixing the amount of compensation to the victims.

Shri B. R. Shukla : I would like to add that whosoever suffers a loss or damage due to illegal strikes in Railways should also be eligible to receive compensation under the Bill. The existing provision should be made more comprehensive.

Shri R. R. Sharma : In one of my amendments I have said that the amount of compensation to the victims of Railway accidents should be raised from 50,000 to 1 lakh. However, a child of less than 12 years may also be made entitled to Rs. 50 thousand. The "word upto" should be deleted from the relevant provision because it will create difficulties and there will be discrimination.

The rules should be placed in two or at the most in three successive sessions. There should be no more time limit to this.

Shri Ramavatar Shastri : I have moved two amendments. In one of my amendments I have said that the amount of compensation be raised from 50,000 to 1 lakh The life of each passenger, whether he travelled by train or air, is equally precious. The discrimination in the amount of compensation for the passengers travelling by air or the train reflects the class character of the Government.

The amount of compensation for the injuries sustained in railway accidents should be specifically mentioned in the Bill. The word 'upto' will lead to discrimination. It should be made clear that at least Rs. 5,000 will be paid as compensation for minor injuries. Both of these my amendments should be accepted.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It has been clearly stated in the Bill that a person who dies as a result of accident will be entitled to a compensation of Rs. 50,000, irrespective of the class or status he belongs to. The amount of compensation has been raised from 20 to 50 thousand. Rules have already been framed prescribing the specific amount of compensation for a particular injury. Therefore, there is no ground for any discrimination in this regard.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मंत्री महोदय ने कई बार कहा है कि हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा रेल भाड़ा बहुत कम है । क्या इसका कोई प्रमाण है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मुझे आंकड़े देखने पड़ेंगे। परन्तु मैंने जो कुछ कहा है अधिकृत रूप में कहा है।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment No. 1 was by leave withdrawn.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
23	114

संशोधन अस्वीकृत हुआ।
The amendment was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 7 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री राम रतन शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 5 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जायें।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye : Sir, I would not like to repeat the points which have already been discussed. But I would like to make the following submission.

The committee appointed to enquire into the causes of railway accidents has made three important recommendations. It is really regrettable that those recommendations have not been implemented.

The first important recommendation is that the rail-lines should be welded at the joints so that it may not be easy to displace them. This recommendation has not been implemented even on important lines.

The second recommendation is that speedometers should be installed in all the trains. Speedometers have not been provided even in 40 percent of the trains. The Minister should tell us as to when this recommendation will be fully implemented.

The third recommendation is that there should be proper coordination between the Home Ministry and Railway Ministry. There is no coordination at present.

The Railway Ministry has stated that they will request the Ministry of Shipping and Transport to get a sum of Rs. 50 crores allocated for providing overbridges at various places. Now that the 5th Plan is being finalised, has any decision been taken in this regard?

It is highly improper if some surcharge is imposed on passenger fares. The railway administration should not resort to this method to increase their revenues to meet additional expenditure on payment of increased compensation.

At present a number of corrupt prectices are prevalent in the movement of coal by the Railways. The burden of these corrupt practices fell on the consumer. If such practices are checked a slight increase in Railway freight will yield adequate funds to meet the increased expenditure on compensations.

Shri Ramavatar Shastri : Sir, the provision of the proposed surcharge is against the interests of the people and, therefore, we are against this. The revenue may be increased with the help of category unions and confederations. A large sum can be arranged by putting an end to the prevailing corrupt practices.

The hon. Minister has said that in most of the cases staff is responsible for the accidents. I would like to know whether the hon. Minister has heard grievances of the staff. Even after discussions with the loco-running staff, there has not been evolved any solution to the problem. The recommendations of the Committee to inquire into the causes of accidents have not been implemented.

Is it a fact that the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association, All India Station Masters' Association, All India Loco-running Staff Association and All India Signal and Telecommunication Association have 356 given a number of suggestions for preventing railway accidents and if so, whether the Government have studied those suggestions? I think those suggestions have not been considered by the Government.

The Minister should convene a meeting of the representatives of various associations to consider the question of averting railway accidents. Such a meeting will produce fruitful results.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Two Committees were set up in this regard. One is Wanchoo Committee and the other is Kunzru Committee. Wanchoo Committee has made 418 ecommendations and about 387 out of them have been accepted and the rest are being considered.

As regards coal, the responsibility of distribution can not be entrusted to the Railways. Wagons are allotted on the recommendation of the State Governments.

As regards meeting with the associations, I would like to request the hon. Member not to encourage the category unions. These unions are playing havoc to the country.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. REORGANISATION OF I.C.A.R.

सभापति महोदय : अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति की सिफारिशों के संदर्भ में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय द्वारा 12 नवम्बर, 1973 को सभापटल पर रखें गयें विवरण, जिसमें सरकार का निर्णय उल्लिखित है, के बारे में आगे चर्चा आरम्भ होगी । श्री एच० एम० पटेल ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार गजेन्द्रगड़कर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते समय उन परिस्थितियों को भूल गई थी जिनमें यह समिति बनाई गयी थी । एक वैज्ञानिक ने निराश, हताश होकर आत्महत्या कर ली थी । इस आत्महत्या से ऐसी विचारधारा फैली कि सरकार को विवश होकर आत्महत्या के कारणों की जांच करने के लिये एक जांच समिति बनानी पड़ी ।

अब समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सरकार कहती है कि वे सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकती । और सिफारिशों को स्वीकार न करने के स्पष्ट कारण नहीं बताये गये हैं । अपनी प्रत्येक सिफारिश के लिये समिति ने सुदृढ़ तर्क दिया है और यह तर्क सभी प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है और सरकार इन सिफारिशों को विचारणीय ही नहीं समझती । सरकार कह सकती है कि उन्होंने कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । परन्तु समिति ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि केवल कुछ सिफारिशें मानने अथवा समूची सिफारिशें न मानने से उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती जिस उद्देश्य से समिति बनाई गई थी ।

Mr. Chairman : One distinguished guest Shri Brezhnev is about to reach the Parliament House. There are many more names left in the list . We would like to complete this discussion today. If the hon. Member does not consume more than five minutes, then everybody may get a chance.

श्री एच० एम० पटेल : आप मुझे कुछ समय और दें। मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। सरकार ने किन्हीं अज्ञात कारणों से उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है जो उन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिये थीं।

वह समिति एक संतुलित समिति थी और इसके सदस्यों को विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और सामान्य प्रशासन का अनुभव था। यदि उस समिति की सिफारिशों की उपेक्षा की जाती है तो इसकी स्थापना ही क्यों की गई थी ?

समिति ने विभिन्न वक्तव्यों की पूरी जांच की थी। सरकार द्वारा समिति के निष्कर्षों पर सहमत न होने की बात समझ में नहीं आती। समिति ने डा० डे की नियुक्ति को अनुचित ठहराया था और यह मामला विधि मंत्रालय को सौंपा गया था। विधि मंत्रालय ने कहा था कि डा० डे० की नियुक्ति वैध है। उनकी नियुक्ति की वैधता को किसने चुनौती दी थी ? समिति ने तो यह कहा था कि उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में अनेक नियमों का पालन नहीं किया गया। इससे विदित होता है कि सरकार ने समिति की सिफारिशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। समिति ने अपना प्रतिवेदन सलाहकार पेनल के आधार पर प्रस्तुत किया था। अतः प्रतिवेदन की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये था। परन्तु सरकार ने प्रतिवेदन की पूर्णतया उपेक्षा की है। सरकार को प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिये।

कृषि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिये।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान पक्ष में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अनुसचिवीय कर्मचारियों को अनेक कठिनाइयां हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। समिति की सिफारिशों की इस प्रकार उपेक्षा की गई है जैसे समिति ने कुछ भी सिफारिश न की हो।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां किये जाने के बारे में की गई सिफारिशों की भी उपेक्षा की गई है। समिति ने वज्ञानिकों के चयन बोर्ड बनाने के विकल्प पर ध्यानपूर्वक विचार किया था तथा इसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने यह आवश्यक समझा था कि भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाय, क्योंकि वैज्ञानिकों में विश्वास का अभाव पैदा हो गया है ? एसी सिफारिशों की उपेक्षा करना उचित नहीं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकिल) : प्रतिबेदन में भी बहुत सी अनियमितताएं हैं। आज देश में तकनीकी विशेषज्ञों तथा सामान्य प्रशासकों के बीच वाद-विवाद चल रहा है। यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जैसी संस्था के सर्वोच्च पद पर तकनीकी लोगों तथा वैज्ञानिकों को नहीं रखा जायेगा तो और अधिक विवाद उत्पन्न होंगे।

समिति ने भी इस बात के लिये सहमति प्रकट की हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का कृषि क्रान्ति लाने में बहुत योगदान रहा है। अतः इसके लिये इसकी प्रशंसा की जानी चाहिये।

यह खेद की बात है कि कर्मचारियों के प्रश्न पर उचित रुप से विचार नहीं किया गया है। आशा हैं माननीय मंत्री इस विषय पर विचार करेंग।

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड) : जहां तक कृषि और कृषकों के बारे में समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का सम्बन्ध हैं, सरकार ने समिति की सब सिफारिशों को स्वीकार न कर उचित ही किया हैं। समिति ने यह सुझाव दिया है कि परिषद् को और अधिक स्वायत्त बनाने की बजाय इसे एक सरकारी विभाग बनाया जाना चाहिय। परिषद् तथा राज्य सरकारों और विश्व-विद्यालयों के मध्य सहयोग द्वारा अनुसंधान कार्य भली प्रकार चल रहा हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार ने परिषद् को सरकारी विभाग बनाना चाहा है तो उक्त निर्णय उचित ही है ।

आज देश की मुख्य आवश्यकता अनाज का उत्पादन बढाने की हैं। इस बारे में हमारे वैज्ञानिक भरसक प्रयास कर रहे हैं और गत 4 अथवा 5 वर्षों में उन्होंने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है और वे चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित करने में सफल हुए हैं। वे इसी प्रकार दालों तथा अन्य चीजों की भी अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस नई तकनीक की जानकारी छोटे-छोटे गांवों में भी पहुंच रही है जिससे विशेष रूप से छोट किसान इन नये तरीकों से अपनी उपज बढ़ा सकें।

संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हो सकता । अत: संघ लोक सेवा आयोग के स्थान पर यदि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों का चुनाव बोर्ड होता तो वह युवा वैज्ञानिकों की भर्ती के मामले में न्याय कर सकता। "शिकायत सैल" की स्थापना से मामले हल होंगे और कर्मचारियों की शिकायतें कम होंगी ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सरकारी विभाग बनाने का सुझाव एक प्रतिगामी सुझाव हैं। अत: ऐसे मामलों में विभिन्न स्तरों पर स्वायत्तता देने का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, रक्षा वैज्ञानिक संस्थान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् आदि संस्थाओं के ढांचों का परीक्षण करके समान प्रकार की प्रणाली का पता लगाने का प्रयास किया गया था। सम्भव है इस सम्बन्ध में कुछ गलतियां हुई हों। लेकिन उनमें सुधार किया जा सकता है। सरकार ने परस्पर विरोधी दृष्टिकोण में समानता ढुंढने का प्रयत्न किया है ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : प्रतिवेदन के अन्तिम भाग में डा० दाण्डेकर की अध्यक्षता में नियुक्त सलाहकार पेनल का प्रतिवेदन है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में जो कुछ हुआ है वह कोई अलग अलग घटना नहीं है, ऐसा तो प्राय: देश में लगभग सारे वैज्ञानिक समुदाय में हो रहा है। वर्तमान स्थिति में हम कोई विशष कार्यवाही की सिफारिश नहीं करते क्योंकि दुर्भाग्य से उक्त स्थिति केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा उससे सम्बद्ध संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं सरकार को जांच समिति की नियुक्ति पर बधाई देता हूं लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सरकार ने केवल उन्हीं सिफारिशों को स्वीकार किया है जो उसके अनुकूल थीं। अत: मेरे विचार से इस प्रतिवेदन के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया न तो न्यायसंगत है और न ही उचित ही है, यहां तक कि स्वर्गीय डा० विनोद शाह की शिकायतों पर भी उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।

(श्री पी० जी० मावलंकर)

कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है कि समिति के प्रतिवेदन में वैज्ञानिकों पर आक्षेप किया गया है। लेकिन यह सच नहीं है।

गजेन्द्रगडकर प्रतिवेदन में वैज्ञानिकों के कार्य की प्रशंसा की गई है।

डा० गजेन्द्रगडकर ने कृषि मंत्रालय को चार विशेष मामले सौंपे थे और उन्होंने इन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने का अनुरोध किया था। मुझे पता नहीं कि ऐसा किया गया है अथवा नहीं। आशा है मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : All India Radio did not say a single word with regard to the Gajendragadkar Committee's report in its 9.00 P.M. Bulletin. Similarly, it did not say a single word when, the discussion on this report was held in Rajya Sabha.

Mr. Chairman : Shri Vajpayee's complaint has been put on the record and the hon. Minister will look into the matter for action.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्यों का यह कहना गलत है कि हमने गजेन्द्रगडकर समिति के प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया है। इस समिति की नियुक्ति से पूर्व ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन का मामला सरकार के विचाराधीन था। अतः प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद हमने समिति की सिफारिशों और सुझावों पर विचार किया है और सरकार ने इस मामले पर गहराई से बिचार करने के बाद ही कुछ निर्णय लिये हैं।

समिति की मुख्य सिफारिश भारतीय कृषि अनुसंधान को एक सरकारी विभाग बनाने की है। जहां तक इसके वर्तमान दर्जे का सम्बन्ध है, यह एक रजिस्टर्ड सोसायटी है और 1939 से ही इसे सम्बद्ध विभाग समझा जाता रहा है। अतः अनुसंधान और शिक्षा के हित में सरकार ने यह उचित समझा कि इसे स्वायत्तशासी निगम का दर्जा दिया जाय। हमारा यह विचार है कि नौकरशाही अथवा राजनितिज्ञों द्वारा हस्तक्षेप से अनुसंधान और शिक्षा में बाधा पड़ेगी। अतः हमने इस मामले में समिति के विचार को स्वीकार किया है।

परिषद् को एक विभाग बना देने की समिति की सिफारिश न्यायोचित है क्योंकि जब तक परिषद् सरकारी प्राधिकार के अन्तर्गत नहीं होगी, परिषद् द्वारा किये जाने वाल अनुसंधान का प्रसार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रयोजन के लिये हमने कृषि मंत्रालय में शिक्षा और अनुसंधान विभाग का गठन किया है। अतः यह कहना अनुचित होगा कि हमने समिति की सिफारिशें अस्वीकार कर दी हैं। वास्तव में हमने समिति के प्रतिवेदन का लाभ उठाया है।

समिति की दूसरी मुख्य सिफारिश कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में है। समिति ने यह सिफारिश की है कि 5 वर्ष की अवधि के लिये भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जानी है, अतः मैं यह सिफारिश स्वीकार कर लूंगा। बाद में यह विदित हुआ कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग स्वायत्तशासी आयोगों और गैर-सरकारी निकायों के लिये भर्ती नहीं कर सकता अतः हमने सोचा कि उक्त परिषद् में आयोग के माध्यम से भर्ती न की जाये ताकि बाद में यह भर्ती अवैध न मानी जाये।

सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में एक भर्ती बोर्ड नियुक्त करने का निर्णय किया है। इसकी शीघ्रता से स्थापना की जा रही है। यह निर्णय किया गया है कि डा०

शहारे को, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यता से त्यागपत्र देने पर, इसका सभापति नियुक्त किया जायें।

हमने संघ लोक सेवा आयोग के ढंग पर ही बोर्ड स्थापित किया है। यह पूर्णतया स्वतन्त्र होगा। मुझे आशा है कि इस निर्णय से न केवल इस सभा के सदस्यों को बल्कि परिषद् के कर्मचारियों को भी संतोष होगा।

कठिनाइयों का एक अन्य पहलू यह है कि वैज्ञानिकों को इस बात से बहुत निराशा थी कि खाली पदों के लिये उन्हें समय-समय पर चयन बोर्डों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। अब यह निर्णय लिया गया है कि 700 से 1200 रुपये तक और इससे अधिक वेतन के वर्तमान रिक्त पदों के लिये विज्ञापन दिये जायेंगे। उनके आवेदन लिये जायेंगे और उनका चयन बोड द्वारा किया जायेगा। उनके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

असंतोष का एक कारण यह भी है कि अनेक वैज्ञानिक जो विभाग का अध्यक्ष बनने की आशा लगाये थे, वे अन्य वैज्ञानिकों के कार्य में हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। सरकार की यह नीति है कि जहां तक उच्च पदों का सम्बन्ध है उक्त पद एक निश्चित अवधि के लिये होंगे न कि अनिश्चित अवधि के लिये। वर्तमान महानिदेशक ने उक्त नीति का समर्थन किया है और इससे वरिष्ठ और कनिष्ठ वैज्ञानिकों को भी बहुत संतोष होगा। इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

जहां तक जांच समिति का सम्बन्ध है, इसकी नियुक्ति डा० शाह द्वारा लिखित पत्र के आधार पर की गई थी। डा० शाह ने अपने पत्र में डा० प्रसाद और डा० डे से सम्बन्धित दो मामलों का उल्लेख किया था। जहां तक डा० प्रसाद के मामले का सम्बन्ध है, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डा० प्रसाद के बारे में लगाये गय आरोप निराधार हैं। जहां तक डा० डे के मामले का सम्बन्ध है, विभिन्न बातों की जांच करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला कि डा० डे का मामला अनुचित था। हमने मामला विधि मंत्रालय को सौंप दिया है और उससे पूछा है कि इस मामले में हम उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

विधि मंत्रालय का कहना है कि नियुक्ति अवैध तो नहीं किन्तु अनुचित ढंग से की गई है। इसलिए हम उन्हें पद से हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यदि हम कोई कार्यवाही करते तो वह न्यायालय में जा सकते थे और तब फैसला सरकार के विरुद्ध होता। अतः यह प्रश्न नहीं है कि हमने सिफारिश स्वीकार नहीं की। चुंकि नियुक्ति वैध है अतः इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। जहां तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का प्रश्न है, समिति ने डा० शाह द्वारा उल्लिखित बातों संबंधी मामला परामर्शदाताओं के एक पैनल को सौंप दिया है।

परामर्शदाताओं के पैनल ने इन मामलों पर गंभीरता से विचार किया है और चावल तथा आलू के संबंध में आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा शरबती सोनारा के बारे में भी उल्लेख किया गया। शरबती सोनारा डा० स्वामीनाथन और डा० वर्गीस द्वारा मूल सोनारा 64 पौधें से तैयार किया गया था। उस समय 1967 में ऐसा पाया गया कि इसमें 4.61 प्रतिशत लाइसिल है। इसके पचात् एक भाषण के दौरान डा० स्वामिनाथन ने कहा था कि हमने गेहूं की ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें 4.61 प्रतिशत लाईसिल है। विश्व के अन्य भागों में लोगों द्वारा इसकी प्रयोगशाला में जांच की गई और यह पता लगा कि इसमें लाइसिल की मात्रा इतनी अधिक नहीं अपितु इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है। ऐसा गलति से हुआ। इसके

(श्री फखरुद्दीन अली अहमद)

लिए हम डा० स्वामीनाथन पर दोष नहीं डाल सकते। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी गिनती बड़े वैज्ञानिकों से होती है। उन्होंने कृषि विकास के लिए मूल्यवान कार्य किया है। सदस्यों को उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जो निराधार हो।

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या यह सच नहीं है कि उनकी कार्य प्रणाली से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जैसा कि समिति ने स्वयं स्वीकार किया है, कि सारे क्षेत्र में इससे लोगों के विश्वास को धक्का पहुंचा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस समिति ने, जिसने कि सभी पहलुओं का गम्भीरता से अध्ययन किया है, कहीं भी नहीं कहा कि . . . (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : **

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सरकार यह अनुभव करती है कि कृषि वैज्ञानिकों और अन्य वैज्ञानिकों के वेतनमानों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। वेतन आयोग द्वारा जो वेतनमान अन्य वैज्ञानिकों के लिए नियत किए जाएंगे वही कृषि वैज्ञानिकों को भी दिए जाएंगे। समिति ने अन्य कई बातों के संबंध में एक शिकायत कक्ष खोलने की सिफारिश की है। हम एक ऐसा कक्ष खोल रहे हैं जिससे आशा है कि कनिष्ट वैज्ञानिकों तथा अन्य वैज्ञानिकों की बहुत सी शिकायतें दूर हो सकेंगी। प्रति वर्ष उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा और उसी आधार पर उनकी पदोन्नति की जाएगी। यही कुछ कदम हमने उठाए हैं।

---

26 नवम्बर, 1973 को रानीगंज में सी० आई० टी० यू० के दो कार्यकर्त्ताओं की मृत्यु के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DEATH OF TWO C.I.T.U. WORKES IN RANIGANJ ON 26-11-73

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार . . .

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस मामले का संबंध ऐसे राज्य से है जहांकि लोकप्रिय सरकार है। यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। कानून और व्यवस्था केन्द्र का विषय नहीं है। यह राज्य की विषय-सूची के अन्तर्गत आता है। मंत्री महोदय यह वक्तव्य नहीं दे सकते क्योंकि यहां का प्रशासन लोकप्रिय सरकार के हाथ में हैं।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। मंत्री महोदय वक्तव्य सभा-पटल पर रखें।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

वक्तव्य

श्रीमान्,

पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्कूल की वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले प्राईवेट उम्मीदवारों को फार्म देने पर राम गोपाल सराफ स्कूल, बल्लवपुर, रानीगंज में 26 नवम्बर 1973 को दिन के लगभग 2 बज कर 30 मिनट पर झगड़ा प्रारम्भ हुआ था। एक व्यक्ति निहार गोस्वामी को छुरा घौंप दिया गया और अस्पताल ले जाते समय वह मर गया था। यह बताया गया है कि वह स्थानीय इंटक के नेता सीतल गोस्वामी का चचेरा भाई था। मालूम पड़ता है कि निहार गोस्वामी की मृत्य से उसके कुछ संबंधी और अन्य मित्र क्रोध से भड़क उठें जो वल्लबपुर, बंगाल पेपर मिल के अन्दर बलपूर्वक घुसे थ। झगड़े में मोहम्मद मनसूर, आर० सेन तथा रवीनेश्वर गराई जो सभी सी० आई० टी० यू० के सदस्य बताये जाते हैं, घायल हुए। मनसूर तथा आर० सेन मर गये। मिल के कल्याण अधिकारी समेत घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया। यह भी मालूम हुआ है कि बाद में सी० आई० टी० यू० समर्थकों ने बदला लेने के लिए उसी दिन सायं 5 बजे इंटक के नेता गणेश बारी पर पलपारा मोरे, थाना रानीगंज पर आक्रमण किया। इन वारदातों को देखते हुए बंगाल पेपर मिल प्रबन्ध ने फक्टरी में उसी दिन 10 बजें रात से ताला बन्दी घोषित कर दी। निहार गोस्वामी की मृत्यु पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149/148/302 के अन्तर्गत एक मामला तथा मोहम्मद मनसूर की मृत्यु पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149/326/307/302/448/497 के अन्तर्गत दूसरा मामला चलाया गया। 27 नवम्बर 1973 को 15 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 30 नवम्बर, 1973/9 अग्रहायण, 1895(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 30th November, 1973/Agrahayana 9, 1895 (Saka).

GIPN—S4—32 L. S. S./73—9-3-74—490

[यह लोक-सभा बाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]